

वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से
डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 15]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 14 अप्रैल, 2017-चैत्र 24, शके 1939

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

मैं, धीरेन्द्र कुमार, कार्या. कार्यपालक निदेशक (ईंधन प्रबंधन), शक्तिभवन ब्लॉक-6, रामपुर, जबलपुर (म. प्र.)-482008 में कार्यालय सहायक श्रेणी-तीन के पद पर कार्यरत हूँ. मैंने धीरेन्द्र कुमार शर्मा नाम परिवर्तन शपथ-पत्र द्वारा कर लिया है, इसके पूर्व में मैं धीरेन्द्र कुमार के नाम से जाना जाता था. शासकीय अभिलेखों में मेरा नाम धीरेन्द्र कुमार के नाम से उल्लेख है, जो अब इस नवीन नाम धीरेन्द्र कुमार शर्मा के नाम से जाना जाऊँ व सभी शासकीय अभिलेखों में मेरा नवीन नाम से सम्बोधन किया जाये. अतः आज से धीरेन्द्र कुमार शर्मा नवीन नाम से जाना जाऊंगा.

पुराना नाम :

(धीरेन्द्र कुमार)

आत्मज स्व. श्री सनत कुमार शर्मा.

(08-बी.)

नया नाम :

(धीरेन्द्र कुमार शर्मा)

आत्मज स्व. श्री सनत कुमार शर्मा.

नाम परिवर्तन

मैं, गजेन्द्र सिंह कार्यालय कार्यपालक निदेशक (संचालन/संधारण-उत्पादन) म. प्र. पा. ज. कं. लि. जबलपुर, शक्तिभवन में कार्यरत हूँ. मैंने गजेन्द्र सिंह चौहान नाम परिवर्तन शपथ-पत्र द्वारा कर लिया है. इसके पूर्व में गजेन्द्र सिंह के नाम से जाना जाता था. शासकीय अभिलेखों में मेरा नाम गजेन्द्र सिंह के नाम से उल्लेख है, जो अब इस नये नाम गजेन्द्र सिंह चौहान के नाम से जाना जाऊँ व सभी शासकीय अभिलेखों में मेरा नाम नये नाम से सम्बोधन किया जाये. अतः आज से गजेन्द्र सिंह चौहान नये नाम से जाना जाऊंगा.

पुराना नाम :

(गजेन्द्र सिंह)

आत्मज-स्व. विश्वनाथ सिंह चौहान.

(09-बी.)

नया नाम :

(गजेन्द्र सिंह चौहान)

आत्मज-स्व. विश्वनाथ सिंह चौहान.

उप-नाम परिवर्तन

मैं, काशी राम कोल, कार्यालय संचालक (तकनीकी) म. प्र. पा. ज. कं. लि जबलपुर, शक्तिभवन रामपुर में कार्यरत हूँ मैंने काशी राम गोंटिया नाम, परिवर्तन शपथ-पत्र द्वारा कर लिया है। इसके पूर्व में, काशी राम कोल के नाम से जाना जाता था। शासकीय अभिलेख में मेरा नाम काशीराम कोल के नाम से उल्लेख है, जो अब इस नये नाम काशी राम गोंटिया के नाम से जाना जाऊँ व सभी शासकीय अभिलेख में मेरा नये नाम से सम्बोधन किया जाये। अतः आज से काशी राम गोंटिया नये नाम से जाना जाऊँगा।

पुराना नाम :

(काशी राम कोल)

आत्मज स्व. नत्थू लाल गोंटियां।

(10-बी.)

नया नाम :

(काशी राम गोंटिया)

आत्मज स्व. नत्थू लाल गोंटियां।

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पक्षकार संदीप पारनाईक पिता शरद पारनाईक, निवासी-फ्लेट नं. 201, कृष्णा रिजेंसी, गोकुल नगर, कनाड़िया रोड, इन्दौर को पूर्व में चारूहास पारनाईक के नाम से जाना जाता था एवं वर्तमान में मेरे पक्षकार द्वारा अपना नाम परिवर्तन कर लिया गया है। मेरे पक्षकार के समस्त दस्तावेजों में पूर्व का नाम चारूहास पारनाईक अंकित है जिसे परिवर्तन करने के लिये मेरे पक्षकार द्वारा विधि अनुसार कार्यवाही की जा रही है। अतः भविष्य में इस जाहिर सूचना प्रकाशन के पश्चात् मेरे पक्षकार को संदीप पारनाईक पिता शरद पारनाईक के ही नाम से जाना एवं पहचाना जावेगा। जिस सम्बन्ध में यह जाहिर सूचना प्रकाशित की जा रही है। यदि तत्संबंध में किसी व्यक्ति, संस्था, निकाय को किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो, तो वह मय लेखी प्रमाण के 07 दिवस के भीतर मेरे कार्यालय में प्रेषित करे।

राजन अर्जुन कालदाते,

(अभिभाषक),

(21-बी.)

उप-नाम परिवर्तन

यहकि मैं अपनी स्वेच्छा से अपना नाम जय बिरमानिया के स्थान पर जय मेहरा करना चाहता हूँ तथा भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना व पहचाना जावे एवं मेरे समस्त शैक्षणिक, निवास व पहचान संबंधी अभिलेख में दर्ज किया जावे।

पुराना नाम :

(जय बिरमानिया)

नया नाम :

(जय मेहरा)

पता-म. नं. 24, ऋषिकेश विहार,
भारतीय स्टेट बैंक के पास,
बाग मुगालिया, भोपाल (म. प्र.)

(23-बी.)

उप-नाम परिवर्तन

यहकि मैं अपनी स्वेच्छा से अपना नाम विजय बिरमानिया के स्थान पर विजय मेहरा करना चाहता हूँ तथा भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना व पहचाना जावे एवं समस्त शैक्षणिक, निवास व पहचान संबंधी अभिलेख में दर्ज किया जावे।

पुराना नाम :

(विजय बिरमानिया)

नया नाम :

(विजय मेहरा)

(24-बी.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मैसर्स ग्वालियर हाईवे सर्विसेस स्थित ए. बी. रोड, नयागांव, तहसील घाटीगांव व जिला ग्वालियर में है तथा उक्त फर्म के साझेदार अमर सिंह पवार पुत्र श्री शंकर राव पवार, निवासी-मांडरे की माता, लशकर, ग्वालियर जो कि अपनी स्वयं की इच्छा से पृथक् होना चाहते हैं जिन्हें दिनांक 31-03-2017 को उक्त फर्म के शेष साझेदार द्वारा पृथक् कर दिया है तथा दिनांक 01-04-2017 से नवीन साझेदार श्री विवेक सिंह पुत्र श्री रामलखन सिंह, निवासी-एच. आई. जी. 193 माधव नगर, ग्वालियर को उक्त फर्म में 49 प्रतिशत साझेदार के रूप में सम्मिलित किया जाता है।

अतः सर्व-साधारण सूचित होवें।

मैसर्स ग्वालियर हाईवे सर्विसेस,

नरेन्द्र सिंह,

(पार्टनर),

स्थित ए. बी. रोड, नयागांव,

तहसील घाटीगांव व जिला ग्वालियर।

(07-बी.)

जाहिर सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि प्रार्थी फर्म मैसर्स अचल एसोसियेट, 28-अर्जुन नगर, बलवंत नगर के पास, गांधी रोड, ठाटीपुर, ग्वालियर (म. प्र.) ने 17-02-2017 को अपनी साझेदारी फर्म में संशोधन कर श्री अनुज कुमार पाठक पुत्र श्री रामाधर पाठक, निवासी-55, महाराणा प्रताप नगर, लशकर, ग्वालियर (म. प्र.) को दिनांक 01-01-2017 से फर्म से हटा दिया गया है भविष्य में फर्म से संबन्धित किसी भी प्रकार के लेन-देन या अन्य कार्यों में इनका कोई लेन-देन नहीं रहेगा साथ ही अपनी साझेदारी फर्म में संशोधन कर नवीन साझेदार के रूप में श्रीमती सुमन पाठक पत्नि श्री अनुज कुमार पाठक, निवासी-55, महाराणा प्रताप नगर, लशकर, ग्वालियर (म. प्र.) को सम्मिलित किया गया है। भविष्य में फर्म से सम्बन्धित सभी प्रकार के लेन-देन या अन्य कार्यों में अपने शेर के मुताबिक जिम्मेदार होंगे और वे फर्म के चालू रहने वाले अन्य सभी साझेदारों को स्वीकार है।

मैसर्स अचल एसोसियेट,

रामदुलारे मिश्रा,

28-अर्जुन नगर, बलवंत नगर के पास,

गांधी रोड, ठाटीपुर ग्वालियर (म. प्र.).

(11-बी.)

जाहिर सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि प्रार्थी फर्म मैसर्स ए एस आर इन्फ्राटेक ग्रुप, दुकान नं.-06, कुबेर अपार्टमेंट, आर. के. व्ही. एम. रोड, ग्वालियर (म. प्र.) ने 01-12-2016 को अपनी साझेदारी फर्म में संशोधन कर फर्म का पता परिवर्तित कर नया पता-कमल सिंह का बाग, बडा कुआ के पास, सिन्धे की छावनी, लशकर ग्वालियर (म. प्र.) कर दिया है साथ ही फर्म में संशोधन कर श्रीमती यशशिवनी भार्गव पुत्री श्री नागेन्द्र ऋषीस्वर निवासी-40, गांधी इन्वलेव, गांधी रोड, ग्वालियर (म. प्र.) एवं श्री शैलेन्द्र सिंह जादौन पुत्र स्व. श्री एम. पी. एस. जादौन, निवासी-रणधीर कॉलोनी, गोले का मन्दिर, ग्वालियर (म. प्र.) को फर्म से हटा दिया गया है भविष्य में फर्म से संबन्धित किसी भी प्रकार के लेन-देन या अन्य कार्यों में इनका कोई लेना-देना नहीं रहेगा एवं अपनी साझेदारी फर्म में संशोधन कर नवीन साझेदार के रूप में श्री जितेन्द्र सिंह तोमर पुत्र श्री गिरधावर सिंह तोमर, निवासी-सी. एल.-47, दीनदयाल नगर, ग्वालियर (म. प्र.) एवं कुमारी मीतू चौहान पुत्री श्री राजकुमार सिंह चौहान, निवासी-कमल सिंह का बाग, बडा कुआं के पास, सिन्धे की छावनी, लशकर, ग्वालियर (म. प्र.) को सम्मिलित किया गया है भविष्य में फर्म से सम्बन्धित सभी प्रकार के लेन-देन या अन्य कार्यों में अपने शेर के मुताबिक जिम्मेदार होंगे और वे फर्म के चालू रहने वाले अन्य साझेदारों को स्वीकार है।

मैसर्स ए एस आर इन्फ्राटेक ग्रुप,

अमित मिश्रा,

(पार्टनर).

(12-बी.)

जाहिर सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि श्री कन्हैयालाल रामलानी आत्मज श्री निहालचंद रामलानी, निवासी 101, मंगलम अपार्टमेंट वेदनगर, उज्जैन (म. प्र.) को फर्म मैसर्स श्री साईं कंस्ट्रक्शन, 70 संतराम सिंधी कॉलोनी, सांवेर रोड उज्जैन (म. प्र.) रजिस्ट्रेशन नं. 07/33/01/00031/06 में दिनांक 01-04-2013 को भागीदारी फर्म से पृथक् हो गये हैं। इस परिवर्तन के पश्चात् दिनांक 01-04-2013 से फर्म मैसर्स श्री साईं कंस्ट्रक्शन, 70 संतराम सिंधी कॉलोनी, सांवेर रोड उज्जैन (म. प्र.) में निम्नलिखित भागीदार रह गये हैं-1. गिरधारीलाल पिता बरियलदास लालवानी, 2. चेतनकुमार पिता श्री मेघराजमल केवलानी, 3. संतोष पिता श्री हजारीलाल लालवानी. दिनांक 01-04-2013 स्थान उज्जैन (म. प्र.).

वास्ते-मै. श्री साईं कंस्ट्रक्शन,

गिरधारीलाल,

(भागीदार).

(13-बी.)

70, संतराम सिंधी कॉलोनी, उज्जैन.

जाहिर सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मैसर्स श्री साईं कंस्ट्रक्शन, 70, संतराम सिंधी कॉलोनी, सांवेर रोड उज्जैन (म. प्र.) जिसका पंजीयन क्रमांक 07/33/01/00031/06 में दिनांक 01-11-2011 है। जिसमें दिनांक 01-07-2016 को भागीदारी 1. चेतनकुमार पिता श्री मेघराजमल केवलानी, निवासी 130, संतराम सिंधी कॉलोनी, उज्जैन (म. प्र.) अपनी स्वेच्छा से पृथक् हो गये हैं एवं इसी दिनांक 01-07-2016 से श्री गिरधारीलाल लालवानी पिता श्री बरियलदास लालवानी, निवासी 98, संतराम सिंधी कॉलोनी, उज्जैन (म. प्र.) एवं श्री संतोष लालवानी पिता श्री हजारीलाल लालवानी, निवासी 97, संतराम सिंधी कॉलोनी, उज्जैन (म. प्र.) फर्म में रह गये हैं। सर्वजन एवं आमजन सूचित हो.

वास्ते-मै. श्री साईं कंस्ट्रक्शन,

गिरधारीलाल लालवानी,

(भागीदार).

(14-बी.)

उज्जैन (म. प्र.).

जाहिर सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि, श्री चेतन कुमार पिता मेघराज केवलानी, निवासी 130, संतराम सिंधी कॉलोनी, उज्जैन को फर्म श्री साईं कंस्ट्रक्शन, संतराम सिंधी कॉलोनी, उज्जैन रजिस्ट्रेशन नं. 07/33/00031/06 में भागीदार के रूप में दिनांक 01-11-2011 को लिया गया है एवं श्री कमल माखिजा पिता बूलचंद माखिजा, निवासी 53, संतराम सिंधी कॉलोनी, उज्जैन एवं श्री ईश्वर माखिजा पिता श्री बूलचंद माखिजा, निवासी 53, संतराम सिंधी कॉलोनी, उज्जैन फर्म मे. श्री साईं कंस्ट्रक्शन, संतराम सिंधी कॉलोनी उज्जैन में रजिस्ट्रेशन नं. 07/33/00031/06 में भागीदार में से दिनांक 01-11-2011 को भागीदारी से पृथक् हो गये हैं। इस परिवर्तन के पश्चात् दिनांक 01-11-2011 से फर्म मै. श्री साईं कंस्ट्रक्शन, संतराम सिंधी कॉलोनी, उज्जैन में निम्नलिखित भागीदार रह गये हैं- 1. गिरधारीलाल पिता बरियलदास लालवानी, 2. संतोष पिता श्री हजारीलाल लालवानी, 3. कन्हैयालाल पिता श्री निहालचंद रामलानी 4. चेतनकुमार पिता श्री मेघराजमल केवलानी. दिनांक 16-11-2011 स्थान उज्जैन.

वास्ते-मै. श्री साईं कंस्ट्रक्शन,
गिरधारीलाल,
(भागीदार).
संतराम सिंधी कॉलोनी, उज्जैन.

(15-बी.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मैसर्स गौरी कन्स्ट्रक्शन कम्पनी, स्थित होटल सोनचिरैया के पास, वायपास रोड, शिवपुरी जिसका पंजीयन क्रमांक 02/41/01/00140/06, दिनांक 07-02-2006 है. जिसमें दिनांक 16-01-2017 को श्री सूर्या कनकोरिया पुत्र श्री जगमोहन कनकोरिया, निवासी धर्मतालपुरा, दतिया नवीन भागीदार के रूप में सम्मिलित हो रहे हैं. आमजन एवं सर्वजन सूचित हों.

फर्म गौरी कन्स्ट्रक्शन कम्पनी,
राजेश शर्मा,
(भागीदार),
होटल सोनचिरैया के पास, शिवपुरी.

(16-बी.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मैसर्स गौरी कन्स्ट्रक्शन कम्पनी, स्थित होटल सोनचिरैया के पास, वायपास रोड, शिवपुरी जिसका पंजीयन क्रमांक 02/41/01/00140/06, दिनांक 07-02-2006 है. जिसमें दिनांक 07-08-2014 को श्री एन. चिन्ना स्वामी पुत्र श्री एम. नलस्वामी, निवासी 21, नियर अयप्पा टेंपल, बंगलोर नवीन भागीदार के रूप में सम्मिलित हो रहे हैं. आमजन एवं सर्वजन सूचित हों.

फर्म गौरी कन्स्ट्रक्शन कम्पनी,
राजेश शर्मा,
(भागीदार),
होटल सोनचिरैया के पास, शिवपुरी.

(17-बी.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मैसर्स गौरी कन्स्ट्रक्शन कम्पनी, स्थित होटल सोनचिरैया के पास, वायपास रोड, शिवपुरी जिसका पंजीयन क्रमांक 02/41/01/00140/06, दिनांक 07-02-2006 है. जिसमें दिनांक 25-10-2011 को (1) अंगूरी देवी पत्नि श्री आर. सी. शर्मा, (2) अनुपमा शर्मा पत्नि श्री सुरेन्द्र शर्मा, (3) सुषमा पाण्डेय पत्नि श्री महेश पाण्डेय, (4) आरती शर्मा पत्नि श्री अरविन्द कुमार शर्मा, समस्त निवासीगण नियर होटल सोनचिरैया, वायपास शिवपुरी (5) विनोद नायक पुत्र श्री प्रीतम नायक, निवासी ग्राम गुराबल, जिला शिवपुरी अपनी स्वेच्छा से फर्म से पृथक् हो रहे हैं. एवं इसी दिनांक 25-10-2011 को (1) श्री लायक सिंह कुशवाह पुत्र श्री रघुवीर सिंह कुशवाह, निवासी दीनदयाल नगर, ग्वालियर, (2) अरविन्द शर्मा पुत्र श्री आर. सी. शर्मा, निवासी नियर होटल सोनचिरैया, वायपास शिवपुरी फर्म में नवीन भागीदार के रूप में सम्मिलित हो रहे हैं. आमजन एवं सर्वजन सूचित हों.

फर्म गौरी कन्स्ट्रक्शन कम्पनी,
सुरेन्द्र शर्मा,
(भागीदार),
होटल सोनचिरैया के पास, शिवपुरी.

(18-बी.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मैसर्स गौरी कन्स्ट्रक्शन कम्पनी, स्थित होटल सोनचिरैया के पास, वायपास रोड, शिवपुरी जिसका पंजीयन क्रमांक 02/41/01/00140/06, दिनांक 07-02-2006 है। जिसमें दिनांक 06-01-2014 को श्री सुरेन्द्र शर्मा पुत्र श्री आर. सी. शर्मा, निवासी नियर होटल सोनचिरैया, वायपास शिवपुरी की मृत्यु हो जाने के कारण फर्म से पृथक् हो गये हैं। एवं इसी दिनांक 06 जनवरी, 2014 को अनुपमा शर्मा पति स्व. श्री सुरेन्द्र शर्मा, निवासी नियर होटल सोनचिरैया, वायपास शिवपुरी फर्म में नवीन भागीदार के रूप में सम्मिलित हो रहे हैं। आमजन एवं सर्वजन सूचित हों।

फर्म गौरी कन्स्ट्रक्शन कम्पनी,
राजेश शर्मा,
(भागीदार),

होटल सोनचिरैया के पास, शिवपुरी.

(19-बी.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मैसर्स जय मारुति ग्रिड उद्योग, डी-37, विनय नगर, सेक्टर-3, ग्वालियर जिसका पंजीयन क्रमांक 02/42/1/00222/2011, दिनांक 16-12-2011 है जिसमें दिनांक 27-02-2017 को भागीदार (1) मुकेश यादव पुत्र श्री फेरन सिंह यादव, निवासी किलागेट, ग्वालियर एवं (2) राहुल सिंह राजपूत पुत्र स्व. श्री रामौतार सिंह राजपूत, निवासी किरार कॉलोनी, कम्पू, लश्कर, ग्वालियर, (3) श्री विनोद यादव पुत्र श्री महेश सिंह यादव, निवासी न्यू बस स्टेन्ड, भितरवार, जिला ग्वालियर फर्म से पृथक् हो गये हैं। एवं दिनांक 04-03-2017 को (1) मनीष दुबे पुत्र श्री केशव प्रसाद दुबे, निवासी अमलतास कॉलोनी, गोले का मंदिर, भिण्ड रोड, ग्वालियर, (2) श्री बृजेश शर्मा पुत्र श्री रामस्वरूप शर्मा, निवासी गोविन्दपुरी, ग्वालियर, (3) श्री अमन शर्मा पुत्र श्री श्याम शर्मा, निवासी गंगामाई संतर, मुरार, ग्वालियर, (4) वीरेन्द्र शर्मा पुत्र श्री चोखेराम शर्मा निवासी गांधी नगर, मुरार, ग्वालियर अपने नवीन भागीदार के रूप में सम्मिलित हो रहे हैं। आमजन एवं सर्वजन सूचित हों।

फर्म जय मारुति ग्रिड उद्योग,
आशीष कुमार शर्मा,
(भागीदार),

नवगृह कॉलोनी, सेक्टर नं. 2, गोल पहाड़िया,
लश्कर, ग्वालियर (म. प्र.).

(20-बी.)

आम सूचना

सर्वजन को सूचित किया जाता है कि फर्म मैसर्स सेठ एण्ड संस स्थित ए. बी. रोड गुना (म. प्र.) है, जिसका पंजीयन क्रमांक 25, दिनांक-25-09-2002 है। जिसमें दिनांक 31-03-2016 को भागीदार श्री पुरुषोत्तम दास गुप्ता पुत्र श्री छोटेलाल गुप्ता, निवासी विवेक टॉकीज गली, अशोकनगर (म. प्र.) आपसी सहमति से फर्म से पृथक् हो गये हैं। आमजन एवं सर्वजन सूचित हों।

फर्म मैसर्स सेठ एण्ड संस
विनीत सेठ,
(भागीदार),
गुना (म. प्र.).

(22-बी.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मैसर्स मंगलम फूड प्रोडक्ट्स स्थित मुरैना गांव चौराहा, सोहराना रोड, मुरैना, जिसका पंजीयन क्रमांक 02/44/01/00063/13, दिनांक 03-07-2013 है, जिसमें दिनांक 01-01-2017 को श्री गिरीश चन्द्र अग्रवाल पुत्र श्री भीकाराम अग्रवाल, निवासी मुंशीबाबू की गली, दत्तपुरा, मुरैना (म. प्र.) अपनी स्वेच्छा से फर्म से पृथक् हो गये हैं एवं दिनांक 01-01-2017 को श्रीमती शालिनी अग्रवाल पति श्री सौरभ अग्रवाल, निवासी मुंशीबाबू की गली, दत्तपुरा, मुरैना भागीदारी फर्म में शामिल हो रहे हैं। आमजन एवं सर्वजन सूचित हों।

फर्म मंगलम फूड प्रोडक्ट्स,
चंचल अग्रवाल,
(भागीदार),
मुरैना (म. प्र.).

(25-बी.)

मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इन्दौर

इन्दौर, दिनांक 31 मार्च, 2017

राज्य सेवा प्रारम्भिक परीक्षा-2017, परीक्षा, दिनांक 12 फरवरी, 2017 (रविवार)**संक्षिप्त समाचार-विज्ञप्ति**

वि.क्र.-20660/10/2017/अनु.-10.—मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापित, विज्ञापन क्रमांक-06/परीक्षा/2016, दिनांक 05 दिसम्बर, 2016 ऑनलाईन आवेदन की अंतिम तिथि 08 जनवरी, 2017, (1) शुद्धि-पत्र क्रमांक 01/06/परीक्षा/दिनांक 10-01-2017 पद विवरण में संशोधन, (2) शुद्धि-पत्र क्रमांक 02/06/2016/दिनांक 08-02-2017, नवीन परीक्षा तिथि की सूचना, (3) शुद्धि-पत्र क्रमांक 02/06/परीक्षा/2016, दिनांक 24-03-2017 पदों में संशोधन के अंतर्गत कुल-507 पदों हेतु राज्य सेवा प्रारम्भिक परीक्षा-2017, परीक्षा दिनांक 12-02-2017 (रविवार) दो सत्रों में प्रथम प्रश्नपत्र-सामान्य अध्ययन प्रातः 10.00 से 12.00 बजे एवं द्वितीय प्रश्नपत्र-सामान्य अभिरुचि परीक्षण अपरान्ह 2.15 से 4.15 बजे तक प्रदेश के 51 जिला मुख्यालयों पर परीक्षा आयोजित की गई थी.

उपरोक्त लिखित परीक्षा में राज्य सेवा मुख्य परीक्षा-2017 हेतु प्रावधिक अर्ह आवेदकों का परीक्षा परिणाम आयोग की विज्ञप्ति क्रमांक-20660/10/2017/अनु.-10, दिनांक 31 मार्च, 2017 द्वारा घोषित किया गया है यह परीक्षा परिणाम आयोग की वेबसाइट www.mppsc.com, www.mppscdemo.in एवं www.mppsc.nic.in पर देखा जा सकता है. परिणाम का प्रकाशन "रोजगार और निर्माण" के आगामी अंक में प्रकाशित किया जा रहा है. इस परीक्षा में 230712 आवेदन पत्र प्राप्त हुये एवं समस्त आवेदकों को लिखित परीक्षा में प्रवेशपत्र जारी किये गये थे. इस परीक्षा में कुल-1,95,753 आवेदक उपस्थित हुये. राज्य सेवा मुख्य परीक्षा-2017 हेतु कुल 8,556 आवेदक प्रावधिक अर्ह पाये गये. इनमें से अनारक्षित-4098, अनुसूचित जाति-1382, अनुसूचित जनजाति-1812, अन्य पिछड़ा वर्ग-1264 एवं (कुल अर्ह आवेदकों में महिलाएं कुल-2877, निःशक्तजन (अस्थिबाधित-145, दृष्टिबाधित-77 व श्रवणबाधित-82) कुल-304 सम्मिलित, भूतपूर्व सैनिक-155 एवं समान अंक प्राप्त अर्ह कुल-951 आवेदक सम्मिलित हैं). यह स्पष्ट किया जाता है, कि मुद्रण की त्रुटियों के लिये आयोग जिम्मेदार नहीं होगा एवं आयोग कार्यालय में रखी परीक्षाफल की सूची ही प्रमाणित मानी जाएगी.

2. राज्य सेवा प्रारम्भिक परीक्षा-2017 अर्ह आवेदकों के लिये राज्य सेवा मुख्य परीक्षा-2017 की लिखित परीक्षा, दिनांक पृथक् से घोषित की जाएगी. इस हेतु आयोग की वेबसाइट www.mppsc.com, www.mppscdemo.in एवं www.mppsc.nic.in पर सूचना जारी की जाएगी.
3. राज्य सेवा मुख्य परीक्षा-2017 लिखित परीक्षा के समय प्रवेश-पत्र के साथ आवेदक अपना मूल फोटो पहचान-पत्र अनिवार्य रूप से साथ लायेंगे. परीक्षा के समय इसकी प्रतिदिन जांच की जावेगी. मूल पहचान-पत्र प्रवेश-पत्र के साथ नहीं लाने पर परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी.
4. अर्ह आवेदक राज्य सेवा मुख्य परीक्षा-2017 में बैठने हेतु आवेदन-पत्र एम. पी. ऑनलाईन से दिनांक 03 अप्रैल, 2017 से 06 मई, 2017 तक भर सकेंगे. इसकी विस्तृत जानकारी आयोग की वेबसाइट पर जारी कर दी जावेगी.
5. आवेदन-पत्र में त्रुटिपूर्ण, अपूर्ण, असत्य जानकारी देने अथवा आयोग की विज्ञप्ति द्वारा चाही गई वांछित औपचारिकताएं पूर्ण न करने के परिणामस्वरूप चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक को अनर्ह किया जावेगा.
6. लिखित परीक्षा परिणाम प्रकाशित होने के बाद भी यदि कोई कम्प्यूटर त्रुटि/लिपिकीय त्रुटि ध्यान में आती है तो आयोग को परीक्षा परिणाम सुधारने का अधिकार सुरक्षित है.

दिनेश जैन,
परीक्षा नियंत्रक.

(1149)

इन्दौर, दिनांक 31 मार्च, 2017

राज्य सेवा प्रारम्भिक परीक्षा-2017, परीक्षा दिनांक 12 फरवरी, 2017 (रविवार)**लिखित परीक्षा परिणाम**

वि.क्र.-20660/10/2017/अनु.-10.—मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापित, विज्ञापन क्रमांक-06/परीक्षा/2016, दिनांक 05 दिसम्बर, 2016 ऑनलाईन आवेदन अंतिम तिथि 08 जनवरी, 2017, (1) शुद्धि-पत्र क्रमांक 01/06/परीक्षा/दिनांक 10-01-2017 पद विवरण में संशोधन, (2) शुद्धि-पत्र क्रमांक 02/06/2016/दिनांक 08-02-2017, नवीन परीक्षा तिथि की सूचना, (3) शुद्धि-पत्र क्रमांक 02/06/परीक्षा/2016, दिनांक 24-03-2017 पदों में संशोधन के अंतर्गत कुल-507 पदों हेतु राज्य सेवा प्रारम्भिक परीक्षा-2017, परीक्षा दिनांक 12-02-2017 (रविवार) को दो सत्रों में प्रथम प्रश्नपत्र-सामान्य अध्ययन प्रातः 10.00 से 12.00 बजे एवं द्वितीय प्रश्नपत्र-सामान्य अभिरुचि परीक्षण अपरान्ह 2.15 से 4.15 बजे तक प्रदेश के 51 जिला मुख्यालयों पर परीक्षा आयोजित की गई थी.

उपरोक्त परीक्षा में पद संख्या के 15 गुना जिसमें समान अंक प्राप्त अर्ह आवेदक सम्मिलित हैं. कुल श्रेणीवार प्रावधिक अर्ह आवेदकों

की संख्या-8556 है. इनमें से श्रेणीवार प्रावधिक अर्ह आवेदकों की संख्या निम्नानुसार है:-

श्रेणी	विज्ञापित पद-507	प्रावधिक अर्ह आवेदकों की संख्या 8556 (इनमें श्रेणीवार, समान अंक निःशक्त एवं भूतपूर्व सैनिक आवेदक भी सम्मिलित हैं)
अनारक्षित (UR)-	237	4098
अनुसूचित जाति (SC)-	88	1382
अनुसूचित जनजाति (ST)-	111	1812
अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)-	71	1264

कुल अर्ह-8556 आवेदकों में, समान अंक कुल-951, महिलाएं कुल-2877, निःशक्त (अ.बा., द. बा. एवं श्र.बा.) कुल-304 एवं भूतपूर्व सैनिक कुल-155 सम्मिलित हैं.

राज्य सेवा मुख्य परीक्षा-2017 हेतु प्रावधिक अर्ह पाए गए-8556 आवेदकों के रोल नम्बर निम्नानुसार है:-

MADHYA PRADESH PUBLIC SERVICE COMMISSION

STATE SERVICE PRELIMINARY EXAM-2017

ROLL No. WISE LIST OF SELECTED CANDIDATES (PROVISIONAL)

S. No.	Roll No.	S. No.	Roll No.	S. No.	Roll No.	S. No.	Roll No.	S. No.	Roll No.
1.	100043	31.	100341	61.	100651	91.	100991	121.	101270
2.	100047	32.	100347	62.	100675	92.	100995	122.	101273
3.	100066	33.	100357	63.	100680	93.	101002	123.	101279
4.	100076	34.	100365	64.	100687	94.	101014	124.	101282
5.	100089	35.	100373	65.	100697	95.	101030	125.	101295
6.	100103	36.	100381	66.	100702	96.	101032	126.	101298
7.	100107	37.	100410	67.	100727	97.	101053	127.	101305
8.	100112	38.	100412	68.	100735	98.	101063	128.	101331
9.	100124	39.	100423	69.	100748	99.	101070	129.	101332
10.	100125	40.	100438	70.	100750	100.	101071	130.	101342
11.	100129	41.	100440	71.	100770	101.	101077	131.	101383
12.	100146	42.	100449	72.	100795	102.	101081	132.	101388
13.	100157	43.	100463	73.	100799	103.	101113	133.	101391
14.	100172	44.	100479	74.	100809	104.	101123	134.	101392
15.	100215	45.	100494	75.	100816	105.	101143	135.	101409
16.	100216	46.	100498	76.	100818	106.	101156	136.	101436
17.	100217	47.	100500	77.	100831	107.	101165	137.	101442
18.	100222	48.	100505	78.	100837	108.	101169	138.	101448
19.	100255	49.	100508	79.	100847	109.	101189	139.	101456
20.	100258	50.	100518	80.	100877	110.	101206	140.	101473
21.	100273	51.	100527	81.	100887	111.	101208	141.	101476
22.	100275	52.	100544	82.	100897	112.	101211	142.	101477
23.	100286	53.	100553	83.	100905	113.	101229	143.	101497
24.	100290	54.	100583	84.	100932	114.	101245	144.	101506
25.	100292	55.	100597	85.	100934	115.	101250	145.	101533
26.	100294	56.	100598	86.	100954	116.	101252	146.	101536
27.	100299	57.	100617	87.	100971	117.	101256	147.	101554
28.	100303	58.	100619	88.	100977	118.	101263	148.	101573
29.	100328	59.	100623	89.	100980	119.	101267	149.	101578
30.	100333	60.	100643	90.	100986	120.	101268	150.	101586

S. No.	Roll No.	S. No.	Roll No.	S. No.	Roll No.	S. No.	Roll No.	S. No.	Roll No.
151.	101603	191.	102182	231.	102609	271.	103121	311.	103672
152.	101640	192.	102194	232.	102622	272.	103151	312.	103676
153.	101641	193.	102197	233.	102649	273.	103157	313.	103725
154.	101650	194.	102215	234.	102652	274.	103165	314.	103744
155.	101667	195.	102230	235.	102656	275.	103182	315.	103760
156.	101673	196.	102237	236.	102663	276.	103189	316.	103779
157.	101682	197.	102251	237.	102682	277.	103196	317.	103783
158.	101689	198.	102252	238.	102686	278.	103197	318.	103784
159.	101694	199.	102253	239.	102692	279.	103200	319.	103785
160.	101701	200.	102259	240.	102693	280.	103235	320.	103802
161.	101712	201.	102264	241.	102702	281.	103237	321.	103810
162.	101718	202.	102269	242.	102746	282.	103240	322.	103831
163.	101747	203.	102279	243.	102769	283.	103244	323.	103855
164.	101752	204.	102285	244.	102778	284.	103245	324.	103866
165.	101769	205.	102289	245.	102789	285.	103255	325.	103867
166.	101771	206.	102294	246.	102795	286.	103260	326.	103882
167.	101776	207.	102317	247.	102809	287.	103292	327.	103929
168.	101821	208.	102332	248.	102816	288.	103299	328.	103951
169.	101823	209.	102340	249.	102817	289.	103313	329.	103984
170.	101830	210.	102350	250.	102852	290.	103326	330.	104027
171.	101867	211.	102353	251.	102856	291.	103331	331.	104030
172.	101870	212.	102366	252.	102859	292.	103337	332.	104035
173.	101896	213.	102367	253.	102870	293.	103349	333.	104039
174.	101901	214.	102397	254.	102873	294.	103359	334.	104044
175.	101944	215.	102401	255.	102881	295.	103415	335.	104049
176.	101960	216.	102433	256.	102890	296.	103420	336.	104083
177.	101968	217.	102438	257.	102985	297.	103429	337.	104084
178.	101977	218.	102447	258.	103002	298.	103447	338.	104120
179.	101982	219.	102462	259.	103008	299.	103461	339.	104142
180.	101983	220.	102483	260.	103011	300.	103485	340.	104149
181.	102005	221.	102496	261.	103021	301.	103500	341.	104160
182.	102031	222.	102507	262.	103038	302.	103509	342.	104172
183.	102033	223.	102513	263.	103049	303.	103547	343.	104177
184.	102068	224.	102531	264.	103056	304.	103551	344.	104181
185.	102082	225.	102544	265.	103057	305.	103560	345.	104196
186.	102086	226.	102546	266.	103061	306.	103581	346.	104197
187.	102104	227.	102563	267.	103065	307.	103646	347.	104227
188.	102130	228.	102587	268.	103084	308.	103657	348.	104254
189.	102152	229.	102588	269.	103094	309.	103666	349.	104264
190.	102161	230.	102602	270.	103105	310.	103670	350.	104266

S. No.	Roll No.	S. No.	Roll No.	S. No.	Roll No.	S. No.	Roll No.	S. No.	Roll No.
351.	104284	391.	104945	431.	105467	471.	106157	511.	106721
352.	104285	392.	104948	432.	105469	472.	106169	512.	106725
353.	104293	393.	104954	433.	105488	473.	106196	513.	106742
354.	104310	394.	104985	434.	105499	474.	106220	514.	106747
355.	104315	395.	105013	435.	105522	475.	106238	515.	106751
356.	104371	396.	105038	436.	105523	476.	106287	516.	106762
357.	104375	397.	105042	437.	105559	477.	106300	517.	106774
358.	104385	398.	105047	438.	105566	478.	106313	518.	106792
359.	104389	399.	105057	439.	105583	479.	106315	519.	106795
360.	104399	400.	105074	440.	105591	480.	106318	520.	106801
361.	104421	401.	105086	441.	105595	481.	106335	521.	106819
362.	104429	402.	105110	442.	105621	482.	106336	522.	106841
363.	104493	403.	105111	443.	105625	483.	106340	523.	106872
364.	104503	404.	105112	444.	105638	484.	106346	524.	106889
365.	104521	405.	105134	445.	105669	485.	106368	525.	106895
366.	104524	406.	105142	446.	105690	486.	106391	526.	106901
367.	104527	407.	105176	447.	105716	487.	106422	527.	106924
368.	104550	408.	105205	448.	105763	488.	106436	528.	106972
369.	104567	409.	105211	449.	105792	489.	106458	529.	106976
370.	104571	410.	105213	450.	105798	490.	106460	530.	106988
371.	104579	411.	105220	451.	105803	491.	106478	531.	106997
372.	104585	412.	105228	452.	105818	492.	106501	532.	107006
373.	104606	413.	105248	453.	105830	493.	106508	533.	107010
374.	104627	414.	105272	454.	105840	494.	106509	534.	107013
375.	104636	415.	105277	455.	105847	495.	106513	535.	107015
376.	104674	416.	105279	456.	105852	496.	106520	536.	107016
377.	104675	417.	105290	457.	105889	497.	106524	537.	107026
378.	104686	418.	105325	458.	105899	498.	106526	538.	107039
379.	104691	419.	105332	459.	105928	499.	106548	539.	107063
380.	104708	420.	105338	460.	105944	500.	106554	540.	107072
381.	104714	421.	105343	461.	105970	501.	106563	541.	107085
382.	104780	422.	105349	462.	105992	502.	106589	542.	107090
383.	104791	423.	105364	463.	106019	503.	106615	543.	107091
384.	104798	424.	105381	464.	106020	504.	106628	544.	107110
385.	104799	425.	105396	465.	106050	505.	106646	545.	107124
386.	104853	426.	105409	466.	106099	506.	106671	546.	107135
387.	104876	427.	105441	467.	106113	507.	106680	547.	107144
388.	104888	428.	105451	468.	106135	508.	106697	548.	107156
389.	104899	429.	105465	469.	106150	509.	106703	549.	107180
390.	104931	430.	105466	470.	106152	510.	106705		

S. No.	Roll No.	S. No.	Roll No.	S. No.	Roll No.	S. No.	Roll No.	S. No.	Roll No.
550.	107181	589.	107741	628.	108316	668.	108921	707.	109635
551.	107195	590.	107769	629.	108345	669.	108928	708.	109700
552.	107211	591.	107770	630.	108359	670.	108937	709.	109714
553.	107236	592.	107788	631.	108388	671.	108961	710.	109720
554.	107237	593.	107798	632.	108407	672.	108974	711.	109723
555.	107263	594.	107842	633.	108428	673.	109011	712.	109747
556.	107265	595.	107871	634.	108433	674.	109083	713.	109763
557.	107277	596.	107889	635.	108436	675.	109089	714.	109790
558.	107283	597.	107914	636.	108449	676.	109093	715.	109793
559.	107297	598.	107946	637.	108463	677.	109105	716.	109804
560.	107299	599.	107948	638.	108469	678.	109110	717.	109840
561.	107362	600.	107949	639.	108491	679.	109125	718.	109857
562.	107368	601.	107959	640.	108496	680.	109128	719.	109885
563.	107386	602.	107974	641.	108502	681.	109154	720.	109894
564.	107416	603.	107982	642.	108510	682.	109168	721.	109925
565.	107426	604.	107992	643.	108530	683.	109175	722.	109929
566.	107436	605.	107996	645.	108547	684.	109198	723.	109941
567.	107453	606.	108034	646.	108550	685.	109223	724.	109957
568.	107455	607.	108043	647.	108564	686.	109235	725.	109960
569.	107456	608.	108061	648.	108570	687.	109237	726.	109969
570.	107484	609.	108066	649.	108586	688.	109244	727.	109976
571.	107508	610.	108069	650.	108603	689.	109247	728.	109985
572.	107514	611.	108088	651.	108614	690.	109323	729.	109989
573.	107534	612.	108113	652.	108622	691.	109329	730.	109999
574.	107541	613.	108115	653.	108673	692.	109405	731.	110003
575.	107552	614.	108121	654.	108675	693.	109413	732.	110019
576.	107564	615.	108133	655.	108684	694.	109455	733.	110052
577.	107592	616.	108144	656.	108707	695.	109468	734.	110060
578.	107593	617.	108146	657.	108720	696.	109492	735.	110062
579.	107600	618.	108147	658.	108721	697.	109512	736.	110081
580.	107612	619.	108163	659.	108742	698.	109513	737.	110090
581.	107652	620.	108177	660.	108760	699.	109515	738.	110097
582.	107659	621.	108243	661.	108762	700.	109528	739.	110126
583.	107665	622.	108280	662.	108783	701.	109563	740.	110129
584.	107678	623.	108286	663.	108830	702.	109567	741.	110178
585.	107689	624.	108293	664.	108874	703.	109601	742.	110182
586.	107721	625.	108300	665.	108881	704.	109611	743.	110188
587.	107736	626.	108301	666.	108895	705.	109622	744.	110214
588.	107738	627.	108314	667.	108914	706.	109629	745.	110244

S. No.	Roll No.	S. No.	Roll No.	S. No.	Roll No.	S. No.	Roll No.	S. No.	Roll No.
746.	110265	786.	110832	825.	111387	864.	112000	903.	112704
747.	110270	787.	110848	826.	111421	865.	112024	904.	112717
748.	110293	788.	110868	827.	111429	866.	112026	905.	112718
749.	110326	789.	110883	828.	111440	867.	112043	906.	112746
750.	110378	790.	110888	829.	111452	868.	112103	907.	112752
751.	110380	791.	110892	830.	111475	869.	112106	908.	112758
752.	110385	792.	110932	831.	111478	870.	112161	909.	112771
753.	110396	793.	110954	832.	111483	871.	112199	910.	112798
754.	110432	794.	110996	833.	111538	872.	112201	911.	112813
755.	110471	795.	111008	834.	111557	873.	112205	912.	112865
756.	110472	796.	111042	835.	111563	874.	112216	913.	112869
757.	110493	797.	111044	836.	111567	875.	112234	914.	112897
758.	110528	798.	111066	837.	111583	876.	112246	915.	112898
759.	110529	799.	111084	838.	111594	877.	112283	916.	112911
760.	110534	800.	111086	839.	111599	878.	112293	917.	112925
761.	110535	801.	111094	840.	111606	879.	112310	918.	112955
762.	110559	802.	111105	841.	111614	880.	112319	919.	112964
763.	110570	803.	111106	842.	111630	881.	112330	920.	112983
764.	110581	804.	111108	843.	111645	882.	112331	921.	112998
765.	110610	805.	111126	844.	111662	883.	112368	922.	112999
766.	110629	806.	111128	845.	111700	884.	112391	923.	113009
767.	110634	807.	111129	846.	111701	885.	112402	924.	113010
768.	110665	808.	111145	847.	111704	886.	112417	925.	113024
769.	110666	809.	111166	848.	111736	887.	112418	926.	113041
770.	110675	810.	111201	849.	111753	888.	112436	927.	113070
771.	110679	811.	111209	850.	111776	889.	112460	928.	113081
772.	110681	812.	111233	851.	111797	890.	112464	929.	113094
773.	110682	813.	111235	852.	111803	891.	112472	930.	113123
774.	110685	814.	111248	853.	111838	892.	112485	931.	113140
775.	110701	815.	111258	854.	111839	893.	112573	932.	113164
776.	110702	816.	111287	855.	111845	894.	112586	933.	113177
777.	110705	817.	111290	856.	111877	895.	112634	934.	113179
778.	110720	818.	111295	857.	111890	896.	112643	935.	113183
779.	110722	819.	111303	858.	111899	897.	112648	936.	113201
780.	110757	820.	111318	859.	111902	898.	112649	937.	113202
781.	110769	821.	111324	860.	111915	899.	112661	938.	113209
782.	110776	822.	111342	861.	111929	900.	112687	939.	113211
783.	110778	823.	111343	862.	111958	901.	112693	940.	113245
784.	110786	824.	111355	863.	111974	902.	112696	941.	113269

S. No.	Roll No.	S. No.	Roll No.	S. No.	Roll No.	S. No.	Roll No.	S. No.	Roll No.
942.	113278	981.	113847	1020.	114387	1059.	114928	1098.	115454
943.	113282	982.	113862	1021.	114389	1060.	114929	1099.	115485
944.	113303	983.	113879	1022.	114390	1061.	114967	1100.	115489
945.	113310	984.	113880	1023.	114392	1062.	114972	1101.	115520
946.	113330	985.	113881	1024.	114401	1063.	114982	1102.	115522
947.	113348	986.	113934	1025.	114466	1064.	114999	1103.	115545
948.	113350	987.	113941	1026.	114476	1065.	115006	1104.	115548
949.	113352	988.	113976	1027.	114477	1066.	115021	1105.	115564
950.	113353	989.	113984	1028.	114488	1067.	115044	1106.	115566
951.	113362	990.	113990	1029.	114516	1068.	115053	1107.	115568
952.	113369	991.	114029	1030.	114518	1069.	115079	1108.	115582
953.	113391	992.	114034	1031.	114524	1070.	115082	1109.	115596
954.	113483	993.	114038	1032.	114534	1071.	115097	1110.	115599
955.	113499	994.	114051	1033.	114544	1072.	115099	1111.	115606
956.	113500	995.	114056	1034.	114566	1073.	115101	1112.	115607
957.	113503	996.	114061	1035.	114579	1074.	115110	1113.	115619
958.	113504	997.	114067	1036.	114593	1075.	115133	1114.	115637
959.	113550	998.	114115	1037.	114607	1076.	115144	1115.	115653
960.	113561	999.	114118	1038.	114614	1077.	115167	1116.	115654
961.	113583	1000.	114120	1039.	114619	1078.	115174	1117.	115674
962.	113584	1001.	114126	1040.	114627	1079.	115200	1118.	115709
963.	113600	1002.	114146	1041.	114642	1080.	115206	1119.	115711
964.	113606	1003.	114157	1042.	114643	1081.	115220	1120.	115714
965.	113608	1004.	114209	1043.	114678	1082.	115229	1121.	115732
966.	113625	1005.	114220	1044.	114681	1083.	115235	1122.	115738
967.	113626	1006.	114226	1045.	114687	1084.	115241	1123.	115739
968.	113629	1007.	114258	1046.	114713	1085.	115263	1124.	115745
969.	113640	1008.	114274	1047.	114750	1086.	115264	1125.	115784
970.	113653	1009.	114277	1048.	114758	1087.	115303	1126.	115786
971.	113656	1010.	114292	1049.	114762	1088.	115320	1127.	115790
972.	113683	1011.	114296	1050.	114764	1089.	115333	1128.	115809
973.	113741	1012.	114308	1051.	114771	1090.	115336	1129.	115818
974.	113748	1013.	114323	1052.	114817	1091.	115347	1130.	115866
975.	113750	1014.	114336	1053.	114879	1092.	115354	1131.	115868
976.	113752	1015.	114345	1054.	114881	1093.	115361	1132.	115874
977.	113757	1016.	114365	1055.	114884	1094.	115367	1133.	115878
978.	113766	1017.	114372	1056.	114890	1095.	115383	1134.	115895
979.	113768	1018.	114373	1057.	114901	1096.	115394	1135.	115923
980.	113801	1019.	114382	1058.	114908	1097.	115434	1136.	115939

S. No.	Roll No.	S. No.	Roll No.	S. No.	Roll No.	S. No.	Roll No.	S. No.	Roll No.
1137.	115943	1176.	116419	1215.	116848	1254.	117407	1293.	117981
1138.	115944	1177.	116431	1216.	116849	1255.	117410	1294.	117984
1139.	115945	1178.	116434	1217.	116856	1256.	117418	1295.	117997
1140.	115959	1179.	116479	1218.	116864	1257.	117433	1296.	118001
1141.	115991	1180.	116489	1219.	116889	1258.	117438	1297.	118003
1142.	115994	1181.	116503	1220.	116891	1259.	117452	1298.	118008
1143.	116005	1182.	116513	1221.	116905	1260.	117465	1299.	118020
1144.	116044	1183.	116525	1222.	116923	1261.	117474	1300.	118061
1145.	116054	1184.	116533	1223.	116940	1262.	117495	1301.	118124
1146.	116056	1185.	116545	1224.	116949	1263.	117501	1302.	118127
1147.	116062	1186.	116558	1225.	116983	1264.	117510	1303.	118155
1148.	116079	1187.	116588	1226.	116998	1265.	117520	1304.	118179
1149.	116080	1188.	116592	1227.	117003	1266.	117531	1305.	118185
1150.	116093	1189.	116608	1228.	117026	1267.	117532	1306.	118201
1151.	116119	1190.	116627	1229.	117070	1268.	117537	1307.	118204
1152.	116136	1191.	116630	1230.	117123	1269.	117543	1308.	118207
1153.	116147	1192.	116643	1231.	117146	1270.	117548	1309.	118208
1154.	116156	1193.	116645	1232.	117182	1271.	117563	1310.	118212
1155.	116160	1194.	116649	1233.	117200	1272.	117580	1311.	118219
1156.	116180	1195.	116661	1234.	117202	1273.	117599	1312.	118225
1157.	116202	1196.	116674	1235.	117212	1274.	117604	1313.	118232
1158.	116208	1197.	116689	1236.	117226	1275.	117624	1314.	118241
1159.	116218	1198.	116693	1237.	117230	1276.	117637	1315.	118306
1160.	116221	1199.	116703	1238.	117255	1277.	117654	1316.	118311
1161.	116234	1200.	116732	1239.	117258	1278.	117682	1317.	118346
1162.	116242	1201.	116734	1240.	117263	1279.	117751	1318.	118354
1163.	116245	1202.	116738	1241.	117275	1280.	117758	1319.	118362
1164.	116250	1203.	116750	1242.	117276	1281.	117761	1320.	118364
1165.	116262	1204.	116752	1243.	117281	1282.	117784	1321.	118371
1166.	116278	1205.	116764	1244.	117298	1283.	117822	1322.	118393
1167.	116281	1206.	116765	1245.	117321	1284.	117840	1323.	118395
1168.	116289	1207.	116770	1246.	117334	1285.	117872	1324.	118418
1169.	116313	1208.	116773	1247.	117337	1286.	117890	1325.	118419
1170.	116320	1209.	116780	1248.	117351	1287.	117906	1326.	118433
1171.	116329	1210.	116782	1249.	117369	1288.	117913	1327.	118463
1172.	116332	1211.	116789	1250.	117370	1289.	117949	1328.	118466
1173.	116366	1212.	116801	1251.	117376	1290.	117960	1329.	118505
1174.	116371	1213.	116807	1252.	117380	1291.	117968	1330.	118573
1175.	116374	1214.	116844	1253.	117398	1292.	117977	1331.	118576

S. No.	Roll No.	S. No.	Roll No.	S. No.	Roll No.	S. No.	Roll No.	S. No.	Roll No.
1332.	118585	1372.	119255	1412.	119761	1452.	120259	1492.	120819
1333.	118597	1373.	119257	1413.	119775	1453.	120292	1493.	120826
1334.	118605	1374.	119265	1414.	119781	1454.	120295	1494.	120830
1335.	118617	1375.	119277	1415.	119784	1455.	120300	1495.	120840
1336.	118630	1376.	119300	1416.	119789	1456.	120305	1496.	120841
1337.	118684	1377.	119301	1417.	119790	1457.	120314	1497.	120865
1338.	118686	1378.	119312	1418.	119814	1458.	120324	1498.	120887
1339.	118690	1379.	119331	1419.	119826	1459.	120334	1499.	120902
1340.	118694	1380.	119343	1420.	119833	1460.	120339	1500.	120929
1341.	118718	1381.	119346	1421.	119839	1461.	120342	1501.	120943
1342.	118722	1382.	119365	1422.	119861	1462.	120350	1502.	120947
1343.	118732	1383.	119382	1423.	119870	1463.	120351	1503.	120954
1344.	118747	1384.	119392	1424.	119901	1464.	120369	1504.	120955
1345.	118760	1385.	119404	1425.	119909	1465.	120382	1505.	120986
1346.	118814	1386.	119405	1426.	119917	1466.	120387	1506.	120987
1347.	118835	1387.	119420	1427.	119942	1467.	120400	1507.	120995
1348.	118847	1388.	119437	1428.	119962	1468.	120411	1508.	121021
1349.	118858	1389.	119453	1429.	119978	1469.	120415	1509.	121039
1350.	118866	1390.	119463	1430.	120013	1470.	120425	1510.	121048
1351.	118874	1391.	119475	1431.	120040	1471.	120470	1511.	121091
1352.	118880	1392.	119493	1432.	120069	1472.	120488	1512.	121092
1353.	118883	1393.	119503	1433.	120070	1473.	120489	1513.	121115
1354.	118887	1394.	119505	1434.	120074	1474.	120490	1514.	121124
1355.	118896	1395.	119513	1435.	120098	1475.	120493	1515.	121138
1356.	118899	1396.	119516	1436.	120129	1476.	120545	1516.	121151
1357.	118926	1397.	119525	1437.	120161	1477.	120558	1517.	121171
1358.	118930	1398.	119534	1438.	120163	1478.	120560	1518.	121174
1359.	118952	1399.	119536	1439.	120165	1479.	120589	1519.	121202
1360.	118984	1400.	119539	1440.	120175	1480.	120612	1520.	121207
1361.	119033	1401.	119551	1441.	120179	1481.	120619	1521.	121212
1362.	119042	1402.	119553	1442.	120190	1482.	120692	1522.	121225
1363.	119058	1403.	119558	1443.	120195	1483.	120715	1523.	121238
1364.	119083	1404.	119567	1444.	120207	1484.	120719	1524.	121239
1365.	119107	1405.	119588	1445.	120211	1485.	120723	1525.	121249
1366.	119120	1406.	119600	1446.	120219	1486.	120746	1526.	121258
1367.	119162	1407.	119613	1447.	120222	1487.	120778	1527.	121260
1368.	119169	1408.	119632	1448.	120225	1488.	120808	1528.	121263
1369.	119172	1409.	119650	1449.	120250	1489.	120812	1529.	121275
1370.	119208	1410.	119662	1450.	120251	1490.	120816	1530.	121287
1371.	119233	1411.	119752	1451.	120252	1491.	120817	1531.	121322

S. No.	Roll No.	S. No.	Roll No.	S. No.	Roll No.	S. No.	Roll No.	S. No.	Roll No.
1532.	121325	1572.	121765	1612.	122444	1652.	122917	1692.	123513
1533.	121352	1573.	121801	1613.	122450	1653.	122966	1693.	123523
1534.	121358	1574.	121809	1614.	122457	1654.	122974	1694.	123534
1535.	121366	1575.	121816	1615.	122474	1655.	122994	1695.	123559
1536.	121368	1576.	121819	1616.	122491	1656.	123002	1696.	123573
1537.	121386	1577.	121828	1617.	122498	1657.	123025	1697.	123580
1538.	121394	1578.	121844	1618.	122502	1658.	123029	1698.	123584
1539.	121404	1579.	121871	1619.	122534	1659.	123048	1699.	123602
1540.	121414	1580.	121885	1620.	122581	1660.	123057	1700.	123633
1541.	121420	1581.	121927	1621.	122582	1661.	123070	1701.	123636
1542.	121421	1582.	121932	1622.	122622	1662.	123112	1702.	123671
1543.	121427	1583.	121959	1623.	122626	1663.	123134	1703.	123676
1544.	121428	1584.	121962	1624.	122631	1664.	123144	1704.	123683
1545.	121436	1585.	121992	1625.	122634	1665.	123147	1705.	123712
1546.	121439	1586.	122002	1626.	122655	1666.	123160	1706.	123713
1547.	121440	1587.	122026	1627.	122679	1667.	123168	1707.	123754
1548.	121479	1588.	122037	1628.	122680	1668.	123171	1708.	123774
1549.	121488	1589.	122082	1629.	122709	1669.	123178	1709.	123777
1550.	121492	1590.	122144	1630.	122733	1670.	123198	1710.	123815
1551.	121504	1591.	122151	1631.	122745	1671.	123221	1711.	123821
1552.	121505	1592.	122154	1632.	122746	1672.	123228	1712.	123862
1553.	121538	1593.	122158	1633.	122768	1673.	123257	1713.	123881
1554.	121542	1594.	122177	1634.	122769	1674.	123262	1714.	123890
1555.	121625	1595.	122197	1635.	122781	1675.	123263	1715.	123897
1556.	121626	1596.	122209	1636.	122797	1676.	123277	1716.	123936
1557.	121632	1597.	122210	1637.	122811	1677.	123292	1717.	123961
1558.	121637	1598.	122212	1638.	122819	1678.	123300	1718.	124024
1559.	121647	1599.	122221	1639.	122820	1679.	123305	1719.	124029
1560.	121652	1600.	122236	1640.	122838	1680.	123320	1720.	124070
1561.	121666	1601.	122265	1641.	122845	1681.	123347	1721.	124075
1562.	121669	1602.	122273	1642.	122850	1682.	123364	1722.	124077
1563.	121687	1603.	122282	1643.	122883	1683.	123389	1723.	124156
1564.	121694	1604.	122320	1644.	122885	1684.	123398	1724.	124167
1565.	121707	1605.	122330	1645.	122890	1685.	123405	1725.	124173
1566.	121719	1606.	122353	1646.	122894	1686.	123413	1726.	124178
1567.	121727	1607.	122356	1647.	122897	1687.	123427	1727.	124186
1568.	121735	1608.	122413	1648.	122898	1688.	123451	1728.	124204
1569.	121741	1609.	122426	1649.	122902	1689.	123491	1729.	124208
1570.	121747	1610.	122432	1650.	122903	1690.	123494	1730.	124217
1571.	121759	1611.	122442	1651.	122906	1691.	123507	1731.	124229

S. No.	Roll No.	S. No.	Roll No.	S. No.	Roll No.	S. No.	Roll No.	S. No.	Roll No.
1732.	124267	1772.	124864	1812.	125316	1852.	125890	1892.	126418
1733.	124279	1773.	124879	1813.	125344	1853.	125893	1893.	126433
1734.	124289	1774.	124888	1814.	125370	1854.	125911	1894.	126453
1735.	124300	1775.	124895	1815.	125405	1855.	125938	1895.	126471
1736.	124301	1776.	124900	1816.	125421	1856.	125942	1896.	126475
1737.	124310	1777.	124906	1817.	125425	1857.	125955	1897.	126477
1738.	124325	1778.	124909	1818.	125428	1858.	125964	1898.	126483
1739.	124326	1779.	124911	1819.	125444	1859.	125976	1899.	126507
1740.	124328	1780.	124931	1820.	125461	1860.	126015	1900.	126570
1741.	124336	1781.	124933	1821.	125465	1861.	126029	1901.	126572
1742.	124357	1782.	124936	1822.	125491	1862.	126044	1902.	126592
1743.	124386	1783.	124947	1823.	125492	1863.	126066	1903.	126594
1744.	124406	1784.	124951	1824.	125499	1864.	126080	1904.	126605
1745.	124420	1785.	124954	1825.	125507	1865.	126110	1905.	126628
1746.	124434	1786.	124963	1826.	125528	1866.	126116	1906.	126650
1747.	124441	1787.	124994	1827.	125535	1867.	126129	1907.	126655
1748.	124463	1788.	124999	1828.	125560	1868.	126130	1908.	126697
1749.	124475	1789.	125002	1829.	125574	1869.	126131	1909.	126721
1750.	124478	1790.	125030	1830.	125575	1870.	126137	1910.	126740
1751.	124490	1791.	125040	1831.	125602	1871.	126167	1911.	126757
1752.	124496	1792.	125045	1832.	125640	1872.	126170	1912.	126777
1753.	124500	1793.	125093	1833.	125709	1873.	126193	1913.	126778
1754.	124530	1794.	125099	1834.	125718	1874.	126203	1914.	126783
1755.	124553	1795.	125105	1835.	125723	1875.	126221	1915.	126789
1756.	124567	1796.	125121	1836.	125728	1876.	126224	1916.	126811
1757.	124568	1797.	125133	1837.	125730	1877.	126250	1917.	126839
1758.	124576	1798.	125136	1838.	125734	1878.	126261	1918.	126843
1759.	124601	1799.	125139	1839.	125751	1879.	126269	1919.	126853
1760.	124604	1800.	125159	1840.	125765	1880.	126293	1920.	126859
1761.	124608	1801.	125168	1841.	125771	1881.	126308	1921.	126867
1762.	124650	1802.	125171	1842.	125777	1882.	126310	1922.	126872
1763.	124671	1803.	125180	1843.	125785	1883.	126332	1923.	126913
1764.	124730	1804.	125198	1844.	125788	1884.	126366	1924.	126920
1765.	124734	1805.	125204	1845.	125811	1885.	126370	1925.	126921
1766.	124771	1806.	125215	1846.	125841	1886.	126375	1926.	126931
1767.	124803	1807.	125229	1847.	125853	1887.	126385	1927.	126943
1768.	124830	1808.	125238	1848.	125869	1888.	126390	1928.	126949
1769.	124842	1809.	125252	1849.	125874	1889.	126404	1929.	126954
1770.	124846	1810.	125285	1850.	125882	1890.	126410	1930.	126959
1771.	124860	1811.	125305	1851.	125887	1891.	126414	1931.	126982

S. No.	Roll No.	S. No.	Roll No.	S. No.	Roll No.	S. No.	Roll No.	S. No.	Roll No.
1932.	127011	1972.	127595	2012.	128187	2052.	128755	2092.	129360
1933.	127018	1973.	127601	2013.	128215	2053.	128782	2093.	129374
1934.	127035	1974.	127624	2014.	128239	2054.	128817	2094.	129375
1935.	127055	1975.	127636	2015.	128245	2055.	128818	2095.	129376
1936.	127114	1976.	127640	2016.	128263	2056.	128825	2096.	129386
1937.	127140	1977.	127658	2017.	128266	2057.	128830	2097.	129389
1938.	127146	1978.	127663	2018.	128276	2058.	128831	2098.	129403
1939.	127161	1979.	127690	2019.	128286	2059.	128841	2099.	129416
1940.	127183	1980.	127734	2020.	128287	2060.	128854	2100.	129420
1941.	127184	1981.	127746	2021.	128303	2061.	128879	2101.	129421
1942.	127222	1982.	127759	2022.	128305	2062.	128915	2102.	129433
1943.	127224	1983.	127808	2023.	128310	2063.	128918	2103.	129441
1944.	127245	1984.	127815	2024.	128334	2064.	128922	2104.	129456
1945.	127266	1985.	127833	2025.	128336	2065.	128948	2105.	129499
1946.	127272	1986.	127850	2026.	128348	2066.	129000	2106.	129545
1947.	127288	1987.	127863	2027.	128365	2067.	129010	2107.	129548
1948.	127290	1988.	127884	2028.	128381	2068.	129018	2108.	129553
1949.	127295	1989.	127889	2029.	128386	2069.	129019	2109.	129562
1950.	127318	1990.	127897	2030.	128391	2070.	129023	2110.	129579
1951.	127350	1991.	127934	2031.	128393	2071.	129028	2111.	129585
1952.	127367	1992.	127950	2032.	128424	2072.	129040	2112.	129592
1953.	127375	1993.	127956	2033.	128447	2073.	129081	2113.	129602
1954.	127376	1994.	127964	2034.	128467	2074.	129125	2114.	129607
1955.	127396	1995.	127969	2035.	128471	2075.	129128	2115.	129616
1956.	127403	1996.	127973	2036.	128480	2076.	129148	2116.	129623
1957.	127429	1997.	127996	2037.	128492	2077.	129156	2117.	129672
1958.	127437	1998.	128020	2038.	128507	2078.	129169	2118.	129679
1959.	127450	1999.	128026	2039.	128515	2079.	129176	2119.	129683
1960.	127453	2000.	128065	2040.	128545	2080.	129181	2120.	129687
1961.	127454	2001.	128066	2041.	128575	2081.	129183	2121.	129691
1962.	127456	2002.	128075	2042.	128618	2082.	129186	2122.	129696
1963.	127459	2003.	128076	2043.	128629	2083.	129189	2123.	129702
1964.	127475	2004.	128092	2044.	128634	2084.	129198	2124.	129721
1965.	127486	2005.	128131	2045.	128661	2085.	129206	2125.	129734
1966.	127487	2006.	128159	2046.	128668	2086.	129221	2126.	129743
1967.	127504	2007.	128164	2047.	128671	2087.	129238	2127.	129755
1968.	127527	2008.	128167	2048.	128683	2088.	129247	2128.	129776
1969.	127528	2009.	128170	2049.	128713	2089.	129248	2129.	129821
1970.	127555	2010.	128176	2050.	128722	2090.	129290	2130.	129826
1971.	127594	2011.	128182	2051.	128725	2091.	129325	2131.	129828

S. No.	Roll No.	S. No.	Roll No.	S. No.	Roll No.	S. No.	Roll No.	S. No.	Roll No.
2132.	129886	2172.	130447	2212.	130933	2252.	131860	2292.	133097
2133.	129894	2173.	130450	2213.	130967	2253.	131967	2293.	133104
2134.	129902	2174.	130454	2214.	130988	2254.	131968	2294.	133114
2135.	129951	2175.	130461	2215.	130999	2255.	131992	2295.	133121
2136.	129953	2176.	130463	2216.	131017	2256.	132006	2296.	133126
2137.	129957	2177.	130464	2217.	131033	2257.	132023	2297.	133243
2138.	129966	2178.	130469	2218.	131034	2258.	132102	2298.	133295
2139.	129977	2179.	130475	2219.	131035	2259.	132103	2299.	133314
2140.	129984	2180.	130497	2220.	131041	2260.	132112	2300.	133329
2141.	130000	2181.	130541	2221.	131047	2261.	132120	2301.	133416
2142.	130010	2182.	130551	2222.	131052	2262.	132147	2302.	133472
2143.	130015	2183.	130562	2223.	131053	2263.	132165	2303.	133503
2144.	130046	2184.	130594	2224.	131055	2264.	132290	2304.	133571
2145.	130069	2185.	130609	2225.	131073	2265.	132311	2305.	133629
2146.	130076	2186.	130617	2226.	131079	2266.	132347	2306.	133672
2147.	130083	2187.	130619	2227.	131175	2267.	132400	2307.	133712
2148.	130089	2188.	130630	2228.	131189	2268.	132405	2308.	133739
2149.	130094	2189.	130649	2229.	131246	2269.	132412	2309.	133753
2150.	130122	2190.	130676	2230.	131260	2270.	132439	2310.	133759
2151.	130129	2191.	130710	2231.	131267	2271.	132447	2311.	133795
2152.	130133	2192.	130716	2232.	131275	2272.	132472	2312.	133837
2153.	130148	2193.	130725	2233.	131281	2273.	132485	2313.	133857
2154.	130163	2194.	130741	2234.	131329	2274.	132494	2314.	133917
2155.	130189	2195.	130743	2235.	131359	2275.	132499	2315.	133958
2156.	130210	2196.	130749	2236.	131389	2276.	132507	2316.	133991
2157.	130217	2197.	130751	2237.	131412	2277.	132624	2317.	133992
2158.	130223	2198.	130752	2238.	131505	2278.	132741	2318.	134018
2159.	130240	2199.	130782	2239.	131511	2279.	132754	2319.	134062
2160.	130267	2200.	130796	2240.	131512	2280.	132795	2320.	134181
2161.	130309	2201.	130804	2241.	131534	2281.	132813	2321.	134197
2162.	130318	2202.	130809	2242.	131599	2282.	132815	2322.	134267
2163.	130338	2203.	130816	2243.	131616	2283.	132858	2323.	134282
2164.	130370	2204.	130838	2244.	131657	2284.	132931	2324.	134283
2165.	130379	2205.	130856	2245.	131660	2285.	132944	2325.	134301
2166.	130409	2206.	130870	2246.	131708	2286.	132973	2326.	134318
2167.	130415	2207.	130882	2247.	131709	2287.	133014	2327.	134325
2168.	130428	2208.	130896	2248.	131762	2288.	133016	2328.	134353
2169.	130436	2209.	130913	2249.	131780	2289.	133029	2329.	134359
2170.	130441	2210.	130920	2250.	131811	2290.	133056	2330.	134385
2171.	130445	2211.	130925	2251.	131853	2291.	133082	2331.	134395

S. No.	Roll No.	S. No.	Roll No.	S. No.	Roll No.	S. No.	Roll No.	S. No.	Roll No.
2332.	134406	2372.	135476	2412.	136958	2452.	138855	2492.	140478
2333.	134419	2373.	135488	2413.	137078	2453.	138983	2493.	140483
2334.	134433	2374.	135573	2414.	137083	2454.	139031	2494.	140506
2335.	134482	2375.	135612	2415.	137133	2455.	139044	2495.	140513
2336.	134545	2376.	135617	2416.	137136	2456.	139086	2496.	140561
2337.	134549	2377.	135619	2417.	137141	2457.	139128	2497.	140576
2338.	134600	2378.	135698	2418.	137207	2458.	139140	2498.	140650
2339.	134602	2379.	135768	2419.	137282	2459.	139229	2499.	140754
2340.	134622	2380.	135813	2420.	137288	2460.	139356	2500.	140787
2341.	134659	2381.	135887	2421.	137308	2461.	139402	2501.	140846
2342.	134726	2382.	135941	2422.	137352	2462.	139403	2502.	140883
2343.	134739	2383.	135999	2423.	137501	2463.	139437	2503.	140890
2344.	134743	2384.	136011	2424.	137533	2464.	139463	2504.	140960
2345.	134758	2385.	136023	2425.	137645	2465.	139541	2505.	140963
2346.	134770	2386.	136046	2426.	137728	2466.	139573	2506.	140965
2347.	134806	2387.	136060	2427.	137792	2467.	139684	2507.	140984
2348.	134904	2388.	136112	2428.	137803	2468.	139692	2508.	141051
2349.	134905	2389.	136175	2429.	137838	2469.	139710	2509.	141066
2350.	134934	2390.	136179	2430.	137868	2470.	139722	2510.	141069
2351.	134953	2391.	136219	2431.	137958	2471.	139761	2511.	141089
2352.	134963	2392.	136227	2432.	138052	2472.	139794	2512.	141140
2353.	134976	2393.	136287	2433.	138057	2473.	139808	2513.	141161
2354.	134998	2394.	136307	2434.	138074	2474.	139902	2514.	141173
2355.	135006	2395.	136314	2435.	138182	2475.	139998	2515.	141205
2356.	135018	2396.	136327	2436.	138241	2476.	140081	2516.	141216
2357.	135061	2397.	136346	2437.	138273	2477.	140114	2517.	141238
2358.	135063	2398.	136368	2438.	138302	2478.	140122	2518.	141271
2359.	135130	2399.	136411	2439.	138359	2479.	140133	2519.	141313
2360.	135137	2400.	136428	2440.	138367	2480.	140210	2520.	141334
2361.	135171	2401.	136430	2441.	138386	2481.	140238	2521.	141463
2362.	135187	2402.	136443	2442.	138394	2482.	140240	2522.	141472
2363.	135267	2403.	136490	2443.	138465	2483.	140279	2523.	141518
2364.	135273	2404.	136587	2444.	138486	2484.	140325	2524.	141570
2365.	135281	2405.	136602	2445.	138497	2485.	140329	2525.	141594
2366.	135290	2406.	136653	2446.	138519	2486.	140377	2526.	141640
2367.	135301	2407.	136689	2447.	138711	2487.	140436	2527.	141681
2368.	135354	2408.	136694	2448.	138726	2488.	140440	2528.	141719
2369.	135365	2409.	136764	2449.	138763	2489.	140451	2529.	141726
2370.	135369	2410.	136823	2450.	138766	2490.	140452	2530.	141741
2371.	135396	2411.	136843	2451.	138842	2491.	140457	2531.	141816

S. No.	Roll No.	S. No.	Roll No.	S. No.	Roll No.	S. No.	Roll No.	S. No.	Roll No.
2532.	141824	2572.	143041	2612.	144588	2652.	145553	2692.	146395
2533.	141859	2573.	143042	2613.	144597	2653.	145564	2693.	146431
2534.	141883	2574.	143052	2614.	144627	2654.	145567	2694.	146483
2535.	141924	2575.	143072	2615.	144644	2655.	145573	2695.	146487
2536.	141981	2576.	143099	2616.	144696	2656.	145574	2696.	146492
2537.	141982	2577.	143103	2617.	144726	2657.	145598	2697.	146511
2538.	141998	2578.	143185	2618.	144816	2658.	145622	2698.	146517
2539.	142124	2579.	143252	2619.	144841	2659.	145637	2699.	146527
2540.	142154	2580.	143263	2620.	144845	2660.	145655	2700.	146551
2541.	142166	2581.	143270	2621.	144901	2661.	145683	2701.	146569
2542.	142174	2582.	143289	2622.	144936	2662.	145714	2702.	146571
2543.	142182	2583.	143365	2623.	144965	2663.	145758	2703.	146576
2544.	142191	2584.	143371	2624.	144979	2664.	145810	2704.	146601
2545.	142209	2585.	143397	2625.	145002	2665.	145831	2705.	146632
2546.	142235	2586.	143421	2626.	145017	2666.	145855	2706.	146636
2547.	142244	2587.	143422	2627.	145083	2667.	145861	2707.	146643
2548.	142248	2588.	143442	2628.	145163	2668.	145865	2708.	146662
2549.	142249	2589.	143485	2629.	145177	2669.	145868	2709.	146675
2550.	142255	2590.	143489	2630.	145206	2670.	145876	2710.	146694
2551.	142291	2591.	143498	2631.	145245	2671.	145879	2711.	146882
2552.	142312	2592.	143552	2632.	145293	2672.	145950	2712.	146902
2553.	142323	2593.	143572	2633.	145309	2673.	145959	2713.	146930
2554.	142340	2594.	143588	2634.	145338	2674.	145976	2714.	146966
2555.	142341	2595.	143658	2635.	145348	2675.	145980	2715.	146973
2556.	142367	2596.	143696	2636.	145350	2676.	145983	2716.	146990
2557.	142436	2597.	143698	2637.	145382	2677.	145993	2717.	147025
2558.	142458	2598.	143857	2638.	145397	2678.	146003	2718.	147036
2559.	142473	2599.	143899	2639.	145398	2679.	146068	2719.	147066
2560.	142581	2600.	143981	2640.	145400	2680.	146100	2720.	147085
2561.	142597	2601.	143989	2641.	145401	2681.	146131	2721.	147143
2562.	142616	2602.	144000	2642.	145415	2682.	146174	2722.	147190
2563.	142651	2603.	144134	2643.	145432	2683.	146200	2723.	147193
2564.	142664	2604.	144169	2644.	145440	2684.	146248	2724.	147194
2565.	142721	2605.	144201	2645.	145457	2685.	146249	2725.	147218
2566.	142726	2606.	144352	2646.	145469	2686.	146250	2726.	147244
2567.	142826	2607.	144370	2647.	145509	2687.	146263	2727.	147303
2568.	142862	2608.	144381	2648.	145512	2688.	146320	2728.	147306
2569.	142894	2609.	144393	2649.	145528	2689.	146344	2729.	147321
2570.	142933	2610.	144439	2650.	145545	2690.	146382	2730.	147362
2571.	143015	2611.	144518	2651.	145551	2691.	146390	2731.	147435

S. No.	Roll No.	S. No.	Roll No.	S. No.	Roll No.	S. No.	Roll No.	S. No.	Roll No.
2732.	147466	2772.	148412	2812.	149145	2852.	150072	2892.	150941
2733.	147479	2773.	148438	2813.	149172	2853.	150087	2893.	150994
2734.	147483	2774.	148446	2814.	149204	2854.	150093	2894.	150995
2735.	147531	2775.	148522	2815.	149215	2855.	150103	2895.	150996
2736.	147538	2776.	148537	2816.	149251	2856.	150107	2896.	151023
2737.	147558	2777.	148539	2817.	149262	2857.	150109	2897.	151060
2738.	147589	2778.	148565	2818.	149334	2858.	150194	2898.	151068
2739.	147593	2779.	148584	2819.	149361	2859.	150208	2899.	151083
2740.	147616	2780.	148586	2820.	149377	2860.	150234	2900.	151126
2741.	147625	2781.	148604	2821.	149388	2861.	150258	2901.	151146
2742.	147649	2782.	148633	2822.	149464	2862.	150273	2902.	151147
2743.	147659	2783.	148644	2823.	149471	2863.	150275	2903.	151205
2744.	147730	2784.	148649	2824.	149516	2864.	150308	2904.	151210
2745.	147742	2785.	148655	2825.	149525	2865.	150373	2905.	151224
2746.	147788	2786.	148682	2826.	149539	2866.	150409	2906.	151240
2747.	147802	2787.	148684	2827.	149581	2867.	150413	2907.	151243
2748.	147938	2788.	148717	2828.	149591	2868.	150435	2908.	151261
2749.	147945	2789.	148796	2829.	149621	2869.	150449	2909.	151278
2750.	147948	2790.	148829	2830.	149626	2870.	150569	2910.	151283
2751.	147990	2791.	148851	2831.	149692	2871.	150575	2911.	151289
2752.	147992	2792.	148857	2832.	149703	2872.	150591	2912.	151293
2753.	147998	2793.	148862	2833.	149717	2873.	150592	2913.	151312
2754.	148042	2794.	148912	2834.	149726	2874.	150606	2914.	151322
2755.	148079	2795.	148923	2835.	149739	2875.	150613	2915.	151333
2756.	148128	2796.	148924	2836.	149743	2876.	150622	2916.	151344
2757.	148131	2797.	148928	2837.	149776	2877.	150630	2917.	151368
2758.	148134	2798.	148976	2838.	149783	2878.	150676	2918.	151371
2759.	148143	2799.	148987	2839.	149809	2879.	150684	2919.	151384
2760.	148148	2800.	149015	2840.	149825	2880.	150709	2920.	151420
2761.	148218	2801.	149036	2841.	149856	2881.	150732	2921.	151437
2762.	148250	2802.	149039	2842.	149863	2882.	150789	2922.	151452
2763.	148252	2803.	149042	2843.	149886	2883.	150799	2923.	151479
2764.	148277	2804.	149043	2844.	149890	2884.	150826	2924.	151483
2765.	148289	2805.	149047	2845.	149944	2885.	150833	2925.	151530
2766.	148290	2806.	149055	2846.	149954	2886.	150843	2926.	151531
2767.	148313	2807.	149077	2847.	149971	2887.	150853	2927.	151536
2768.	148322	2808.	149101	2848.	149996	2888.	150857	2928.	151541
2769.	148373	2809.	149111	2849.	150027	2889.	150881	2929.	151546
2770.	148390	2810.	149116	2850.	150029	2890.	150888	2930.	151574
2771.	148407	2811.	149142	2851.	150052	2891.	150923	2931.	151581

S. No.	Roll No.	S. No.	Roll No.	S. No.	Roll No.	S. No.	Roll No.	S. No.	Roll No.
2932.	151598	2972.	152790	3012.	153670	3052.	154472	3092.	155224
2933.	151606	2973.	152824	3013.	153695	3053.	154478	3093.	155251
2934.	151616	2974.	152882	3014.	153707	3054.	154495	3094.	155256
2935.	151617	2975.	152919	3015.	153715	3055.	154570	3095.	155260
2936.	151627	2976.	152932	3016.	153789	3056.	154582	3096.	155342
2937.	151658	2977.	152940	3017.	153825	3057.	154583	3097.	155409
2938.	151690	2978.	152950	3018.	153845	3058.	154618	3098.	155462
2939.	151702	2979.	152987	3019.	153873	3059.	154658	3099.	155498
2940.	151729	2980.	153040	3020.	153903	3060.	154718	3100.	155501
2941.	151816	2981.	153059	3021.	153918	3061.	154724	3101.	155513
2942.	151914	2982.	153062	3022.	153925	3062.	154725	3102.	155520
2943.	151927	2983.	153076	3023.	153930	3063.	154733	3103.	155527
2944.	151928	2984.	153107	3024.	153940	3064.	154740	3104.	155530
2945.	151985	2985.	153141	3025.	153941	3065.	154775	3105.	155534
2946.	151996	2986.	153192	3026.	153943	3066.	154788	3106.	155558
2947.	152000	2987.	153198	3027.	153985	3067.	154812	3107.	155578
2948.	152019	2988.	153201	3028.	153995	3068.	154821	3108.	155613
2949.	152080	2989.	153220	3029.	153996	3069.	154842	3109.	155638
2950.	152112	2990.	153222	3030.	154033	3070.	154865	3110.	155648
2951.	152121	2991.	153223	3031.	154052	3071.	154870	3111.	155651
2952.	152137	2992.	153228	3032.	154098	3072.	154884	3112.	155658
2953.	152140	2993.	153234	3033.	154131	3073.	154909	3113.	155667
2954.	152143	2994.	153245	3034.	154133	3074.	154913	3114.	155710
2955.	152210	2995.	153257	3035.	154155	3075.	154930	3115.	155712
2956.	152216	2996.	153266	3036.	154203	3076.	154934	3116.	155791
2957.	152229	2997.	153291	3037.	154207	3077.	154951	3117.	155822
2958.	152252	2998.	153313	3038.	154213	3078.	154959	3118.	155836
2959.	152257	2999.	153317	3039.	154220	3079.	154987	3119.	155841
2960.	152289	3000.	153337	3040.	154223	3080.	154999	3120.	155858
2961.	152319	3001.	153421	3041.	154234	3081.	155021	3121.	155872
2962.	152528	3002.	153443	3042.	154252	3082.	155066	3122.	155882
2963.	152554	3003.	153468	3043.	154253	3083.	155078	3123.	155898
2964.	152635	3004.	153492	3044.	154268	3084.	155095	3124.	155963
2965.	152651	3005.	153557	3045.	154289	3085.	155104	3125.	156050
2966.	152685	3006.	153600	3046.	154361	3086.	155123	3126.	156186
2967.	152699	3007.	153614	3047.	154369	3087.	155137	3127.	156225
2968.	152707	3008.	153631	3048.	154370	3088.	155152	3128.	156247
2969.	152717	3009.	153634	3049.	154371	3089.	155175	3129.	156314
2970.	152738	3010.	153641	3050.	154387	3090.	155176	3130.	156440
2971.	152749	3011.	153651	3051.	154454	3091.	155200	3131.	156454

S. No.	Roll No.	S. No.	Roll No.	S. No.	Roll No.	S. No.	Roll No.	S. No.	Roll No.
3132.	156458	3172.	157433	3212.	158518	3252.	159552	3292.	160496
3133.	156474	3173.	157436	3213.	158542	3253.	159564	3293.	160498
3134.	156475	3174.	157530	3214.	158548	3254.	159626	3294.	160508
3135.	156476	3175.	157561	3215.	158583	3255.	159670	3295.	160552
3136.	156483	3176.	157576	3216.	158645	3256.	159681	3296.	160563
3137.	156509	3177.	157579	3217.	158665	3257.	159691	3297.	160564
3138.	156545	3178.	157599	3218.	158674	3258.	159694	3298.	160576
3139.	156556	3179.	157651	3219.	158692	3259.	159810	3299.	160615
3140.	156634	3180.	157661	3220.	158711	3260.	159816	3300.	160630
3141.	156642	3181.	157665	3221.	158730	3261.	159860	3301.	160634
3142.	156712	3182.	157713	3222.	158749	3262.	159880	3302.	160687
3143.	156723	3183.	157741	3223.	158781	3263.	159897	3303.	160740
3144.	156735	3184.	157748	3224.	158797	3264.	159899	3304.	160749
3145.	156755	3185.	157811	3225.	158815	3265.	159902	3305.	160766
3146.	156767	3186.	157841	3226.	158877	3266.	159927	3306.	160771
3147.	156798	3187.	157843	3227.	158883	3267.	159934	3307.	160776
3148.	156834	3188.	157861	3228.	158906	3268.	159956	3308.	160849
3149.	156841	3189.	157865	3229.	158991	3269.	159957	3309.	160861
3150.	156853	3190.	157899	3230.	159034	3270.	159975	3310.	160924
3151.	156866	3191.	157924	3231.	159094	3271.	159998	3311.	160978
3152.	156872	3192.	157925	3232.	159124	3272.	160024	3312.	161016
3153.	156907	3193.	157928	3233.	159129	3273.	160032	3313.	161040
3154.	156911	3194.	158022	3234.	159131	3274.	160070	3314.	161058
3155.	156932	3195.	158149	3235.	159139	3275.	160082	3315.	161075
3156.	156959	3196.	158178	3236.	159156	3276.	160100	3316.	161083
3157.	156965	3197.	158233	3237.	159172	3277.	160107	3317.	161118
3158.	157010	3198.	158243	3238.	159199	3278.	160145	3318.	161136
3159.	157013	3199.	158319	3239.	159203	3279.	160163	3319.	161187
3160.	157026	3200.	158331	3240.	159209	3280.	160235	3320.	161194
3161.	157039	3201.	158342	3241.	159273	3281.	160239	3321.	161206
3162.	157091	3202.	158346	3242.	159339	3282.	160285	3322.	161235
3163.	157171	3203.	158357	3243.	159367	3283.	160289	3323.	161265
3164.	157186	3204.	158374	3244.	159374	3284.	160311	3324.	161328
3165.	157246	3205.	158379	3245.	159400	3285.	160321	3325.	161342
3166.	157249	3206.	158391	3246.	159434	3286.	160336	3326.	161347
3167.	157336	3207.	158448	3247.	159437	3287.	160403	3327.	161348
3168.	157388	3208.	158470	3248.	159457	3288.	160406	3328.	161378
3169.	157403	3209.	158494	3249.	159530	3289.	160449	3329.	161400
3170.	157406	3210.	158499	3250.	159533	3290.	160457	3330.	161413
3171.	157414	3211.	158515	3251.	159544	3291.	160487	3331.	161454

S. No.	Roll No.	S. No.	Roll No.	S. No.	Roll No.	S. No.	Roll No.	S. No.	Roll No.
3332.	161463	3372.	162452	3412.	163338	3452.	164239	3492.	165353
3333.	161520	3373.	162453	3413.	163366	3453.	164251	3493.	165439
3334.	161548	3374.	162456	3414.	163394	3454.	164321	3494.	165466
3335.	161593	3375.	162489	3415.	163412	3455.	164352	3495.	165499
3336.	161622	3376.	162504	3416.	163414	3456.	164367	3496.	165507
3337.	161629	3377.	162513	3417.	163484	3457.	164378	3497.	165523
3338.	161635	3378.	162549	3418.	163492	3458.	164381	3498.	165545
3339.	161647	3379.	162559	3419.	163504	3459.	164382	3499.	165579
3340.	161652	3380.	162563	3420.	163535	3460.	164468	3500.	165585
3341.	161676	3381.	162582	3421.	163541	3461.	164504	3501.	165598
3342.	161699	3382.	162655	3422.	163554	3462.	164537	3502.	165625
3343.	161723	3383.	162687	3423.	163585	3463.	164543	3503.	165652
3344.	161741	3384.	162745	3424.	163587	3464.	164569	3504.	165668
3345.	161807	3385.	162776	3425.	163604	3465.	164579	3505.	165671
3346.	161846	3386.	162812	3426.	163614	3466.	164596	3506.	165711
3347.	161849	3387.	162817	3427.	163618	3467.	164624	3507.	165726
3348.	161980	3388.	162836	3428.	163630	3468.	164671	3508.	165750
3349.	161987	3389.	162840	3429.	163661	3469.	164673	3509.	165785
3350.	162002	3390.	162891	3430.	163722	3470.	164691	3510.	165929
3351.	162007	3391.	162900	3431.	163724	3471.	164695	3511.	165941
3352.	162021	3392.	162989	3432.	163732	3472.	164727	3512.	165957
3353.	162028	3393.	163000	3433.	163749	3473.	164812	3513.	165971
3354.	162070	3394.	163023	3434.	163766	3474.	164867	3514.	165975
3355.	162074	3395.	163033	3435.	163801	3475.	164883	3515.	165985
3356.	162090	3396.	163038	3436.	163810	3476.	164954	3516.	166007
3357.	162141	3397.	163070	3437.	163853	3477.	164963	3517.	166021
3358.	162184	3398.	163079	3438.	163925	3478.	164986	3518.	166029
3359.	162198	3399.	163129	3439.	163926	3479.	164989	3519.	166057
3360.	162215	3400.	163131	3440.	163935	3480.	164994	3520.	166062
3361.	162223	3401.	163147	3441.	163987	3481.	165059	3521.	166078
3362.	162254	3402.	163152	3442.	163989	3482.	165081	3522.	166081
3363.	162257	3403.	163163	3443.	163994	3483.	165147	3523.	166091
3364.	162278	3404.	163175	3444.	164012	3484.	165209	3524.	166110
3365.	162332	3405.	163187	3445.	164039	3485.	165264	3525.	166122
3366.	162337	3406.	163192	3446.	164046	3486.	165268	3526.	166133
3367.	162339	3407.	163224	3447.	164073	3487.	165273	3527.	166138
3368.	162369	3408.	163248	3448.	164083	3488.	165298	3528.	166141
3369.	162399	3409.	163254	3449.	164170	3489.	165310	3529.	166142
3370.	162413	3410.	163305	3450.	164204	3490.	165336	3530.	166147
3371.	162424	3411.	163330	3451.	164227	3491.	165338	3531.	166175

S. No.	Roll No.	S. No.	Roll No.	S. No.	Roll No.	S. No.	Roll No.	S. No.	Roll No.
3532.	166180	3572.	167028	3612.	167665	3652.	168308	3692.	169394
3533.	166181	3573.	167039	3613.	167668	3653.	168334	3693.	169399
3534.	166208	3574.	167054	3614.	167673	3654.	168353	3694.	169429
3535.	166216	3575.	167057	3615.	167676	3655.	168422	3695.	169485
3536.	166228	3576.	167078	3616.	167691	3656.	168431	3696.	169518
3537.	166245	3577.	167084	3617.	167697	3657.	168433	3697.	169565
3538.	166292	3578.	167096	3618.	167724	3658.	168436	3698.	169604
3539.	166293	3579.	167109	3619.	167728	3659.	168462	3699.	169720
3540.	166309	3580.	167110	3620.	167730	3660.	168500	3700.	169744
3541.	166344	3581.	167111	3621.	167734	3661.	168511	3701.	169815
3542.	166377	3582.	167117	3622.	167743	3662.	168567	3702.	169890
3543.	166399	3583.	167156	3623.	167765	3663.	168570	3703.	169900
3544.	166449	3584.	167162	3624.	167767	3664.	168579	3704.	169920
3545.	166452	3585.	167173	3625.	167768	3665.	168606	3705.	169976
3546.	166462	3586.	167188	3626.	167771	3666.	168619	3706.	169981
3547.	166473	3587.	167190	3627.	167801	3667.	168623	3707.	170054
3548.	166483	3588.	167194	3628.	167803	3668.	168646	3708.	170159
3549.	166491	3589.	167197	3629.	167847	3669.	168665	3709.	170169
3550.	166545	3590.	167206	3630.	167879	3670.	168680	3710.	170181
3551.	166565	3591.	167241	3631.	167889	3671.	168774	3711.	170201
3552.	166586	3592.	167278	3632.	167922	3672.	168775	3712.	170203
3553.	166598	3593.	167301	3633.	167929	3673.	168813	3713.	170243
3554.	166647	3594.	167369	3634.	167930	3674.	168836	3714.	170252
3555.	166675	3595.	167411	3635.	167943	3675.	168881	3715.	170275
3556.	166677	3596.	167420	3636.	167950	3676.	168957	3716.	170278
3557.	166690	3597.	167434	3637.	167961	3677.	168986	3717.	170296
3558.	166710	3598.	167445	3638.	168027	3678.	169016	3718.	170519
3559.	166744	3599.	167474	3639.	168047	3679.	169052	3719.	170535
3560.	166785	3600.	167490	3640.	168066	3680.	169105	3720.	170557
3561.	166817	3601.	167515	3641.	168072	3681.	169130	3721.	170562
3562.	166827	3602.	167526	3642.	168073	3682.	169135	3722.	170609
3563.	166844	3603.	167543	3643.	168075	3683.	169153	3723.	170638
3564.	166873	3604.	167555	3644.	168099	3684.	169170	3724.	170640
3565.	166880	3605.	167580	3645.	168115	3685.	169199	3725.	170642
3566.	166894	3606.	167583	3646.	168152	3686.	169235	3726.	170663
3567.	166917	3607.	167607	3647.	168234	3687.	169273	3727.	170666
3568.	166970	3608.	167611	3648.	168248	3688.	169288	3728.	170722
3569.	166973	3609.	167614	3649.	168258	3689.	169298	3729.	170725
3570.	167026	3610.	167621	3650.	168272	3690.	169310	3730.	170766
3571.	167027	3611.	167634	3651.	168286	3691.	169339	3731.	170784

S. No.	Roll No.	S. No.	Roll No.	S. No.	Roll No.	S. No.	Roll No.	S. No.	Roll No.
3732.	170822	3772.	172478	3812.	174116	3852.	175797	3892.	177235
3733.	170873	3773.	172524	3813.	174118	3853.	175899	3893.	177256
3734.	170942	3774.	172533	3814.	174148	3854.	175905	3894.	177287
3735.	170987	3775.	172540	3815.	174298	3855.	175909	3895.	177303
3736.	170993	3776.	172541	3816.	174305	3856.	175930	3896.	177309
3737.	171012	3777.	172585	3817.	174314	3857.	175957	3897.	177345
3738.	171058	3778.	172590	3818.	174349	3858.	175990	3898.	177382
3739.	171080	3779.	172727	3819.	174367	3859.	176053	3899.	177399
3740.	171214	3780.	172772	3820.	174444	3860.	176067	3900.	177429
3741.	171325	3781.	172846	3821.	174477	3861.	176071	3901.	177504
3742.	171329	3782.	172861	3822.	174507	3862.	176134	3902.	177516
3743.	171330	3783.	172877	3823.	174552	3863.	176141	3903.	177518
3744.	171349	3784.	172948	3824.	174703	3864.	176205	3904.	177529
3745.	171374	3785.	172979	3825.	174917	3865.	176207	3905.	177719
3746.	171420	3786.	173035	3826.	174929	3866.	176211	3906.	177829
3747.	171505	3787.	173048	3827.	174969	3867.	176227	3907.	177848
3748.	171512	3788.	173054	3828.	174971	3868.	176231	3908.	177865
3749.	171514	3789.	173059	3829.	174981	3869.	176255	3909.	177913
3750.	171560	3790.	173123	3830.	174985	3870.	176288	3910.	177966
3751.	171564	3791.	173174	3831.	174994	3871.	176425	3911.	178064
3752.	171676	3792.	173178	3832.	174996	3872.	176445	3912.	178081
3753.	171714	3793.	173229	3833.	175006	3873.	176504	3913.	178085
3754.	171725	3794.	173312	3834.	175185	3874.	176508	3914.	178135
3755.	171748	3795.	173335	3835.	175188	3875.	176517	3915.	178191
3756.	171769	3796.	173385	3836.	175237	3876.	176539	3916.	178212
3757.	171795	3797.	173395	3837.	175271	3877.	176547	3917.	178218
3758.	171902	3798.	173400	3838.	175291	3878.	176563	3918.	178251
3759.	171905	3799.	173417	3839.	175305	3879.	176615	3919.	178253
3760.	171910	3800.	173475	3840.	175367	3880.	176666	3920.	178305
3761.	171971	3801.	173588	3841.	175395	3881.	176724	3921.	178343
3762.	171982	3802.	173641	3842.	175406	3882.	176794	3922.	178446
3763.	171992	3803.	173650	3843.	175423	3883.	176850	3923.	178475
3764.	172068	3804.	173684	3844.	175472	3884.	176861	3924.	178545
3765.	172076	3805.	173773	3845.	175473	3885.	176944	3925.	178576
3766.	172207	3806.	173798	3846.	175568	3886.	177005	3926.	178581
3767.	172318	3807.	173921	3847.	175609	3887.	177020	3927.	178598
3768.	172325	3808.	173973	3848.	175628	3888.	177065	3928.	178638
3769.	172360	3809.	174012	3849.	175639	3889.	177170	3929.	178639
3770.	172383	3810.	174018	3850.	175681	3890.	177185	3930.	178669
3771.	172392	3811.	174089	3851.	175701	3891.	177187	3931.	178764

S. No.	Roll No.	S. No.	Roll No.	S. No.	Roll No.	S. No.	Roll No.	S. No.	Roll No.
3932.	178776	3972.	180465	4012.	181190	4052.	181990	4092.	183202
3933.	178781	3973.	180466	4013.	181211	4053.	181996	4093.	183212
3934.	178831	3974.	180534	4014.	181238	4054.	182081	4094.	183217
3935.	178894	3975.	180559	4015.	181257	4055.	182086	4095.	183221
3936.	178932	3976.	180597	4016.	181284	4056.	182105	4096.	183229
3937.	178936	3977.	180614	4017.	181287	4057.	182173	4097.	183303
3938.	178991	3978.	180644	4018.	181293	4058.	182197	4098.	183336
3939.	178992	3979.	180646	4019.	181303	4059.	182199	4099.	183340
3940.	179001	3980.	180649	4020.	181307	4060.	182212	4100.	183358
3941.	179064	3981.	180684	4021.	181314	4061.	182220	4101.	183397
3942.	179067	3982.	180686	4022.	181330	4062.	182225	4102.	183424
3943.	179094	3983.	180703	4023.	181342	4063.	182258	4103.	183439
3944.	179107	3984.	180705	4024.	181344	4064.	182280	4104.	183467
3945.	179110	3985.	180742	4025.	181393	4065.	182291	4105.	183541
3946.	179135	3986.	180746	4026.	181447	4066.	182296	4106.	183557
3947.	179163	3987.	180789	4027.	181460	4067.	182312	4107.	183559
3948.	179329	3988.	180808	4028.	181463	4068.	182369	4108.	183561
3949.	179434	3989.	180810	4029.	181488	4069.	182394	4109.	183597
3950.	179565	3990.	180828	4030.	181543	4070.	182406	4110.	183602
3951.	179572	3991.	180841	4031.	181547	4071.	182495	4111.	183664
3952.	179574	3992.	180855	4032.	181577	4072.	182504	4112.	183682
3953.	179582	3993.	180859	4033.	181593	4073.	182594	4113.	183693
3954.	179593	3994.	180861	4034.	181606	4074.	182621	4114.	183697
3955.	179614	3995.	180862	4035.	181608	4075.	182676	4115.	183704
3956.	179621	3996.	180888	4036.	181663	4076.	182702	4116.	183711
3957.	179673	3997.	180904	4037.	181670	4077.	182704	4117.	183720
3958.	179893	3998.	180918	4038.	181671	4078.	182741	4118.	183748
3959.	179974	3999.	180928	4039.	181672	4079.	182790	4119.	183774
3960.	179995	4000.	180942	4040.	181677	4080.	182853	4120.	183863
3961.	180044	4001.	180992	4041.	181692	4081.	182922	4121.	183883
3962.	180141	4002.	181050	4042.	181720	4082.	182950	4122.	183892
3963.	180229	4003.	181077	4043.	181783	4083.	183044	4123.	183897
3964.	180262	4004.	181119	4044.	181793	4084.	183053	4124.	183907
3965.	180269	4005.	181129	4045.	181796	4085.	183111	4125.	183919
3966.	180283	4006.	181148	4046.	181798	4086.	183117	4126.	183981
3967.	180298	4007.	181157	4047.	181804	4087.	183126	4127.	183994
3968.	180305	4008.	181160	4048.	181839	4088.	183148	4128.	184032
3969.	180385	4009.	181163	4049.	181868	4089.	183162	4129.	184061
3970.	180417	4010.	181173	4050.	181886	4090.	183170	4130.	184082
3971.	180443	4011.	181181	4051.	181887	4091.	183177	4131.	184119

S. No.	Roll No.	S. No.	Roll No.	S. No.	Roll No.	S. No.	Roll No.	S. No.	Roll No.
4132.	184121	4172.	185313	4212.	186413	4252.	187568	4292.	188638
4133.	184140	4173.	185326	4213.	186415	4253.	187593	4293.	188643
4134.	184180	4174.	185366	4214.	186432	4254.	187600	4294.	188678
4135.	184186	4175.	185388	4215.	186498	4255.	187616	4295.	188723
4136.	184212	4176.	185410	4216.	186501	4256.	187628	4296.	188754
4137.	184296	4177.	185469	4217.	186533	4257.	187679	4297.	188837
4138.	184330	4178.	185482	4218.	186542	4258.	187711	4298.	188861
4139.	184385	4179.	185516	4219.	186544	4259.	187715	4299.	188871
4140.	184421	4180.	185517	4220.	186560	4260.	187730	4300.	188894
4141.	184470	4181.	185523	4221.	186584	4261.	187754	4301.	188925
4142.	184513	4182.	185542	4222.	186610	4262.	187774	4302.	188966
4143.	184522	4183.	185594	4223.	186623	4263.	187775	4303.	188970
4144.	184532	4184.	185606	4224.	186631	4264.	187778	4304.	189015
4145.	184541	4185.	185634	4225.	186634	4265.	187786	4305.	189025
4146.	184561	4186.	185639	4226.	186671	4266.	187850	4306.	189077
4147.	184576	4187.	185675	4227.	186737	4267.	187898	4307.	189084
4148.	184588	4188.	185687	4228.	186784	4268.	187907	4308.	189112
4149.	184599	4189.	185713	4229.	186794	4269.	187931	4309.	189117
4150.	184633	4190.	185731	4230.	186805	4270.	187958	4310.	189175
4151.	184642	4191.	185788	4231.	186819	4271.	187972	4311.	189194
4152.	184653	4192.	185801	4232.	186822	4272.	187978	4312.	189196
4153.	184664	4193.	185807	4233.	186831	4273.	187983	4313.	189202
4154.	184728	4194.	185815	4234.	186832	4274.	188062	4314.	189203
4155.	184757	4195.	185843	4235.	186839	4275.	188065	4315.	189236
4156.	184807	4196.	185849	4236.	186876	4276.	188155	4316.	189275
4157.	184809	4197.	185897	4237.	186895	4277.	188159	4317.	189277
4158.	184952	4198.	185898	4238.	186932	4278.	188161	4318.	189301
4159.	184976	4199.	185968	4239.	186940	4279.	188198	4319.	189315
4160.	184988	4200.	185982	4240.	186958	4280.	188241	4320.	189340
4161.	184995	4201.	186010	4241.	187019	4281.	188262	4321.	189389
4162.	185009	4202.	186061	4242.	187151	4282.	188313	4322.	189399
4163.	185035	4203.	186072	4243.	187152	4283.	188317	4323.	189402
4164.	185038	4204.	186170	4244.	187154	4284.	188408	4324.	189427
4165.	185095	4205.	186178	4245.	187195	4285.	188488	4325.	189438
4166.	185101	4206.	186180	4246.	187318	4286.	188513	4326.	189469
4167.	185122	4207.	186283	4247.	187371	4287.	188526	4327.	189478
4168.	185126	4208.	186315	4248.	187433	4288.	188561	4328.	189480
4169.	185213	4209.	186331	4249.	187503	4289.	188578	4329.	189515
4170.	185228	4210.	186376	4250.	187534	4290.	188581	4330.	189525
4171.	185279	4211.	186395	4251.	187557	4291.	188588	4331.	189532

S. No.	Roll No.	S. No.	Roll No.	S. No.	Roll No.	S. No.	Roll No.	S. No.	Roll No.
4332.	189540	4372.	190731	4412.	191893	4452.	192707	4492.	193867
4333.	189551	4373.	190756	4413.	191944	4453.	192767	4493.	193882
4334.	189560	4374.	190786	4414.	191956	4454.	192792	4494.	193889
4335.	189567	4375.	190852	4415.	191964	4455.	192816	4495.	193907
4336.	189583	4376.	190872	4416.	192025	4456.	192874	4496.	193936
4337.	189622	4377.	190897	4417.	192057	4457.	192912	4497.	193974
4338.	189648	4378.	190919	4418.	192062	4458.	192930	4498.	193990
4339.	189709	4379.	190925	4419.	192065	4459.	192953	4499.	194005
4340.	189746	4380.	190994	4420.	192094	4460.	192987	4500.	194040
4341.	189798	4381.	190997	4421.	192113	4461.	193059	4501.	194051
4342.	189812	4382.	190998	4422.	192128	4462.	193072	4502.	194062
4343.	189913	4383.	191001	4423.	192160	4463.	193078	4503.	194117
4344.	189926	4384.	191025	4424.	192175	4464.	193088	4504.	194134
4345.	189943	4385.	191070	4425.	192183	4465.	193125	4505.	194218
4346.	189959	4386.	191124	4426.	192243	4466.	193185	4506.	194258
4347.	190004	4387.	191132	4427.	192257	4467.	193277	4507.	194285
4348.	190009	4388.	191145	4428.	192265	4468.	193302	4508.	194301
4349.	190024	4389.	191220	4429.	192275	4469.	193349	4509.	194318
4350.	190069	4390.	191261	4430.	192278	4470.	193350	4510.	194412
4351.	190078	4391.	191318	4431.	192283	4471.	193353	4511.	194458
4352.	190080	4392.	191329	4432.	192311	4472.	193374	4512.	194472
4353.	190089	4393.	191406	4433.	192319	4473.	193380	4513.	194534
4354.	190159	4394.	191509	4434.	192338	4474.	193382	4514.	194561
4355.	190186	4395.	191583	4435.	192382	4475.	193454	4515.	194569
4356.	190193	4396.	191584	4436.	192397	4476.	193479	4516.	194628
4357.	190255	4397.	191608	4437.	192403	4477.	193518	4517.	194632
4358.	190260	4398.	191624	4438.	192404	4478.	193524	4518.	194638
4359.	190265	4399.	191675	4439.	192406	4479.	193559	4519.	194711
4360.	190298	4400.	191692	4440.	192474	4480.	193591	4520.	194723
4361.	190351	4401.	191695	4441.	192493	4481.	193620	4521.	194814
4362.	190361	4402.	191696	4442.	192496	4482.	193631	4522.	194834
4363.	190433	4403.	191716	4443.	192509	4483.	193638	4523.	194839
4364.	190482	4404.	191720	4444.	192510	4484.	193740	4524.	194871
4365.	190510	4405.	191729	4445.	192513	4485.	193781	4525.	194900
4366.	190521	4406.	191737	4446.	192581	4486.	193787	4526.	195030
4367.	190530	4407.	191745	4447.	192624	4487.	193794	4527.	195032
4368.	190531	4408.	191772	4448.	192653	4488.	193798	4528.	195072
4369.	190599	4409.	191778	4449.	192664	4489.	193837	4529.	195089
4370.	190624	4410.	191835	4450.	192675	4490.	193845	4530.	195128
4371.	190675	4411.	191871	4451.	192679	4491.	193861	4531.	195201

S. No.	Roll No.	S. No.	Roll No.	S. No.	Roll No.	S. No.	Roll No.	S. No.	Roll No.
4532.	195243	4571.	196271	4610.	197141	4649.	198390	4688.	199702
4533.	195312	4572.	196295	4611.	197215	4650.	198493	4689.	199741
4534.	195315	4573.	196296	4612.	197220	4651.	198502	4690.	199754
4535.	195366	4574.	196324	4613.	197331	4652.	198505	4691.	199760
4536.	195411	4575.	196326	4614.	197338	4653.	198523	4692.	199764
4537.	195472	4576.	196346	4615.	197388	4654.	198524	4693.	199790
4538.	195566	4577.	196362	4616.	197395	4655.	198545	4694.	199801
4539.	195585	4578.	196369	4617.	197400	4656.	198590	4695.	199837
4540.	195658	4579.	196373	4618.	197406	4657.	198704	4696.	199857
4541.	195733	4580.	196391	4619.	197428	4658.	198730	4697.	199887
4542.	195745	4581.	196423	4620.	197483	4659.	198731	4698.	199902
4543.	195754	4582.	196428	4621.	197540	4660.	198778	4699.	199937
4544.	195757	4583.	196454	4622.	197554	4661.	198912	4700.	200016
4545.	195766	4584.	196458	4623.	197574	4662.	198932	4701.	200046
4546.	195767	4585.	196479	4624.	197582	4663.	198950	4702.	200056
4547.	195771	4586.	196486	4625.	197621	4664.	198957	4703.	200069
4548.	195776	4587.	196503	4626.	197730	4665.	198964	4704.	200073
4549.	195779	4588.	196508	4627.	197735	4666.	198979	4705.	200102
4550.	195849	4589.	196529	4628.	197764	4667.	198988	4706.	200131
4551.	195864	4590.	196541	4629.	197807	4668.	199027	4707.	200141
4552.	195865	4591.	196569	4630.	197808	4669.	199043	4708.	200206
4553.	195877	4592.	196582	4631.	197876	4670.	199071	4709.	200221
4554.	195884	4593.	196584	4632.	197892	4671.	199080	4710.	200230
4555.	195887	4594.	196596	4633.	197922	4672.	199148	4711.	200232
4556.	195930	4595.	196615	4634.	197925	4673.	199157	4712.	200238
4557.	195933	4596.	196643	4635.	197943	4674.	199184	4713.	200239
4558.	196009	4597.	196688	4636.	198012	4675.	199206	4714.	200252
4559.	196016	4598.	196738	4637.	198061	4676.	199289	4715.	200262
4560.	196031	4599.	196803	4638.	198070	4677.	199416	4716.	200288
4561.	196063	4600.	196823	4639.	198133	4678.	199445	4717.	200357
4562.	196090	4601.	196862	4640.	198192	4679.	199448	4718.	200458
4563.	196123	4602.	196880	4641.	198236	4680.	199477	4719.	200488
4564.	196133	4603.	196893	4642.	198255	4681.	199503	4720.	200558
4565.	196156	4604.	197041	4643.	198263	4682.	199561	4721.	200570
4566.	196164	4605.	197046	4644.	198287	4683.	199571	4722.	200595
4567.	196184	4606.	197079	4645.	198306	4684.	199575	4723.	200609
4568.	196197	4607.	197087	4646.	198310	4685.	199603	4724.	200731
4569.	196218	4608.	197088	4647.	198328	4686.	199615	4725.	200754
4570.	196265	4609.	197104	4648.	198387	4687.	199669	4726.	200783

S. No.	Roll No.	S. No.	Roll No.	S. No.	Roll No.	S. No.	Roll No.	S. No.	Roll No.
4727.	200881	4766.	202236	4805.	203455	4844.	204840	4883.	206088
4728.	200943	4767.	202256	4806.	203490	4845.	204860	4884.	206097
4729.	201023	4768.	202330	4807.	203533	4846.	204865	4885.	206101
4730.	201033	4769.	202342	4808.	203537	4847.	204872	4886.	206117
4731.	201143	4770.	202465	4809.	203541	4848.	204886	4887.	206249
4732.	201216	4771.	202521	4810.	203604	4849.	204933	4888.	206458
4733.	201224	4772.	202574	4811.	203640	4850.	204949	4889.	206460
4734.	201250	4773.	202599	4812.	203689	4851.	205047	4890.	206466
4735.	201278	4774.	202606	4813.	203711	4852.	205090	4891.	206479
4736.	201282	4775.	202619	4814.	203717	4853.	205093	4892.	206541
4737.	201313	4776.	202638	4815.	203821	4854.	205153	4893.	206549
4738.	201327	4777.	202671	4816.	203830	4855.	205191	4894.	206690
4739.	201344	4778.	202675	4817.	203922	4856.	205195	4895.	206764
4740.	201368	4779.	202681	4818.	203939	4857.	205211	4896.	206777
4741.	201382	4780.	202698	4819.	203943	4858.	205247	4897.	206780
4742.	201478	4781.	202739	4820.	203983	4859.	205278	4898.	206781
4743.	201527	4782.	202753	4821.	203989	4860.	205303	4899.	206838
4744.	201545	4783.	202758	4822.	204020	4861.	205360	4900.	206858
4745.	201657	4784.	202795	4823.	204059	4862.	205370	4901.	206862
4746.	201705	4785.	202798	4824.	204120	4863.	205401	4902.	206899
4747.	201800	4786.	202802	4825.	204128	4864.	205415	4903.	206979
4748.	201819	4787.	202804	4826.	204201	4865.	205433	4904.	206987
4749.	201858	4788.	202845	4827.	204263	4866.	205441	4905.	206991
4750.	201885	4789.	202852	4828.	204282	4867.	205494	4906.	207009
4751.	201900	4790.	202876	4829.	204320	4868.	205514	4907.	207025
4752.	201920	4791.	202925	4830.	204329	4869.	205521	4908.	207030
4753.	201926	4792.	202928	4831.	204384	4870.	205524	4909.	207037
4754.	201956	4793.	202935	4832.	204416	4871.	205540	4910.	207060
4755.	201975	4794.	202948	4833.	204502	4872.	205566	4911.	207086
4756.	202015	4795.	202967	4834.	204523	4873.	205571	4912.	207091
4757.	202042	4796.	203051	4835.	204527	4874.	205640	4913.	207120
4758.	202051	4797.	203080	4836.	204562	4875.	205645	4914.	207136
4759.	202110	4798.	203091	4837.	204571	4876.	205667	4915.	207274
4760.	202119	4799.	203141	4838.	204621	4877.	205696	4916.	207376
4761.	202146	4800.	203240	4839.	204644	4878.	205757	4917.	207378
4762.	202166	4801.	203308	4840.	204706	4879.	205779	4918.	207465
4763.	202181	4802.	203371	4841.	204776	4880.	205820	4919.	207469
4764.	202189	4803.	203383	4842.	204796	4881.	205832	4920.	207542
4765.	202198	4804.	203437	4843.	204824	4882.	206019	4921.	207550

S. No.	Roll No.	S. No.	Roll No.	S. No.	Roll No.	S. No.	Roll No.	S. No.	Roll No.
4922.	207552	4962.	208901	5002.	210251	5042.	211876	5082.	213035
4923.	207567	4963.	208919	5003.	210263	5043.	211917	5083.	213047
4924.	207586	4964.	208922	5004.	210350	5044.	211932	5084.	213053
4925.	207676	4965.	208923	5005.	210361	5045.	211938	5085.	213067
4926.	207769	4966.	209066	5006.	210373	5046.	211946	5086.	213109
4927.	207780	4967.	209096	5007.	210517	5047.	211964	5087.	213116
4928.	207857	4968.	209097	5008.	210562	5048.	211989	5088.	213194
4929.	207911	4969.	209158	5009.	210570	5049.	212039	5089.	213219
4930.	207912	4970.	209169	5010.	210610	5050.	212046	5090.	213267
4931.	207933	4971.	209233	5011.	210621	5051.	212099	5091.	213357
4932.	207950	4972.	209254	5012.	210651	5052.	212116	5092.	213414
4933.	207982	4973.	209272	5013.	210716	5053.	212143	5093.	213617
4934.	208051	4974.	209343	5014.	210741	5054.	212213	5094.	213621
4935.	208062	4975.	209346	5015.	210767	5055.	212239	5095.	213817
4936.	208094	4976.	209402	5016.	210775	5056.	212257	5096.	213823
4937.	208123	4977.	209421	5017.	210796	5057.	212290	5097.	213874
4938.	208170	4978.	209442	5018.	210808	5058.	212371	5098.	213875
4939.	208192	4979.	209445	5019.	210809	5059.	212384	5099.	213897
4940.	208228	4980.	209567	5020.	210816	5060.	212388	5100.	213931
4941.	208232	4981.	209617	5021.	210887	5061.	212408	5101.	213957
4942.	208251	4982.	209663	5022.	210888	5062.	212411	5102.	213965
4943.	208292	4983.	209692	5023.	210906	5063.	212450	5103.	214016
4944.	208330	4984.	209738	5024.	210945	5064.	212470	5104.	214020
4945.	208336	4985.	209766	5025.	210947	5065.	212479	5105.	214192
4946.	208358	4986.	209773	5026.	210956	5066.	212501	5106.	214225
4947.	208419	4987.	209799	5027.	210983	5067.	212502	5107.	214269
4948.	208421	4988.	209829	5028.	210993	5068.	212503	5108.	214303
4949.	208448	4989.	209918	5029.	211050	5069.	212512	5109.	214321
4950.	208492	4990.	209925	5030.	211071	5070.	212571	5110.	214325
4951.	208539	4991.	209950	5031.	211089	5071.	212624	5111.	214393
4952.	208587	4992.	209998	5032.	211090	5072.	212700	5112.	214437
4953.	208599	4993.	210026	5033.	211153	5073.	212701	5113.	214465
4954.	208633	4994.	210081	5034.	211170	5074.	212728	5114.	214623
4955.	208663	4995.	210085	5035.	211173	5075.	212741	5115.	214648
4956.	208675	4996.	210121	5036.	211245	5076.	212750	5116.	214710
4957.	208680	4997.	210169	5037.	211273	5077.	212838	5117.	214760
4958.	208689	4998.	210177	5038.	211319	5078.	212860	5118.	214765
4959.	208787	4999.	210186	5039.	211569	5079.	212866	5119.	214792
4960.	208842	5000.	210201	5040.	211636	5080.	212899	5120.	214813
4961.	208898	5001.	210213	5041.	211674	5081.	213008	5121.	215021

S. No.	Roll No.	S. No.	Roll No.	S. No.	Roll No.	S. No.	Roll No.	S. No.	Roll No.
5122.	215245	5162.	217404	5202.	219281	5242.	220991	5282.	222428
5123.	215261	5163.	217410	5203.	219289	5243.	221012	5283.	222543
5124.	215264	5164.	217513	5204.	219315	5244.	221050	5284.	222548
5125.	215303	5165.	217518	5205.	219375	5245.	221067	5285.	222551
5126.	215370	5166.	217584	5206.	219394	5246.	221099	5286.	222585
5127.	215386	5167.	217590	5207.	219485	5247.	221199	5287.	222607
5128.	215489	5168.	217667	5208.	219501	5248.	221203	5288.	222613
5129.	215522	5169.	217673	5209.	219529	5249.	221221	5289.	222625
5130.	215544	5170.	217685	5210.	219550	5250.	221224	5290.	222627
5131.	215566	5171.	217715	5211.	219556	5251.	221448	5291.	222652
5132.	215588	5172.	217737	5212.	219629	5252.	221493	5292.	222671
5133.	215611	5173.	217905	5213.	219636	5253.	221524	5293.	222711
5134.	215735	5174.	217931	5214.	219763	5254.	221639	5294.	222730
5135.	215751	5175.	217954	5215.	219930	5255.	221649	5295.	222771
5136.	215784	5176.	217996	5216.	219995	5256.	221665	5296.	222772
5137.	215821	5177.	218029	5217.	220057	5257.	221674	5297.	222787
5138.	215836	5178.	218037	5218.	220065	5258.	221738	5298.	222808
5139.	215972	5179.	218136	5219.	220077	5259.	221768	5299.	222850
5140.	216166	5180.	218259	5220.	220122	5260.	221773	5300.	222887
5141.	216240	5181.	218340	5221.	220134	5261.	221794	5301.	222904
5142.	216348	5182.	218391	5222.	220137	5262.	221806	5302.	222910
5143.	216351	5183.	218415	5223.	220230	5263.	221850	5303.	222980
5144.	216355	5184.	218471	5224.	220254	5264.	221965	5304.	222988
5145.	216382	5185.	218507	5225.	220304	5265.	221971	5305.	223001
5146.	216560	5186.	218547	5226.	220320	5266.	222055	5306.	223044
5147.	216565	5187.	218609	5227.	220361	5267.	222058	5307.	223047
5148.	216573	5188.	218647	5228.	220376	5268.	222060	5308.	223073
5149.	216590	5189.	218650	5229.	220402	5269.	222149	5309.	223091
5150.	216705	5190.	218688	5230.	220433	5270.	222172	5310.	223111
5151.	216795	5191.	218697	5231.	220521	5271.	222184	5311.	223128
5152.	217013	5192.	218747	5232.	220538	5272.	222197	5312.	223139
5153.	217029	5193.	218757	5233.	220545	5273.	222201	5313.	223175
5154.	217080	5194.	218768	5234.	220641	5274.	222215	5314.	223189
5155.	217141	5195.	218785	5235.	220835	5275.	222278	5315.	223191
5156.	217209	5196.	218841	5236.	220841	5276.	222315	5316.	223199
5157.	217235	5197.	218867	5237.	220846	5277.	222348	5317.	223204
5158.	217236	5198.	218890	5238.	220907	5278.	222350	5318.	223250
5159.	217329	5199.	218920	5239.	220922	5279.	222388	5319.	223339
5160.	217365	5200.	219086	5240.	220971	5280.	222399	5320.	223360
5161.	217378	5201.	219258	5241.	220983	5281.	222425	5321.	223422

S. No.	Roll No.	S. No.	Roll No.	S. No.	Roll No.	S. No.	Roll No.	S. No.	Roll No.
5322.	223441	5362.	225051	5402.	226501	5442.	227830	5482.	229059
5323.	223474	5363.	225123	5403.	226576	5443.	227855	5483.	229070
5324.	223489	5364.	225141	5404.	226624	5444.	227960	5484.	229082
5325.	223491	5365.	225142	5405.	226634	5445.	227999	5485.	229156
5326.	223500	5366.	225219	5406.	226673	5446.	228029	5486.	229190
5327.	223611	5367.	225283	5407.	226720	5447.	228032	5487.	229216
5328.	223679	5368.	225292	5408.	226754	5448.	228054	5488.	229330
5329.	223680	5369.	225328	5409.	226760	5449.	228114	5489.	229426
5330.	223855	5370.	225369	5410.	226821	5450.	228134	5490.	229455
5331.	223888	5371.	225419	5411.	226824	5451.	228290	5491.	229503
5332.	223970	5372.	225443	5412.	226852	5452.	228317	5492.	229664
5333.	223981	5373.	225449	5413.	226861	5453.	228329	5493.	229701
5334.	224115	5374.	225463	5414.	226862	5454.	228417	5494.	229748
5335.	224161	5375.	225488	5415.	226865	5455.	228438	5495.	229778
5336.	224196	5376.	225489	5416.	226870	5456.	228439	5496.	229782
5337.	224266	5377.	225515	5417.	226933	5457.	228462	5497.	229811
5338.	224333	5378.	225538	5418.	226935	5458.	228534	5498.	229818
5339.	224339	5379.	225555	5419.	226956	5459.	228538	5499.	229825
5340.	224357	5380.	225616	5420.	226968	5460.	228545	5500.	229849
5341.	224362	5381.	225657	5421.	227053	5461.	228552	5501.	229902
5342.	224449	5382.	225663	5422.	227099	5462.	228555	5502.	229954
5343.	224473	5383.	225667	5423.	227108	5463.	228589	5503.	229965
5344.	224523	5384.	225686	5424.	227158	5464.	228622	5504.	229999
5345.	224534	5385.	225687	5425.	227209	5465.	228625	5505.	230030
5346.	224536	5386.	225689	5426.	227291	5466.	228642	5506.	230044
5347.	224587	5387.	225797	5427.	227371	5467.	228756	5507.	230076
5348.	224600	5388.	225812	5428.	227400	5468.	228793	5508.	230086
5349.	224659	5389.	225905	5429.	227479	5469.	228817	5509.	230147
5350.	224740	5390.	225979	5430.	227517	5470.	228830	5510.	230192
5351.	224817	5391.	226006	5431.	227527	5471.	228872	5511.	230226
5352.	224878	5392.	226083	5432.	227563	5472.	228884	5512.	230227
5353.	224883	5393.	226089	5433.	227567	5473.	228921	5513.	230245
5354.	224931	5394.	226153	5434.	227592	5474.	228924	5514.	230316
5355.	224935	5395.	226179	5435.	227649	5475.	228940	5515.	230328
5356.	224954	5396.	226203	5436.	227658	5476.	228943	5516.	230334
5357.	224956	5397.	226235	5437.	227679	5477.	228969	5517.	230348
5358.	224960	5398.	226252	5438.	227713	5478.	229013	5518.	230444
5359.	224965	5399.	226334	5439.	227716	5479.	229036	5519.	230532
5360.	224986	5400.	226443	5440.	227752	5480.	229043	5520.	230566
5361.	225032	5401.	226446	5441.	227763	5481.	229048	5521.	230606

S. No.	Roll No.	S. No.	Roll No.	S. No.	Roll No.	S. No.	Roll No.	S. No.	Roll No.
5522.	230622	5562.	232176	5602.	233852	5642.	234951	5682.	235966
5523.	230693	5563.	232210	5603.	233864	5643.	234973	5683.	235976
5524.	230714	5564.	232293	5604.	233887	5644.	234995	5684.	235992
5525.	230771	5565.	232439	5605.	233909	5645.	235047	5685.	235997
5526.	230794	5566.	232456	5606.	233933	5646.	235049	5686.	236009
5527.	230810	5567.	232509	5607.	234009	5647.	235052	5687.	236049
5528.	230844	5568.	232604	5608.	234028	5648.	235108	5688.	236115
5529.	230893	5569.	232617	5609.	234053	5649.	235132	5689.	236131
5530.	230921	5570.	232635	5610.	234064	5650.	235253	5690.	236147
5531.	230922	5571.	232680	5611.	234077	5651.	235290	5691.	236149
5532.	230992	5572.	232684	5612.	234098	5652.	235328	5692.	236227
5533.	231034	5573.	232688	5613.	234108	5653.	235335	5693.	236305
5534.	231098	5574.	232803	5614.	234128	5654.	235370	5694.	236343
5535.	231124	5575.	232856	5615.	234173	5655.	235377	5695.	236369
5536.	231299	5576.	232880	5616.	234175	5656.	235391	5696.	236441
5537.	231348	5577.	232896	5617.	234177	5657.	235399	5697.	236443
5538.	231355	5578.	233007	5618.	234199	5658.	235405	5698.	236460
5539.	231356	5579.	233158	5619.	234223	5659.	235406	5699.	236468
5540.	231396	5580.	233205	5620.	234242	5660.	235414	5700.	236476
5541.	231430	5581.	233433	5621.	234244	5661.	235424	5701.	236493
5542.	231516	5582.	233481	5622.	234309	5662.	235426	5702.	236499
5543.	231519	5583.	233505	5623.	234329	5663.	235430	5703.	236514
5544.	231536	5584.	233506	5624.	234425	5664.	235454	5704.	236535
5545.	231553	5585.	233512	5625.	234460	5665.	235494	5705.	236573
5546.	231591	5586.	233528	5626.	234493	5666.	235510	5706.	236575
5547.	231624	5587.	233537	5627.	234510	5667.	235512	5707.	236634
5548.	231681	5588.	233566	5628.	234596	5668.	235538	5708.	236660
5549.	231757	5589.	233575	5629.	234603	5669.	235632	5709.	236680
5550.	231790	5590.	233598	5630.	234621	5670.	235705	5710.	236692
5551.	231818	5591.	233607	5631.	234649	5671.	235730	5711.	236703
5552.	231829	5592.	233611	5632.	234719	5672.	235744	5712.	236704
5553.	231839	5593.	233631	5633.	234741	5673.	235746	5713.	236710
5554.	231967	5594.	233676	5634.	234789	5674.	235819	5714.	236720
5555.	231986	5595.	233695	5635.	234820	5675.	235831	5715.	236733
5556.	232013	5596.	233698	5636.	234832	5676.	235836	5716.	236744
5557.	232040	5597.	233748	5637.	234839	5677.	235904	5717.	236750
5558.	232073	5598.	233762	5638.	234865	5678.	235911	5718.	236793
5559.	232094	5599.	233793	5639.	234882	5679.	235922	5719.	236795
5560.	232100	5600.	233816	5640.	234897	5680.	235944	5720.	236797
5561.	232105	5601.	233825	5641.	234929	5681.	235957	5721.	236819

S. No.	Roll No.	S. No.	Roll No.	S. No.	Roll No.	S. No.	Roll No.	S. No.	Roll No.
5722.	236832	5761.	237738	5800.	238824	5839.	239909	5878.	241113
5723.	236871	5762.	237757	5801.	238862	5840.	239910	5879.	241116
5724.	236898	5763.	237772	5802.	238888	5841.	240007	5880.	241137
5725.	236913	5764.	237811	5803.	238890	5842.	240042	5881.	241153
5726.	236926	5765.	237815	5804.	238900	5843.	240066	5882.	241241
5727.	236939	5766.	237841	5805.	238941	5844.	240090	5883.	241297
5728.	237014	5767.	237845	5806.	238952	5845.	240114	5884.	241298
5729.	237024	5768.	237880	5807.	238958	5846.	240149	5885.	241309
5730.	237034	5769.	237887	5808.	239041	5847.	240239	5886.	241314
5731.	237049	5770.	237906	5809.	239043	5848.	240241	5887.	241329
5732.	237059	5771.	237927	5810.	239066	5849.	240340	5888.	241335
5733.	237087	5772.	237940	5811.	239135	5850.	240342	5889.	241336
5734.	237093	5773.	237998	5812.	239137	5851.	240350	5890.	241462
5735.	237094	5774.	238050	5813.	239139	5852.	240353	5891.	241502
5736.	237107	5775.	238082	5814.	239145	5853.	240359	5892.	241529
5737.	237137	5776.	238090	5815.	239200	5854.	240386	5893.	241557
5738.	237147	5777.	238107	5816.	239249	5855.	240423	5894.	241578
5739.	237148	5778.	238132	5817.	239265	5856.	240485	5895.	241589
5740.	237191	5779.	238141	5818.	239288	5857.	240532	5896.	241590
5741.	237196	5780.	238148	5819.	239304	5858.	240570	5897.	241630
5742.	237209	5781.	238189	5820.	239312	5859.	240592	5898.	241656
5743.	237220	5782.	238201	5821.	239333	5860.	240613	5899.	241717
5744.	237258	5783.	238208	5822.	239341	5861.	240660	5900.	241727
5745.	237270	5784.	238273	5823.	239348	5862.	240725	5901.	241731
5746.	237272	5785.	238318	5824.	239418	5863.	240737	5902.	241739
5747.	237274	5786.	238322	5825.	239433	5864.	240739	5903.	241766
5748.	237346	5787.	238357	5826.	239447	5865.	240746	5904.	241779
5749.	237351	5788.	238382	5827.	239483	5866.	240777	5905.	241782
5750.	237478	5789.	238383	5828.	239514	5867.	240784	5906.	241787
5751.	237488	5790.	238397	5829.	239521	5868.	240822	5907.	241818
5752.	237530	5791.	238411	5830.	239542	5869.	240845	5908.	241840
5753.	237550	5792.	238456	5831.	239553	5870.	240849	5909.	241849
5754.	237553	5793.	238479	5832.	239579	5871.	240863	5910.	241871
5755.	237571	5794.	238533	5833.	239608	5872.	240889	5911.	241878
5756.	237613	5795.	238552	5834.	239624	5873.	240907	5912.	241890
5757.	237643	5796.	238573	5835.	239747	5874.	240982	5913.	241969
5758.	237669	5797.	238585	5836.	239785	5875.	240986	5914.	241995
5759.	237676	5798.	238765	5837.	239854	5876.	241037	5915.	242009
5760.	237691	5799.	238819	5838.	239885	5877.	241038	5916.	242040

S. No.	Roll No.	S. No.	Roll No.	S. No.	Roll No.	S. No.	Roll No.	S. No.	Roll No.
5917.	242082	5956.	243093	5995.	244163	6034.	245114	6073.	245998
5918.	242146	5957.	243131	5996.	244175	6035.	245148	6074.	246001
5919.	242200	5958.	243132	5997.	244202	6036.	245161	6075.	246056
5920.	242251	5959.	243153	5998.	244218	6037.	245167	6076.	246095
5921.	242253	5960.	243154	5999.	244327	6038.	245168	6077.	246097
5922.	242255	5961.	243252	6000.	244332	6039.	245183	6078.	246153
5923.	242325	5962.	243256	6001.	244355	6040.	245236	6079.	246195
5924.	242407	5963.	243289	6002.	244365	6041.	245270	6080.	246262
5925.	242433	5964.	243331	6003.	244400	6042.	245312	6081.	246306
5926.	242443	5965.	243380	6004.	244422	6043.	245351	6082.	246340
5927.	242483	5966.	243395	6005.	244424	6044.	245355	6083.	246368
5928.	242498	5967.	243403	6006.	244459	6045.	245376	6084.	246459
5929.	242506	5968.	243435	6007.	244510	6046.	245409	6085.	246483
5930.	242509	5969.	243491	6008.	244523	6047.	245444	6086.	246511
5931.	242534	5970.	243568	6009.	244531	6048.	245457	6087.	246543
5932.	242535	5971.	243569	6010.	244535	6049.	245460	6088.	246546
5933.	242610	5972.	243575	6011.	244538	6050.	245467	6089.	246654
5934.	242644	5973.	243577	6012.	244557	6051.	245477	6090.	246668
5935.	242652	5974.	243666	6013.	244561	6052.	245497	6091.	246728
5936.	242718	5975.	243681	6014.	244593	6053.	245522	6092.	246796
5937.	242729	5976.	243695	6015.	244612	6054.	245538	6093.	246819
5938.	242745	5977.	243724	6016.	244632	6055.	245573	6094.	246854
5939.	242747	5978.	243733	6017.	244638	6056.	245575	6095.	246861
5940.	242748	5979.	243738	6018.	244770	6057.	245592	6096.	246929
5941.	242767	5980.	243802	6019.	244775	6058.	245645	6097.	246934
5942.	242804	5981.	243814	6020.	244784	6059.	245658	6098.	246937
5943.	242833	5982.	243884	6021.	244803	6060.	245675	6099.	246953
5944.	242854	5983.	243903	6022.	244816	6061.	245689	6100.	246981
5945.	242869	5984.	243912	6023.	244844	6062.	245704	6101.	247012
5946.	242873	5985.	243932	6024.	244860	6063.	245714	6102.	247043
5947.	242915	5986.	243957	6025.	244866	6064.	245728	6103.	247065
5948.	242971	5987.	243964	6026.	244888	6065.	245778	6104.	247086
5949.	242983	5988.	243967	6027.	244898	6066.	245786	6105.	247098
5950.	243017	5989.	243982	6028.	244918	6067.	245792	6106.	247145
5951.	243024	5990.	244016	6029.	244937	6068.	245799	6107.	247187
5952.	243041	5991.	244043	6030.	245024	6069.	245815	6108.	247199
5953.	243075	5992.	244115	6031.	245053	6070.	245821	6109.	247206
5954.	243084	5993.	244118	6032.	245060	6071.	245916	6110.	247212
5955.	243087	5994.	244134	6033.	245081	6072.	245930	6111.	247215

S. No.	Roll No.	S. No.	Roll No.	S. No.	Roll No.	S. No.	Roll No.	S. No.	Roll No.
6112.	247234	6151.	248038	6190.	249269	6229.	250347	6268.	251472
6113.	247286	6152.	248066	6191.	249271	6230.	250360	6269.	251476
6114.	247287	6153.	248103	6192.	249274	6231.	250368	6270.	251492
6115.	247290	6154.	248106	6193.	249300	6232.	250390	6271.	251535
6116.	247294	6155.	248123	6194.	249360	6233.	250394	6272.	251542
6117.	247301	6156.	248148	6195.	249382	6234.	250409	6273.	251546
6118.	247302	6157.	248183	6196.	249461	6235.	250449	6274.	251600
6119.	247341	6158.	248197	6197.	249526	6236.	250464	6275.	251671
6120.	247347	6159.	248215	6198.	249537	6237.	250467	6276.	251672
6121.	247350	6160.	248269	6199.	249585	6238.	250479	6277.	251678
6122.	247397	6161.	248270	6200.	249627	6239.	250531	6278.	251682
6123.	247421	6162.	248309	6201.	249648	6240.	250558	6279.	251777
6124.	247428	6163.	248326	6202.	249670	6241.	250589	6280.	251821
6125.	247470	6164.	248403	6203.	249689	6242.	250591	6281.	251824
6126.	247478	6165.	248510	6204.	249722	6243.	250652	6282.	251862
6127.	247523	6166.	248513	6205.	249730	6244.	250702	6283.	251889
6128.	247546	6167.	248517	6206.	249733	6245.	250710	6284.	251921
6129.	247567	6168.	248524	6207.	249751	6246.	250718	6285.	251944
6130.	247591	6169.	248535	6208.	249782	6247.	250725	6286.	251962
6131.	247615	6170.	248536	6209.	249806	6248.	250760	6287.	252002
6132.	247623	6171.	248544	6210.	249847	6249.	250808	6288.	252058
6133.	247628	6172.	248571	6211.	249855	6250.	250845	6289.	252067
6134.	247647	6173.	248677	6212.	249861	6251.	250915	6290.	252069
6135.	247668	6174.	248704	6213.	249881	6252.	250966	6291.	252107
6136.	247674	6175.	248769	6214.	249887	6253.	250986	6292.	252122
6137.	247711	6176.	248788	6215.	249920	6254.	251043	6293.	252149
6138.	247738	6177.	248795	6216.	249925	6255.	251054	6294.	252162
6139.	247785	6178.	248858	6217.	249956	6256.	251123	6295.	252200
6140.	247812	6179.	248931	6218.	249986	6257.	251128	6296.	252225
6141.	247822	6180.	248932	6219.	249997	6258.	251132	6297.	252227
6142.	247828	6181.	248958	6220.	249999	6259.	251139	6298.	252244
6143.	247877	6182.	248966	6221.	250110	6260.	251169	6299.	252255
6144.	247881	6183.	249028	6222.	250158	6261.	251193	6300.	252256
6145.	247913	6184.	249117	6223.	250174	6262.	251216	6301.	252258
6146.	247952	6185.	249121	6224.	250199	6263.	251308	6302.	252267
6147.	247995	6186.	249128	6225.	250200	6264.	251312	6303.	252275
6148.	248024	6187.	249136	6226.	250256	6265.	251408	6304.	252276
6149.	248032	6188.	249195	6227.	250314	6266.	251412	6305.	252309
6150.	248035	6189.	249250	6228.	250342	6267.	251426	6306.	252336

S. No.	Roll No.	S. No.	Roll No.	S. No.	Roll No.	S. No.	Roll No.	S. No.	Roll No.
6307.	252360	6346.	253479	6385.	254498	6424.	255424	6463.	256332
6308.	252437	6347.	253567	6386.	254514	6425.	255489	6464.	256341
6309.	252508	6348.	253610	6387.	254521	6426.	255510	6465.	256451
6310.	252525	6349.	253611	6388.	254525	6427.	255520	6466.	256463
6311.	252649	6350.	253660	6389.	254547	6428.	255570	6467.	256499
6312.	252655	6351.	253694	6390.	254564	6429.	255583	6468.	256579
6313.	252656	6352.	253699	6391.	254570	6430.	255621	6469.	256626
6314.	252696	6353.	253700	6392.	254588	6431.	255633	6470.	256665
6315.	252702	6354.	253717	6393.	254594	6432.	255640	6471.	256681
6316.	252711	6355.	253747	6394.	254596	6433.	255642	6472.	256746
6317.	252712	6356.	253778	6395.	254658	6434.	255713	6473.	256750
6318.	252717	6357.	253780	6396.	254665	6435.	255735	6474.	256792
6319.	252822	6358.	253838	6397.	254710	6436.	255792	6475.	256796
6320.	252852	6359.	253846	6398.	254755	6437.	255795	6476.	256800
6321.	252876	6360.	253864	6399.	254761	6438.	255802	6477.	256834
6322.	252922	6361.	253891	6400.	254810	6439.	255805	6478.	256842
6323.	252932	6362.	253942	6401.	254816	6440.	255893	6479.	256853
6324.	252954	6363.	253956	6402.	254865	6441.	255940	6480.	256895
6325.	253022	6364.	253963	6403.	254867	6442.	255944	6481.	256902
6326.	253028	6365.	253966	6404.	254876	6443.	255979	6482.	256903
6327.	253033	6366.	254075	6405.	254877	6444.	255982	6483.	256936
6328.	253094	6367.	254094	6406.	254914	6445.	255988	6484.	256962
6329.	253124	6368.	254111	6407.	254925	6446.	256004	6485.	256970
6330.	253192	6369.	254114	6408.	254985	6447.	256041	6486.	256975
6331.	253204	6370.	254126	6409.	255007	6448.	256050	6487.	256980
6332.	253207	6371.	254165	6410.	255037	6449.	256077	6488.	256994
6333.	253223	6372.	254187	6411.	255052	6450.	256099	6489.	257092
6334.	253239	6373.	254218	6412.	255090	6451.	256103	6490.	257103
6335.	253275	6374.	254259	6413.	255107	6452.	256109	6491.	257113
6336.	253320	6375.	254289	6414.	255112	6453.	256146	6492.	257125
6337.	253326	6376.	254396	6415.	255114	6454.	256152	6493.	257162
6338.	253330	6377.	254410	6416.	255134	6455.	256156	6494.	257181
6339.	253340	6378.	254412	6417.	255149	6456.	256190	6495.	257246
6340.	253347	6379.	254416	6418.	255168	6457.	256199	6496.	257252
6341.	253356	6380.	254426	6419.	255177	6458.	256232	6497.	257293
6342.	253381	6381.	254442	6420.	255194	6459.	256237	6498.	257381
6343.	253398	6382.	254460	6421.	255294	6460.	256266	6499.	257389
6344.	253408	6383.	254467	6422.	255305	6461.	256301	6500.	257417
6345.	253468	6384.	254476	6423.	255308	6462.	256319	6501.	257418

S. No.	Roll No.	S. No.	Roll No.	S. No.	Roll No.	S. No.	Roll No.	S. No.	Roll No.
6502.	257475	6541.	258803	6580.	260032	6619.	261252	6658.	262355
6503.	257512	6542.	258816	6581.	260060	6620.	261286	6659.	262390
6504.	257528	6543.	258820	6582.	260107	6621.	261304	6660.	262437
6505.	257542	6544.	258843	6583.	260116	6622.	261312	6661.	262438
6506.	257553	6545.	258872	6584.	260142	6623.	261399	6662.	262460
6507.	257593	6546.	258893	6585.	260232	6624.	261413	6663.	262461
6508.	257602	6547.	258905	6586.	260274	6625.	261424	6664.	262482
6509.	257775	6548.	258915	6587.	260282	6626.	261453	6665.	262495
6510.	257820	6549.	258953	6588.	260291	6627.	261463	6666.	262549
6511.	257841	6550.	259104	6589.	260327	6628.	261501	6667.	262553
6512.	257898	6551.	259130	6590.	260328	6629.	261514	6668.	262590
6513.	257924	6552.	259134	6591.	260404	6630.	261532	6669.	262629
6514.	257934	6553.	259143	6592.	260411	6631.	261550	6670.	262642
6515.	257949	6554.	259157	6593.	260484	6632.	261552	6671.	262760
6516.	257951	6555.	259178	6594.	260568	6633.	261589	6672.	262794
6517.	257959	6556.	259190	6595.	260569	6634.	261655	6673.	262799
6518.	258052	6557.	259226	6596.	260669	6635.	261709	6674.	262810
6519.	258141	6558.	259257	6597.	260716	6636.	261763	6675.	262818
6520.	258156	6559.	259334	6598.	260722	6637.	261779	6676.	262824
6521.	258189	6560.	259352	6599.	260751	6638.	261782	6677.	262847
6522.	258229	6561.	259374	6600.	260810	6639.	261810	6678.	262879
6523.	258245	6562.	259391	6601.	260823	6640.	261884	6679.	262906
6524.	258249	6563.	259459	6602.	260825	6641.	261900	6680.	262925
6525.	258257	6564.	259460	6603.	260877	6642.	261958	6681.	262935
6526.	258291	6565.	259461	6604.	260888	6643.	261970	6682.	262948
6527.	258325	6566.	259489	6605.	260906	6644.	261972	6683.	263049
6528.	258457	6567.	259500	6606.	260918	6645.	261986	6684.	263054
6529.	258480	6568.	259501	6607.	260973	6646.	262008	6685.	263063
6530.	258536	6569.	259549	6608.	260995	6647.	262044	6686.	263111
6531.	258553	6570.	259582	6609.	261002	6648.	262045	6687.	263132
6532.	258576	6571.	259643	6610.	261003	6649.	262136	6688.	263149
6533.	258592	6572.	259772	6611.	261011	6650.	262146	6689.	263172
6534.	258626	6573.	259775	6612.	261040	6651.	262188	6690.	263243
6535.	258647	6574.	259820	6613.	261136	6652.	262234	6691.	263270
6536.	258658	6575.	259824	6614.	261142	6653.	262285	6692.	263277
6537.	258693	6576.	259855	6615.	261175	6654.	262291	6693.	263317
6538.	258711	6577.	259894	6616.	261194	6655.	262314	6694.	263331
6539.	258726	6578.	259921	6617.	261204	6656.	262327	6695.	263355
6540.	258729	6579.	259936	6618.	261237	6657.	262332	6696.	263374

S. No.	Roll No.	S. No.	Roll No.	S. No.	Roll No.	S. No.	Roll No.	S. No.	Roll No.
6697.	263399	6736.	264598	6775.	265717	6814.	266980	6853.	268545
6698.	263455	6737.	264611	6776.	265731	6815.	267058	6854.	268565
6699.	263477	6738.	264621	6777.	265739	6816.	267088	6855.	268610
6700.	263508	6739.	264638	6778.	265799	6817.	267095	6856.	268645
6701.	263513	6740.	264655	6779.	265853	6818.	267101	6857.	268700
6702.	263577	6741.	264663	6780.	265882	6819.	267124	6858.	268780
6703.	263583	6742.	264768	6781.	265888	6820.	267266	6859.	268781
6704.	263684	6743.	264799	6782.	265957	6821.	267305	6860.	268828
6705.	263695	6744.	264836	6783.	265965	6822.	267376	6861.	268879
6706.	263726	6745.	264859	6784.	265977	6823.	267434	6862.	268908
6707.	263743	6746.	264862	6785.	265981	6824.	267460	6863.	268914
6708.	263756	6747.	264874	6786.	265999	6825.	267465	6864.	268920
6709.	263791	6748.	264879	6787.	266002	6826.	267487	6865.	268927
6710.	263799	6749.	264910	6788.	266010	6827.	267550	6866.	268963
6711.	263802	6750.	265016	6789.	266048	6828.	267563	6867.	268968
6712.	263884	6751.	265018	6790.	266087	6829.	267568	6868.	269040
6713.	263925	6752.	265029	6791.	266158	6830.	267579	6869.	269046
6714.	263946	6753.	265040	6792.	266177	6831.	267595	6870.	269079
6715.	263973	6754.	265087	6793.	266271	6832.	267635	6871.	269146
6716.	264007	6755.	265097	6794.	266278	6833.	267662	6872.	269171
6717.	264174	6756.	265101	6795.	266314	6834.	267680	6873.	269212
6718.	264264	6757.	265193	6796.	266332	6835.	267722	6874.	269233
6719.	264280	6758.	265241	6797.	266339	6836.	267736	6875.	269269
6720.	264290	6759.	265259	6798.	266481	6837.	267759	6876.	269275
6721.	264309	6760.	265288	6799.	266525	6838.	267762	6877.	269282
6722.	264356	6761.	265343	6800.	266530	6839.	267777	6878.	269284
6723.	264450	6762.	265380	6801.	266569	6840.	267797	6879.	269292
6724.	264465	6763.	265411	6802.	266593	6841.	267904	6880.	269336
6725.	264478	6764.	265420	6803.	266679	6842.	268078	6881.	269378
6726.	264491	6765.	265428	6804.	266749	6843.	268082	6882.	269410
6727.	264511	6766.	265439	6805.	266778	6844.	268131	6883.	269449
6728.	264523	6767.	265468	6806.	266848	6845.	268139	6884.	269452
6729.	264527	6768.	265522	6807.	266856	6846.	268255	6885.	269461
6730.	264533	6769.	265530	6808.	266883	6847.	268305	6886.	269505
6731.	264537	6770.	265539	6809.	266885	6848.	268334	6887.	269532
6732.	264554	6771.	265549	6810.	266908	6849.	268346	6888.	269539
6733.	264573	6772.	265610	6811.	266921	6850.	268434	6889.	269543
6734.	264582	6773.	265613	6812.	266936	6851.	268484	6890.	269638
6735.	264597	6774.	265688	6813.	266946	6852.	268505	6891.	269762

S. No.	Roll No.	S. No.	Roll No.	S. No.	Roll No.	S. No.	Roll No.	S. No.	Roll No.
6892.	269772	6931.	270816	6970.	271608	7009.	272677	7048.	274125
6893.	269775	6932.	270831	6971.	271617	7010.	272691	7049.	274180
6894.	269785	6933.	270843	6972.	271638	7011.	272722	7050.	274221
6895.	269856	6934.	270920	6973.	271642	7012.	272861	7051.	274233
6896.	269857	6935.	270932	6974.	271664	7013.	272955	7052.	274235
6897.	269876	6936.	270973	6975.	271670	7014.	272973	7053.	274242
6898.	269933	6937.	270989	6976.	271687	7015.	272985	7054.	274292
6899.	270032	6938.	271032	6977.	271698	7016.	272989	7055.	274307
6900.	270055	6939.	271047	6978.	271742	7017.	272991	7056.	274477
6901.	270059	6940.	271055	6979.	271781	7018.	273001	7057.	274479
6902.	270079	6941.	271058	6980.	271789	7019.	273009	7058.	274482
6903.	270106	6942.	271060	6981.	271794	7020.	273012	7059.	274491
6904.	270112	6943.	271104	6982.	271841	7021.	273056	7060.	274495
6905.	270146	6944.	271117	6983.	271844	7022.	273085	7061.	274600
6906.	270181	6945.	271130	6984.	271866	7023.	273249	7062.	274659
6907.	270205	6946.	271149	6985.	271869	7024.	273254	7063.	274691
6908.	270228	6947.	271213	6986.	271886	7025.	273260	7064.	274730
6909.	270277	6948.	271235	6987.	271941	7026.	273331	7065.	274749
6910.	270283	6949.	271240	6988.	271953	7027.	273351	7066.	274805
6911.	270381	6950.	271252	6989.	272005	7028.	273412	7067.	274832
6912.	270414	6951.	271269	6990.	272008	7029.	273456	7068.	274846
6913.	270431	6952.	271300	6991.	272032	7030.	273460	7069.	274873
6914.	270443	6953.	271372	6992.	272073	7031.	273472	7070.	274948
6915.	270444	6954.	271376	6993.	272080	7032.	273475	7071.	274999
6916.	270511	6955.	271378	6994.	272105	7033.	273500	7072.	275029
6917.	270518	6956.	271379	6995.	272116	7034.	273526	7073.	275045
6918.	270543	6957.	271399	6996.	272132	7035.	273536	7074.	275048
6919.	270621	6958.	271419	6997.	272140	7036.	273627	7075.	275069
6920.	270635	6959.	271433	6998.	272157	7037.	273694	7076.	275183
6921.	270655	6960.	271445	6999.	272196	7038.	273719	7077.	275216
6922.	270669	6961.	271469	7000.	272205	7039.	273823	7078.	275232
6923.	270670	6962.	271519	7001.	272206	7040.	273871	7079.	275239
6924.	270675	6963.	271531	7002.	272363	7041.	273973	7080.	275261
6925.	270679	6964.	271535	7003.	272412	7042.	274007	7081.	275297
6926.	270701	6965.	271545	7004.	272457	7043.	274047	7082.	275311
6927.	270717	6966.	271562	7005.	272516	7044.	274058	7083.	275356
6928.	270788	6967.	271565	7006.	272524	7045.	274075	7084.	275362
6929.	270800	6968.	271588	7007.	272591	7046.	274088	7085.	275439
6930.	270810	6969.	271592	7008.	272647	7047.	274108	7086.	275541

S. No.	Roll No.	S. No.	Roll No.	S. No.	Roll No.	S. No.	Roll No.	S. No.	Roll No.
7087.	275556	7126.	277071	7165.	278362	7204.	279514	7243.	280839
7088.	275565	7127.	277113	7166.	278381	7205.	279521	7244.	280857
7089.	275570	7128.	277249	7167.	278404	7206.	279538	7245.	281015
7090.	275596	7129.	277357	7168.	278424	7207.	279564	7246.	281083
7091.	275628	7130.	277380	7169.	278440	7208.	279571	7247.	281243
7092.	275635	7131.	277450	7170.	278445	7209.	279574	7248.	281252
7093.	275671	7132.	277525	7171.	278487	7210.	279587	7249.	281266
7094.	275715	7133.	277590	7172.	278488	7211.	279683	7250.	281305
7095.	275827	7134.	277679	7173.	278501	7212.	279704	7251.	281337
7096.	275831	7135.	277687	7174.	278513	7213.	279729	7252.	281338
7097.	275883	7136.	277706	7175.	278519	7214.	279776	7253.	281407
7098.	275925	7137.	277717	7176.	278548	7215.	279806	7254.	281415
7099.	275938	7138.	277744	7177.	278635	7216.	279850	7255.	281452
7100.	275991	7139.	277751	7178.	278640	7217.	279860	7256.	281483
7101.	276070	7140.	277753	7179.	278701	7218.	279866	7257.	281629
7102.	276126	7141.	277771	7180.	278735	7219.	279885	7258.	281648
7103.	276197	7142.	277784	7181.	278744	7220.	280034	7259.	281664
7104.	276228	7143.	277838	7182.	278754	7221.	280066	7260.	281673
7105.	276289	7144.	277840	7183.	278797	7222.	280070	7261.	281680
7106.	276321	7145.	277849	7184.	278806	7223.	280081	7262.	281683
7107.	276350	7146.	277864	7185.	278824	7224.	280088	7263.	281725
7108.	276368	7147.	277879	7186.	278861	7225.	280159	7264.	281741
7109.	276474	7148.	277904	7187.	278940	7226.	280163	7265.	281799
7110.	276490	7149.	277934	7188.	278958	7227.	280274	7266.	281885
7111.	276503	7150.	277950	7189.	279030	7228.	280341	7267.	281924
7112.	276542	7151.	277987	7190.	279049	7229.	280379	7268.	281937
7113.	276547	7152.	278084	7191.	279073	7230.	280425	7269.	282030
7114.	276607	7153.	278087	7192.	279153	7231.	280482	7270.	282041
7115.	276615	7154.	278130	7193.	279182	7232.	280517	7271.	282078
7116.	276638	7155.	278195	7194.	279184	7233.	280522	7272.	282095
7117.	276668	7156.	278225	7195.	279216	7234.	280533	7273.	282136
7118.	276670	7157.	278248	7196.	279258	7235.	280638	7274.	282151
7119.	276675	7158.	278251	7197.	279311	7236.	280651	7275.	282164
7120.	276695	7159.	278258	7198.	279341	7237.	280669	7276.	282219
7121.	276815	7160.	278262	7199.	279423	7238.	280673	7277.	282270
7122.	276823	7161.	278271	7200.	279445	7239.	280752	7278.	282279
7123.	276870	7162.	278272	7201.	279452	7240.	280793	7279.	282300
7124.	276935	7163.	278290	7202.	279493	7241.	280794	7280.	282332
7125.	277064	7164.	278358	7203.	279510	7242.	280808	7281.	282338

S. No.	Roll No.	S. No.	Roll No.	S. No.	Roll No.	S. No.	Roll No.	S. No.	Roll No.
7282.	282354	7321.	283915	7360.	285068	7399.	286222	7438.	287920
7283.	282371	7322.	283917	7361.	285138	7400.	286242	7439.	287926
7284.	282418	7323.	283968	7362.	285146	7401.	286347	7440.	287931
7285.	282424	7324.	283979	7363.	285156	7402.	286371	7441.	288002
7286.	282461	7325.	284063	7364.	285181	7403.	286452	7442.	288085
7287.	282605	7326.	284126	7365.	285209	7404.	286479	7443.	288200
7288.	282722	7327.	284148	7366.	285215	7405.	286521	7444.	288201
7289.	282748	7328.	284163	7367.	285258	7406.	286542	7445.	288234
7290.	282759	7329.	284177	7368.	285286	7407.	286572	7446.	288238
7291.	282794	7330.	284195	7369.	285319	7408.	286671	7447.	288259
7292.	282800	7331.	284264	7370.	285345	7409.	286734	7448.	288261
7293.	282808	7332.	284296	7371.	285356	7410.	286848	7449.	288367
7294.	282904	7333.	284307	7372.	285401	7411.	286854	7450.	288406
7295.	282916	7334.	284314	7373.	285507	7412.	286888	7451.	288414
7296.	282933	7335.	284328	7374.	285513	7413.	286901	7452.	288440
7297.	282945	7336.	284330	7375.	285519	7414.	286906	7453.	288532
7298.	282994	7337.	284450	7376.	285549	7415.	286981	7454.	288572
7299.	283095	7338.	284474	7377.	285574	7416.	286998	7455.	288639
7300.	283166	7339.	284480	7378.	285577	7417.	287013	7456.	288774
7301.	283196	7340.	284489	7379.	285601	7418.	287076	7457.	288789
7302.	283203	7341.	284492	7380.	285619	7419.	287082	7458.	288802
7303.	283251	7342.	284521	7381.	285670	7420.	287095	7459.	288807
7304.	283303	7343.	284527	7382.	285685	7421.	287190	7460.	288998
7305.	283319	7344.	284529	7383.	285689	7422.	287290	7461.	289006
7306.	283352	7345.	284549	7384.	285693	7423.	287335	7462.	289015
7307.	283362	7346.	284595	7385.	285704	7424.	287337	7463.	289062
7308.	283412	7347.	284612	7386.	285756	7425.	287539	7464.	289069
7309.	283440	7348.	284616	7387.	285771	7426.	287623	7465.	289109
7310.	283495	7349.	284645	7388.	285813	7427.	287658	7466.	289119
7311.	283523	7350.	284674	7389.	285911	7428.	287679	7467.	289122
7312.	283566	7351.	284699	7390.	285919	7429.	287691	7468.	289148
7313.	283714	7352.	284734	7391.	285933	7430.	287701	7469.	289255
7314.	283728	7353.	284774	7392.	285935	7431.	287742	7470.	289365
7315.	283778	7354.	284811	7393.	285974	7432.	287797	7471.	289379
7316.	283796	7355.	284840	7394.	285994	7433.	287849	7472.	289397
7317.	283808	7356.	284865	7395.	286027	7434.	287873	7473.	289409
7318.	283876	7357.	284917	7396.	286035	7435.	287879	7474.	289414
7319.	283893	7358.	284934	7397.	286079	7436.	287892	7475.	289443
7320.	283912	7359.	284938	7398.	286159	7437.	287912	7476.	289465

S. No.	Roll No.	S. No.	Roll No.	S. No.	Roll No.	S. No.	Roll No.	S. No.	Roll No.
7477.	289495	7516.	290789	7555.	292356	7594.	293495	7633.	294562
7478.	289503	7517.	290921	7556.	292367	7595.	293501	7634.	294587
7479.	289507	7518.	290926	7557.	292383	7596.	293528	7635.	294594
7480.	289542	7519.	290993	7558.	292387	7597.	293558	7636.	294693
7481.	289549	7520.	291017	7559.	292391	7598.	293635	7637.	294732
7482.	289550	7521.	291052	7560.	292409	7599.	293638	7638.	294766
7483.	289585	7522.	291075	7561.	292410	7600.	293669	7639.	294783
7484.	289602	7523.	291118	7562.	292504	7601.	293718	7640.	294807
7485.	289607	7524.	291152	7563.	292538	7602.	293725	7641.	294820
7486.	289732	7525.	291244	7564.	292629	7603.	293769	7642.	294891
7487.	289754	7526.	291284	7565.	292633	7604.	293808	7643.	294915
7488.	289777	7527.	291289	7566.	292644	7605.	293836	7644.	294966
7489.	289786	7528.	291388	7567.	292653	7606.	293859	7645.	294970
7490.	289865	7529.	291533	7568.	292659	7607.	293930	7646.	295063
7491.	289871	7530.	291622	7569.	292701	7608.	293980	7647.	295085
7492.	289884	7531.	291670	7570.	292717	7609.	294060	7648.	295088
7493.	289890	7532.	291717	7571.	292733	7610.	294063	7649.	295117
7494.	289920	7533.	291719	7572.	292767	7611.	294075	7650.	295138
7495.	289942	7534.	291759	7573.	292833	7612.	294087	7651.	295162
7496.	289973	7535.	291792	7574.	292841	7613.	294125	7652.	295232
7497.	289978	7536.	291796	7575.	292882	7614.	294129	7653.	295233
7498.	290029	7537.	291801	7576.	292902	7615.	294146	7654.	295256
7499.	290055	7538.	291928	7577.	292911	7616.	294166	7655.	295331
7500.	290097	7539.	291956	7578.	292973	7617.	294175	7656.	295346
7501.	290110	7540.	291965	7579.	292976	7618.	294206	7657.	295453
7502.	290126	7541.	291973	7580.	292980	7619.	294269	7658.	295527
7503.	290183	7542.	291986	7581.	292986	7620.	294271	7659.	295539
7504.	290213	7543.	292006	7582.	293007	7621.	294289	7660.	295587
7505.	290276	7544.	292038	7583.	293011	7622.	294307	7661.	295750
7506.	290295	7545.	292051	7584.	293088	7623.	294364	7662.	295796
7507.	290412	7546.	292109	7585.	293168	7624.	294365	7663.	295821
7508.	290439	7547.	292115	7586.	293207	7625.	294381	7664.	295899
7509.	290486	7548.	292161	7587.	293325	7626.	294412	7665.	295939
7510.	290544	7549.	292215	7588.	293327	7627.	294452	7666.	295962
7511.	290566	7550.	292235	7589.	293335	7628.	294485	7667.	295983
7512.	290568	7551.	292266	7590.	293381	7629.	294488	7668.	295999
7513.	290689	7552.	292316	7591.	293409	7630.	294518	7669.	296110
7514.	290696	7553.	292325	7592.	293439	7631.	294519	7670.	296118
7515.	290744	7554.	292340	7593.	293481	7632.	294554	7671.	296132

S. No.	Roll No.	S. No.	Roll No.	S. No.	Roll No.	S. No.	Roll No.	S. No.	Roll No.
7672.	296226	7711.	298516	7750.	300157	7789.	302182	7828.	303434
7673.	296237	7712.	298571	7751.	300215	7790.	302186	7829.	303490
7674.	296248	7713.	298610	7752.	300226	7791.	302233	7830.	303533
7675.	296308	7714.	298641	7753.	300234	7792.	302275	7831.	303583
7676.	296344	7715.	298661	7754.	300252	7793.	302367	7832.	303608
7677.	296393	7716.	298663	7755.	300275	7794.	302446	7833.	303643
7678.	296426	7717.	298669	7756.	300387	7795.	302458	7834.	303658
7679.	296530	7718.	298699	7757.	300463	7796.	302508	7835.	303721
7680.	296558	7719.	298701	7758.	300754	7797.	302514	7836.	303743
7681.	296650	7720.	298748	7759.	300893	7798.	302523	7837.	303772
7682.	296698	7721.	298762	7760.	300897	7799.	302526	7838.	303788
7683.	296703	7722.	298850	7761.	300905	7800.	302529	7839.	303885
7684.	296771	7723.	298895	7762.	300973	7801.	302537	7840.	303896
7685.	296853	7724.	298998	7763.	300981	7802.	302574	7841.	303904
7686.	296969	7725.	299010	7764.	300996	7803.	302621	7842.	303960
7687.	296992	7726.	299117	7765.	301095	7804.	302638	7843.	303975
7688.	297082	7727.	299226	7766.	301109	7805.	302641	7844.	303994
7689.	297111	7728.	299252	7767.	301156	7806.	302659	7845.	304001
7690.	297120	7729.	299306	7768.	301184	7807.	302678	7846.	304010
7691.	297259	7730.	299320	7769.	301213	7808.	302687	7847.	304015
7692.	297441	7731.	299437	7770.	301293	7809.	302749	7848.	304055
7693.	297504	7732.	299610	7771.	301309	7810.	302770	7849.	304056
7694.	297607	7733.	299613	7772.	301397	7811.	302813	7850.	304099
7695.	297709	7734.	299625	7773.	301458	7812.	302841	7851.	304118
7696.	297724	7735.	299681	7774.	301461	7813.	302842	7852.	304139
7697.	297829	7736.	299700	7775.	301516	7814.	302893	7853.	304179
7698.	297844	7737.	299747	7776.	301530	7815.	303088	7854.	304181
7699.	297845	7738.	299768	7777.	301556	7816.	303091	7855.	304195
7700.	297889	7739.	299828	7778.	301600	7817.	303108	7856.	304271
7701.	297933	7740.	299829	7779.	301663	7818.	303154	7857.	304291
7702.	298079	7741.	299919	7780.	301709	7819.	303164	7858.	304307
7703.	298098	7742.	299936	7781.	301786	7820.	303197	7859.	304311
7704.	298169	7743.	299940	7782.	301795	7821.	303240	7860.	304336
7705.	298223	7744.	299952	7783.	301827	7822.	303330	7861.	304354
7706.	298250	7745.	299978	7784.	301833	7823.	303334	7862.	304355
7707.	298257	7746.	299982	7785.	302049	7824.	303349	7863.	304401
7708.	298303	7747.	300019	7786.	302056	7825.	303360	7864.	304444
7709.	298365	7748.	300033	7787.	302114	7826.	303406	7865.	304461
7710.	298509	7749.	300069	7788.	302141	7827.	303417	7866.	304467

S. No.	Roll No.	S. No.	Roll No.	S. No.	Roll No.	S. No.	Roll No.	S. No.	Roll No.
7867.	304520	7906.	305505	7945.	306623	7984.	307509	8023.	308589
7868.	304522	7907.	305521	7946.	306640	7985.	307536	8024.	308638
7869.	304539	7908.	305570	7947.	306644	7986.	307591	8025.	308673
7870.	304584	7909.	305582	7948.	306678	7987.	307599	8026.	308683
7871.	304607	7910.	305588	7949.	306683	7988.	307622	8027.	308685
7872.	304629	7911.	305626	7950.	306689	7989.	307623	8028.	308718
7873.	304638	7912.	305689	7951.	306709	7990.	307664	8029.	308763
7874.	304674	7913.	305702	7952.	306715	7991.	307704	8030.	308824
7875.	304735	7914.	305741	7953.	306718	7992.	307731	8031.	308851
7876.	304753	7915.	305769	7954.	306721	7993.	307754	8032.	308855
7877.	304761	7916.	305844	7955.	306727	7994.	307765	8033.	308886
7878.	304808	7917.	305855	7956.	306732	7995.	307816	8034.	308998
7879.	304815	7918.	305861	7957.	306745	7996.	307826	8035.	309071
7880.	304837	7919.	305882	7958.	306764	7997.	307837	8036.	309075
7881.	304873	7920.	305932	7959.	306769	7998.	307907	8037.	309102
7882.	304883	7921.	305934	7960.	306773	7999.	307917	8038.	309128
7883.	304886	7922.	305937	7961.	306784	8000.	307921	8039.	309206
7884.	304889	7923.	306011	7962.	306813	8001.	307966	8040.	309226
7885.	304902	7924.	306070	7963.	306847	8002.	308011	8041.	309231
7886.	304976	7925.	306096	7964.	306852	8003.	308013	8042.	309255
7887.	305060	7926.	306123	7965.	306925	8004.	308025	8043.	309256
7888.	305117	7927.	306130	7966.	306936	8005.	308062	8044.	309264
7889.	305125	7928.	306161	7967.	306990	8006.	308082	8045.	309399
7890.	305144	7929.	306209	7968.	307015	8007.	308100	8046.	309413
7891.	305178	7930.	306225	7969.	307070	8008.	308104	8047.	309425
7892.	305182	7931.	306254	7970.	307086	8009.	308108	8048.	309473
7893.	305203	7932.	306255	7971.	307103	8010.	308164	8049.	309494
7894.	305296	7933.	306296	7972.	307164	8011.	308174	8050.	309639
7895.	305310	7934.	306305	7973.	307195	8012.	308192	8051.	309701
7896.	305315	7935.	306314	7974.	307200	8013.	308264	8052.	309856
7897.	305401	7936.	306315	7975.	307210	8014.	308270	8053.	309860
7898.	305404	7937.	306377	7976.	307281	8015.	308279	8054.	309872
7899.	305413	7938.	306423	7977.	307293	8016.	308283	8055.	309927
7900.	305423	7939.	306464	7978.	307308	8017.	308291	8056.	309963
7901.	305424	7940.	306520	7979.	307320	8018.	308300	8057.	310055
7902.	305425	7941.	306530	7980.	307322	8019.	308325	8058.	310084
7903.	305444	7942.	306544	7981.	307417	8020.	308461	8059.	310104
7904.	305476	7943.	306560	7982.	307451	8021.	308560	8060.	310137
7905.	305487	7944.	306596	7983.	307500	8022.	308565	8061.	310138

S. No.	Roll No.	S. No.	Roll No.	S. No.	Roll No.	S. No.	Roll No.	S. No.	Roll No.
8062.	310151	8103.	311949	8144.	313884	8185.	315940	8226.	317819
8063.	310204	8104.	312007	8145.	313949	8186.	315988	8227.	317828
8064.	310276	8105.	312017	8146.	314124	8187.	315995	8228.	317862
8065.	310330	8106.	312075	8147.	314149	8188.	316019	8229.	317871
8066.	310331	8107.	312105	8148.	314163	8189.	316042	8230.	317931
8067.	310423	8108.	312111	8149.	314194	8190.	316128	8231.	318121
8068.	310442	8109.	312130	8150.	314232	8191.	316155	8232.	318132
8069.	310539	8110.	312148	8151.	314362	8192.	316183	8233.	318246
8070.	310591	8111.	312179	8152.	314400	8193.	316203	8234.	318276
8071.	310676	8112.	312198	8153.	314455	8194.	316225	8235.	318329
8072.	310696	8113.	312250	8154.	314511	8195.	316292	8236.	318394
8073.	310812	8114.	312266	8155.	314515	8196.	316295	8237.	318461
8074.	310816	8115.	312286	8156.	314516	8197.	316330	8238.	318492
8075.	310894	8116.	312288	8157.	314595	8198.	316451	8239.	318515
8076.	311042	8117.	312330	8158.	314631	8199.	316490	8240.	318589
8077.	311059	8118.	312336	8159.	314715	8200.	316520	8241.	318606
8078.	311072	8119.	312448	8160.	314735	8201.	316673	8242.	318611
8079.	311083	8120.	312472	8161.	314834	8202.	316687	8243.	318647
8080.	311090	8121.	312493	8162.	314884	8203.	316726	8244.	318657
8081.	311142	8122.	312534	8163.	314886	8204.	316731	8245.	318674
8082.	311178	8123.	312569	8164.	314901	8205.	316749	8246.	318702
8083.	311197	8124.	312584	8165.	314944	8206.	316869	8247.	318742
8084.	311263	8125.	312666	8166.	315003	8207.	316959	8248.	318782
8085.	311281	8126.	312677	8167.	315088	8208.	316964	8249.	318801
8086.	311288	8127.	312713	8168.	315102	8209.	316999	8250.	318815
8087.	311381	8128.	312902	8169.	315123	8210.	317020	8251.	318877
8088.	311400	8129.	312971	8170.	315154	8211.	317049	8252.	318897
8089.	311426	8130.	312995	8171.	315221	8212.	317132	8253.	318899
8090.	311440	8131.	313257	8172.	315331	8213.	317215	8254.	318900
8091.	311462	8132.	313324	8173.	315335	8214.	317220	8255.	318977
8092.	311537	8133.	313331	8174.	315412	8215.	317257	8256.	319016
8093.	311565	8134.	313347	8175.	315414	8216.	317358	8257.	319110
8094.	311626	8135.	313418	8176.	315417	8217.	317359	8258.	319143
8095.	311662	8136.	313506	8177.	315534	8218.	317363	8259.	319150
8096.	311682	8137.	313510	8178.	315725	8219.	317405	8260.	319167
8097.	311758	8138.	313511	8179.	315757	8220.	317407	8261.	319227
8098.	311806	8139.	313566	8180.	315758	8221.	317554	8262.	319259
8099.	311833	8140.	313614	8181.	315779	8222.	317559	8263.	319332
8100.	311860	8141.	313621	8182.	315859	8223.	317562	8264.	319390
8101.	311865	8142.	313639	8183.	315882	8224.	317721	8265.	319395
8102.	311876	8143.	313740	8184.	315939	8225.	317723	8266.	319416

S. No.	Roll No.	S. No.	Roll No.	S. No.	Roll No.	S. No.	Roll No.	S. No.	Roll No.
8267.	319526	8308.	320624	8349.	321923	8390.	323915	8431.	325734
8268.	319551	8309.	320632	8350.	321989	8391.	323942	8432.	325765
8269.	319581	8310.	320703	8351.	322008	8392.	324285	8433.	325862
8270.	319590	8311.	320714	8352.	322009	8393.	324395	8434.	325871
8271.	319612	8312.	320715	8353.	322047	8394.	324417	8435.	325881
8272.	319697	8313.	320761	8354.	322062	8395.	324584	8436.	325946
8273.	319703	8314.	320839	8355.	322068	8396.	324612	8437.	326010
8274.	319716	8315.	320904	8356.	322105	8397.	324647	8438.	326074
8275.	319721	8316.	320944	8357.	322118	8398.	324707	8439.	326096
8276.	319728	8317.	321000	8358.	322127	8399.	324771	8440.	326174
8277.	319754	8318.	321082	8359.	322136	8400.	324780	8441.	326277
8278.	319775	8319.	321148	8360.	322137	8401.	324820	8442.	326353
8279.	319793	8320.	321181	8361.	322154	8402.	324861	8443.	326384
8280.	319862	8321.	321207	8362.	322161	8403.	324910	8444.	326419
8281.	319864	8322.	321239	8363.	322165	8404.	324945	8445.	326454
8282.	319867	8323.	321241	8364.	322176	8405.	325000	8446.	326635
8283.	319876	8324.	321262	8365.	322190	8406.	325027	8447.	326650
8284.	319899	8325.	321276	8366.	322206	8407.	325039	8448.	326670
8285.	319904	8326.	321338	8367.	322209	8408.	325098	8449.	326691
8286.	319911	8327.	321340	8368.	322223	8409.	325154	8450.	326699
8287.	319920	8328.	321352	8369.	322251	8410.	325172	8451.	326701
8288.	319951	8329.	321423	8370.	322275	8411.	325188	8452.	326712
8289.	319980	8330.	321462	8371.	322431	8412.	325237	8453.	326737
8290.	320003	8331.	321479	8372.	322434	8413.	325252	8454.	326755
8291.	320014	8332.	321494	8373.	322730	8414.	325256	8455.	326760
8292.	320064	8333.	321513	8374.	322811	8415.	325319	8456.	326780
8293.	320136	8334.	321537	8375.	322866	8416.	325347	8457.	326806
8294.	320206	8335.	321605	8376.	322919	8417.	325392	8458.	326831
8295.	320221	8336.	321615	8377.	323011	8418.	325425	8459.	326864
8296.	320272	8337.	321695	8378.	323028	8419.	325431	8460.	326872
8297.	320281	8338.	321708	8379.	323113	8420.	325447	8461.	326906
8298.	320294	8339.	321762	8380.	323439	8421.	325498	8462.	326991
8299.	320327	8340.	321765	8381.	323519	8422.	325516	8463.	327041
8300.	320345	8341.	321788	8382.	323632	8423.	325538	8464.	327060
8301.	320410	8342.	321795	8383.	323645	8424.	325585	8465.	327074
8302.	320426	8343.	321828	8384.	323656	8425.	325594	8466.	327108
8303.	320440	8344.	321832	8385.	323706	8426.	325598	8467.	327168
8304.	320519	8345.	321838	8386.	323733	8427.	325606	8468.	327247
8305.	320566	8346.	321855	8387.	323761	8428.	325641	8469.	327320
8306.	320577	8347.	321867	8388.	323807	8429.	325665	8470.	327548
8307.	320618	8348.	321883	8389.	323897	8430.	325691	8471.	327575

S. No.	Roll No.	S. No.	Roll No.	S. No.	Roll No.	S. No.	Roll No.	S. No.	Roll No.
8472.	327620	8489.	328428	8506.	329655	8523.	330257	8540.	330489
8473.	327707	8490.	328537	8507.	329841	8524.	330263	8541.	330514
8474.	327761	8491.	328651	8508.	329938	8525.	330276	8542.	330523
8475.	327851	8492.	328688	8509.	330056	8526.	330287	8543.	330535
8476.	327898	8493.	328692	8510.	330090	8527.	330319	8544.	330540
8477.	327906	8494.	328769	8511.	330127	8528.	330344	8545.	330569
8478.	327970	8495.	328863	8512.	330142	8529.	330360	8546.	330576
8479.	328070	8496.	328883	8513.	330148	8530.	330369	8547.	330578
8480.	328126	8497.	328927	8514.	330168	8531.	330370	8548.	330588
8481.	328176	8498.	329207	8515.	330169	8532.	330380	8549.	330648
8482.	328229	8499.	329338	8516.	330171	8533.	330394	8550.	330651
8483.	328254	8500.	329359	8517.	330175	8534.	330397	8551.	330669
8484.	328263	8501.	329409	8518.	330194	8535.	330399	8552.	330688
8485.	328322	8502.	329466	8519.	330215	8536.	330413	8553.	330696
8486.	328350	8503.	329520	8520.	330224	8537.	330421	8554.	330698
8487.	328355	8504.	329557	8521.	330249	8538.	330435	8555.	330706
8488.	328375	8505.	329642	8522.	330253	8539.	330487	8556.	330712

टीप:-

1. सूची में दर्शाए गए परीक्षा परिणाम पूर्णतः प्रावधिक है यदि प्रत्याशी राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा-2017 के लिये अधिसूचित नियमों एवं शर्तों को पूर्ण नहीं करते हैं तो मुख्य परीक्षा के लिये उनकी अर्हता समाप्त हो जाएगी.
2. राज्य सेवा मुख्य परीक्षा-2017 की लिखित परीक्षा दिनांक पृथक् से घोषित की जाएगी. इस हेतु अर्ह आवेदक आयोग की वेबसाइट www.mppsc.com, www.mppscdemo.in एवं www.mppsc.nic.in पर सूचना प्रसारित की जाएगी.
3. अर्ह आवेदक राज्य सेवा मुख्य परीक्षा-2017 में बैठने हेतु आवेदन-पत्र एम.पी. ऑनलाईन से दिनांक 03 अप्रैल, 2017 से 06 मई, 2017 तक भर सकेंगे. इसकी विस्तृत जानकारी आयोग की वेबसाइट पर जारी कर दी जायेगी.
4. न्यायालयीन प्रकरणों का अंतिम चयन परिणाम माननीय न्यायालय के निर्णय के अधीन रहेगा.
5. आवेदन-पत्र में त्रुटिपूर्ण, अपूर्ण, असत्य जानकारी देने अथवा आयोग की विज्ञप्ति द्वारा चाही गई वांछित औपचारिकताएं पूर्ण न करने के परिणामस्वरूप चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक को अनर्ह किया जावेगा.
6. प्रावधिक अर्ह प्रत्याशियों की सूची आयोग की वेबसाइट www.mppsc.com, www.mppscdemo.in एवं www.mppsc.nic.in पर देखने के लिये उपलब्ध है. यह स्पष्ट किया जाता है कि मुद्रण की त्रुटियों के लिये आयोग जिम्मेदार नहीं होगा एवं आयोग कार्यालय में रखी परीक्षा परिणाम की सूची ही प्रमाणिक मानी जाएगी.
7. लिखित परीक्षा परिणाम प्रकाशित होने के बाद भी यदि कोई कम्प्यूटर त्रुटि/लिपिकीय त्रुटि ध्यान में आती है तो आयोग को परीक्षा परिणाम सुधारने का अधिकार सुरक्षित है.
8. राज्य सेवा मुख्य परीक्षा-2017 लिखित परीक्षा के समय प्रवेश-पत्र के साथ आवेदक अपना मूल पहचान-पत्र अनिवार्य रूप से साथ लायेंगे. इसकी प्रतिदिन जाँच की जाएगी.
9. राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा-2017 के प्रथम प्रश्न-पत्र में एक प्रश्न विलोपित करने के उपरांत कुल 99 प्रश्नों के कुल 198 अंकों के आधार पर परीक्षा परिणाम घोषित किया गया है.

दिनेश जैन,
परीक्षा नियंत्रक.

विविध**न्यायालयों की सूचनाएं****न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) क्षेत्र सरदारपुर, जिला धार**

प्रकरण क्र./04/2016-17/बी-113.

एतद्द्वारा सर्वसाधारण जनता को सूचित किया जाता है कि श्री अमीझरा पार्श्वनाथ जैन श्वेताम्बर तीर्थ ट्रस्ट, अमेझरा, जिला धार द्वारा मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम, 1951 की धारा-4 (1) के अन्तर्गत श्री आमीझरा पार्श्वनाथ जैन श्वेताम्बर तीर्थ ट्रस्ट, अमेझरा, तहसील सरदारपुर, जिला धार को लोक न्यास के रूप में पंजीयन किये जाने हेतु प्रारूप क्रमांक 3 नियम 4 (2) के तहत आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया है.

2. अतः मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-4 की उपधारा-1 और मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम में उल्लेखित प्रावधान अनुसार उक्त ट्रस्ट के पंजीयन किये जाने के संबंध में यदि किसी को किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो, वह व्यक्ति स्वयं या मार्फत अभिभाषक के विज्ञप्ति प्रसारण के 01 माह के भीतर मेरे न्यायालय में उपस्थित होकर अपनी आपत्ति 02 प्रतियों में प्रस्तुत कर सकता है. बाद में मियाद समाप्ति के किसी प्रकार की कोई आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा.

3. यह विज्ञप्ति आज दिनांक 03 मार्च, 2017 को मेरे न्यायालय तथा हस्ताक्षर मुद्रा से जारी की गई.

(1138)

अभयसिंह ओहरिया,
अनुविभागीय अधिकारी (रा.).

न्यायालय रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट, इन्दौर

(फार्म-चार)

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 (तीस) (95) की धारा-5(2) व मध्यप्रदेश ट्रस्ट नियम, 1963 नियम-5(1) के अंतर्गत]

आवेदक "श्री अग्रवाल समाज केन्द्रीय ट्रस्ट" इन्दौर, पता-217, ऑचल नगर, आय.डी.ए. स्कीम नं. 140 के पास, इन्दौर तर्फे सी. ए. 9 श्री सत्यनारायण गोयल, पिता श्री स्व. श्री रामेश्वर गोयल, निवासी-70, जाँवरा कम्पाउण्ड, इन्दौर द्वारा "श्री अग्रवाल समाज केन्द्रीय ट्रस्ट" पता-217, ऑचल नगर, आय.डी.ए. स्कीम नं. 140 के पास, इन्दौर, म. प्र. का पब्लिक ट्रस्ट एक्ट की धारा-4 (2) के अन्तर्गत पब्लिक ट्रस्ट के पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है.

अतः सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि, कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी संपत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है के संबंध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह अर्थात् (30 दिन) के अंदर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्त्यार के माध्यम से आपत्ति दो प्रतियों में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं.

निश्चित अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

परिशिष्ट

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल-चल संपत्ति का विवरण)

- | | | |
|------------------|---|--|
| 1. ट्रस्ट का नाम | : | "श्री अग्रवाल समाज केन्द्रीय ट्रस्ट" |
| 2. पता | : | कार्यालय पता-217, ऑचल नगर, आय.डी.ए. स्कीम नं. 140 के पास, इन्दौर (म. प्र.). |
| 3. अचल संपत्ति | : | अचल सम्पत्ति में 217, ऑचल नगर, आय.डी.ए. स्कीम नं. 140 के पास, इन्दौर स्थित है. |
| 4. चल संपत्ति | : | चल सम्पत्ति में रुपये 1,51,000/- (अक्षरी रुपये एक लाख इक्यावन हजार मात्र) है. जो बैंक में नगद के रूप में जमा है. |

आज दिनांक 16 मार्च, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रसारित किया गया.

(1147)

अजीत कुमार श्रीवास्तव,
रजिस्ट्रार.

कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी/रजिस्ट्रार पब्लिक ट्रस्ट, कटनी, जिला कटनी

प्रारूप-4

प्र. क्रमांक 01/बी-121/2016-17.

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 (तीस) 95 की धारा-5(2) व मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट नियम-1962, नियम-5(1) के अंतर्गत]

चूंकि आवेदक सचिव रामेश्वर चौदहा वल्द स्व. श्री कैलाश चौदहा, निवासी ईश्वरीपुरा वार्ड, कटनी द्वारा भगवान लक्ष्मी नारायण मंदिर ट्रस्ट कमेटी, कटनी, ईश्वरी वार्ड, कटनी के मध्यप्रदेश ट्रस्ट के पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया है.

अतः सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि-कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट के व सम्पत्ति जिसका विवरण निम्न परिशिष्ट में दिया गया है के संबंध में आपत्ति/दावा पेश करना चाहे तो यह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन के दिनांक से एक माह अर्थात् तीस दिवस के अन्दर इस न्यायालय में न्यायालीन दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्त्यार के माध्यम से आपत्ति दो प्रतियों में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं. निश्चित अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

“परिशिष्ट”

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं चल/अचल सम्पत्ति का विवरण)

1. पब्लिक ट्रस्ट का नाम : भगवान लक्ष्मी नारायण मंदिर ट्रस्ट कमेटी, कटनी.
2. पता : ईश्वरी वार्ड, कटनी.
3. चल सम्पत्ति : पंजाब बैंक ऑफ इण्डिया स्थित खाता
4. अचल सम्पत्ति :
 1. भगवान लक्ष्मी नारायण मंदिर एवं बाडा जो नगर निगम भवन क्र.- 431 से 431/16 है, ईश्वरी वार्ड, कटनी में स्थित है.
 2. मालवीयगंज वार्ड में स्थित दुकानें जिनका भवन क्र. 481/1 से 481/37 तक है.
 3. राधा भवन के नाम से धर्मशाला जो लक्ष्मीनारायण मंदिर के सामने स्थित है, जिसका भवन क्र.-218 है, जो जालपा देवी वार्ड कटनी में स्थित है.
 4. मकान/दुकान चन्द्रशेखर आजाद वार्ड, आजाद चौक, कटनी स्थित है, जिसका भवन क्र. 132 से 132/7 है.
 5. कुठला स्थित जमीन पकूहनं. 40/50 रकवा 10 एकड 72 डिसमिल.

आज दिनांक 01 अप्रैल, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालीन मुद्रा से प्रसारित.

(1148)

जे. पी. धुर्वे,
रजिस्ट्रार एवं अनुविभागीय अधिकारी.

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं पंजीयक, लोक न्यास, खरगौन

प्र. क्र. 02/बी-113 (1)/2016-17.

फार्म-4

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 1951 (क्रमांक 30-1951) की धारा-5 (2) एवं मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट रूल्स-1952 के नियम-5 (1) के अंतर्गत] समक्ष-पंजीयक लोक न्यास-खरगौन.

चूंकि प्रार्थी मुख्य ट्रस्टी, श्री गायत्री परिवार ट्रस्ट, सेगांव द्वारा ट्रस्ट के पंजीयन हेतु पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 (क्रमांक 30, 1951) की धारा-4 के अंतर्गत निम्न अनुसूची में दर्शित चल-अचल सम्पत्ति हेतु आवेदन-पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया है.

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त आवेदन-पत्र पर इस न्यायालय में विचार किया जावेगा. कोई भी व्यक्ति जो उक्त ट्रस्ट अथवा सम्पत्ति में हित रखता हो और कोई आपत्ति या सलाह प्रस्तुत करना चाहता हो, वह इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से एक माह के अन्दर दो प्रतियों में लिखित में मेरे समक्ष स्वयं अथवा अपने वैध प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत करें तथा उपस्थित रहें. निर्धारित अवधि समाप्त होने के पश्चात प्राप्त आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा.

अनुसूची

अ. क्र.	नाम वस्तु	विवरण	वजन तथा नग	
01	नगद	रु. 1,02,883.00	-	जिला सहकारी केन्द्रिय बैंक मर्या., सेगांव, खाता क्रमांक 66001009964
02	अचल सम्पत्ति	ग्राम सेगांव, प.ह.नं स्थित भूमि सर्वे नं. 307/5 रकबा 0.021 हे.	-	भूमि में निर्मित मंदिर भवन तथा सभागृह

महेन्द्रसिंह कवचे,

अनुविभागीय अधिकारी (रा.).

(1120)

अन्य सूचनाएं

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला खरगौन

खरगौन, दिनांक 20 फरवरी, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2017/191.—आदेश में वर्णित प्रारूप के कॉलम क्र. 02 में उल्लेखित सहकारी संस्थाएं जिनके पंजीयन क्र. कॉलम 04 में दर्शित है एवं कॉलम क्र. 05 अनुसार दर्शित कार्यालयीन आदेश क्रमांक से संस्था को परिसमापन में लाया जाकर कॉलम क्र. 06 में उल्लेखित अधिकारियों को परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापकों द्वारा संस्था की परिसमापन कार्यवाही पूर्ण कर स्थिति विवरण पत्रक निरंक किया जाकर अंतिम प्रतिवेदन पंजीयन निरस्त किये जाने हेतु प्रस्तुत किया है. अंतिम स्थिति विवरण पत्रक का उप-पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, द्वारा नियुक्त अंकेक्षक द्वारा अंकेक्षण कराया जाकर अंकेक्षण टीप निर्गमित की गई है. जिससे स्पष्ट है कि संस्था की देनदारियां एवं लेनदारियां का निराकरण हो चुका है, ऐसी स्थिति में संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने योग्य है.

अतः मैं, बी. एस. अलावा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला खरगौन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के अंतर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग के विज्ञप्ति क्र./एफ/5/1/99/15-1/सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रारूप में उल्लेखित निम्नांकित सहकारी समिति का पंजीयन निरस्त करता हूं. उक्त संस्था का अस्तित्व आज दिनांक 20 फरवरी, 2017 से निर्गमित निकाय (बॉडी कापोरेट) के रूप में नहीं रहेगा:-

क्र.	नाम संस्था	विकासखंड	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	परिसमापन का आदेश क्रमांक/दिनांक	परिसमापक का नाम
1	2	3	4	5	6
1.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., समराज.	महेश्वर	1454/21-10-2005	1071/27-08-2016	श्री आर. के. रोमड़े, स. नि.

यह आदेश आज दिनांक 20 फरवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1111-C)

खरगौन, दिनांक 09 मार्च, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2017/278.—आदेश में वर्णित प्रारूप के कॉलम क्र. 02 में उल्लेखित सहकारी संस्थाएं जिनके पंजीयन क्र. कॉलम 04 में दर्शित है एवं कॉलम क्र. 05 अनुसार दर्शित कार्यालयीन आदेश क्रमांक से संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर कॉलम क्र. 06 में उल्लेखित अधिकारियों को परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की परिसमापन कार्यवाही पूर्ण कर स्थिति विवरण पत्रक निरंक किया जाकर अंतिम प्रतिवेदन पंजीयन निरस्त किये जाने हेतु प्रस्तुत किया है. अंतिम स्थिति विवरण पत्रक का उप-पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं द्वारा नियुक्त अंकेक्षक द्वारा अंकेक्षण

कराया जाकर अंकेक्षण टीप निर्गमित की गई है। जिससे स्पष्ट है कि संस्था की देनदारियां एवं लेनदारियां का निराकरण हो चुका है, ऐसी स्थिति में संस्थाओं का पंजीयन निरस्त किये जाने योग्य है।

अतः मैं, बी. एस. अलावा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला खरगौन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के अंतर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग के विज्ञप्ति क्र./एफ/5/1/99/15-1/सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रारूप में उल्लेखित निम्नांकित सहकारी समितियों का पंजीयन निरस्त करता हूँ, उक्त संस्थाओं का अस्तित्व आज दिनांक 09 मार्च, 2017 से निर्गमित निकाय (बॉडी कारपोरेट) के रूप में नहीं रहेगा।

क्र.	नाम संस्था	विकासखंड	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	परिसमापन आदेश क्रमांक/दिनांक	परिसमापक का नाम
1	2	3	4	5	6
1.	पूर्णानन्द साख सहकारी संस्था मर्या., खरगौन.	खरगौन	1783/10-03-2014	1592/22-12-2014	श्री बी. एल. सोलंकी, सह. वि. अ.
2.	आदर्श प्राथ. सह. उप. भण्डार मर्या., खरगौन	खरगौन	1539/26-11-2007	1063/27-08-2016	श्री एस. आर. सोलंकी व. स. नि.

यह आदेश आज दिनांक 09 मार्च, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

बी. एस. अलावा,
उप-पंजीयक.

(1111-D)

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला खण्डवा

खण्डवा, दिनांक 09 मार्च, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2017/229.—इस कार्यालय के आदेश क्र./परि./2015/04, दिनांक 30 जनवरी, 2016 के द्वारा श्री साईं फसल संरक्षण सहकारी समिति मर्यादित, टाकलखेडा (पंजीयन क्र. 2042 दिनांक 27 जुलाई, 2007) को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत श्रीमती भागवती मोरे, सहकारी निरीक्षक खण्डवा को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा संस्था के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही संपन्न करने के उपरांत संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है, जिसमें संस्था की लेनदारी व देनदारी का निपटारा किए जाने का उल्लेख कर अंतिम स्थिति विवरण पत्रक में लेनदारी व देनदारी को शून्य कर दी गई है। अंतिम स्थिति विवरण पत्रक अंकेक्षण अधिकारी कार्यालय सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं खण्डवा द्वारा जांच उपरान्त निर्गमित की गई है। परिसमापक द्वारा उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त की अनुशंसा की गई है। संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँची हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः मैं, श्रीमती मीना डाबर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, खण्डवा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के अंतर्गत पंजीयक की शक्तियों जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-1-99-पन्द्रह-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त है का प्रयोग करते हुए संस्था श्री साईं फसल संरक्षण सहकारी समिति मर्यादित, टाकलखेडा (पंजीयन क्र. 2042 दिनांक 27 जुलाई, 2007) जिला खण्डवा का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था का निर्गमित निकाय (बॉडी कारपोरेट) समाप्त करती हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 09 मार्च, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(1108)

खण्डवा, दिनांक 09 मार्च, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2017/230.—इस कार्यालय के आदेश क्र./परि./2015/677, दिनांक 08 जुलाई, 2015 के द्वारा श्री दादाजी फसल संरक्षण सहकारी संस्था मर्यादित, सुरगांव जोशी (पंजीयन क्र. 913 दिनांक 27 जून, 2007) को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत एच. सी. महाजन, सहकारी निरीक्षक, खंडवा को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा संस्था के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही संपन्न करने के उपरांत संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है, जिसमें संस्था की लेनदारी व देनदारी का निपटारा किए जाने का उल्लेख कर अंतिम स्थिति विवरण पत्रक में लेनदारी व देनदारी को शून्य कर दी गई है। अंतिम स्थिति विवरण पत्रक अंकेक्षण अधिकारी कार्यालय सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थायें खण्डवा द्वारा जांच उपरान्त निर्गमित की गई है। परिसमापक द्वारा उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त की अनुशंसा की गई है। संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँची हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः मैं, श्रीमती मीना डाबर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, खण्डवा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के अंतर्गत पंजीयक की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-1-99-पन्द्रह-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त है का प्रयोग करते हुए संस्था श्री दादाजी फसल संरक्षण सहकारी संस्था मर्यादित, सुरगांव जोशी (पंजीयन क्र. 913 दिनांक 27 जुलाई, 2007) जिला खण्डवा का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था का निर्गमित निकाय (बॉडी कारपोरेट) समाप्त करती हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 09 मार्च, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(1108-A)

खण्डवा, दिनांक 09 मार्च, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2017/231.—इस कार्यालय के आदेश क्र./परि./2016/454, दिनांक 31 मार्च, 2016 के द्वारा लक्ष्मी साख सहकारी समिति मर्यादित, खंडवा (पंजीयन क्र. 2229 दिनांक 19 जून, 2013) को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत एच. सी. महाजन, सहकारी निरीक्षक खण्डवा को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा संस्था के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही संपन्न करने के उपरांत संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है, जिसमें संस्था की लेनदारी व देनदारी का निपटारा किए जाने का उल्लेख कर अंतिम स्थिति विवरण पत्रक में लेनदारी व देनदारी को शून्य कर दी गई है। अंतिम स्थिति विवरण पत्रक अंकेक्षण अधिकारी कार्यालय सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थायें खण्डवा द्वारा जांच उपरान्त निर्गमित की गई है। परिसमापक द्वारा उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त की अनुशंसा की गई है। संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँची हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः मैं, श्रीमती मीना डाबर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, खण्डवा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के अंतर्गत पंजीयक की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-1-99-पन्द्रह-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त है का प्रयोग करते हुए संस्था लक्ष्मी साख सहकारी समिति मर्यादित, खंडवा (पंजीयन क्र. 2229, दिनांक 19 जून, 2013) जिला खण्डवा का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था का निर्गमित निकाय (बॉडी कारपोरेट) समाप्त करती हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 09 मार्च, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(1108-B)

खण्डवा, दिनांक 09 मार्च, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2017/232.—इस कार्यालय के आदेश क्र./परि./2015/450, दिनांक 31 मार्च, 2016 के द्वारा गोपाल बीज उत्पादक एवं कृषि आदान क्रय-विक्रय सहकारी संस्था मर्यादित, उन्डेल (पंजीयन क्र. 2242 दिनांक 07 अक्टूबर, 2013) को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत एच. सी. महाजन, सहकारी निरीक्षक खण्डवा को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा संस्था के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही संपन्न करने के उपरांत संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है, जिसमें संस्था की लेनदारी व देनदारी का निपटारा किए जाने का उल्लेख कर अंतिम स्थिति विवरण पत्रक में लेनदारी व देनदारी को शून्य कर दी गई है। अंतिम स्थिति विवरण पत्रक अंकेक्षण अधिकारी कार्यालय सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थायें खण्डवा द्वारा जांच उपरान्त निर्गमित की गई है। परिसमापक द्वारा उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त की अनुशंसा की गई है। संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँची हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः मैं, श्रीमती मीना डाबर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, खण्डवा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के अंतर्गत पंजीयक की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-1-99-पन्द्रह-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त है का प्रयोग करते हुए संस्था लक्ष्मी साख सहकारी समिति मर्यादित, खंडवा (पंजीयन क्र. 2242, दिनांक 07 अक्टूबर, 2013) जिला खण्डवा का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था का निर्गमित निकाय (बॉडी कारपोरेट) समाप्त करती हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 09 मार्च, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(1108-C)

खण्डवा, दिनांक 09 मार्च, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2017/233.—इस कार्यालय के आदेश क्र./परि./2015/08, दिनांक 03 जनवरी, 2016 के द्वारा राधाकृष्ण फसल संरक्षण सहकारी समिति मर्यादित, भिलाईखेडा (पंजीयन क्र. 2041, दिनांक 27 जुलाई, 2007) को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत श्रीमती भागवती मोरे, सहकारी निरीक्षक, खण्डवा को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा संस्था के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही संपन्न करने के उपरांत संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है, जिसमें संस्था की लेनदारी व देनदारी का निपटारा किए जाने का उल्लेख कर अंतिम स्थिति विवरण पत्रक में लेनदारी व देनदारी को शून्य कर दी गई है। अंतिम स्थिति विवरण पत्रक अंकेक्षण अधिकारी कार्यालय सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थायें खण्डवा द्वारा जांच उपरान्त निर्गमित की गई है। परिसमापक द्वारा उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त की अनुशंसा की गई है। संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँची हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः मैं, श्रीमती मीना डाबर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, खण्डवा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के अंतर्गत पंजीयक की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-1-99-पन्द्रह-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त है का प्रयोग करते हुए संस्था राधाकृष्ण फसल संरक्षण सहकारी समिति मर्यादित, भिलाईखेडा (पंजीयन क्र. 2041, दिनांक 27 जुलाई, 2007) जिला खण्डवा का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था का निर्गमित निकाय (बॉडी कारपोरेट) समाप्त करती हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 09 मार्च, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

मीना डाबर,
उप-पंजीयक.

(1108-D)

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा

विदिशा, दिनांक 27 फरवरी, 2017

क्र./परि./2017/370.—इस कार्यालय के आदेश क्र./परि./2001/188, विदिशा, दिनांक 29 अक्टूबर, 2001 से तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, सेमरा, तहसील व जिला विदिशा जिसका पंजीयन क्रमांक ए. आर./व्ही. डी. एस./428, दिनांक 31 मार्च, 1992 को परिसमापन में लाया जाकर श्री के. एम. अग्रवाल, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को संस्था का समापक नियुक्त किया गया था।

समापक द्वारा तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, सेमरा, तहसील व जिला विदिशा की परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर संस्था का अंतिम प्रतिवेदन संस्था का पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा के साथ प्रस्तुत किया गया है।

मैं, समापक के द्वारा की गयी कार्यवाही का अवलोकन करने के पश्चात् इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः मैं, ए. के. सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-5-1-99/एक पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, सेमरा, तहसील व जिला विदिशा जिसका पंजीयन, ए. आर./व्ही. डी. एस./428, दिनांक 31 मार्च, 1992 का पंजीयन निरस्त करते हुए उसका निगम निकाय (बाडी-कारपोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 27 फरवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(1109)

विदिशा, दिनांक 27 फरवरी, 2017

इस कार्यालय के आदेश क्र./परि./2001/1881, विदिशा, दिनांक 29 अक्टूबर, 2001 से तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, भालबामौरा, तहसील कुरवाई जिला विदिशा जिसका पंजीयन क्रमांक ए. आर./व्ही. डी. एस./392, दिनांक 23 नवम्बर, 1990 को परिसमापन में लाया जाकर श्री ए. के. जैन, सहकारिता विस्तार अधिकारी कुरवाई को संस्था का समापक नियुक्त किया गया था।

समापक द्वारा तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, भालबामौरा, तहसील कुरवई, जिला विदिशा की परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर संस्था का अंतिम प्रतिवेदन संस्था का पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा के साथ प्रस्तुत किया गया है।

मैं, समापक के द्वारा की गयी कार्यवाही का अवलोकन करने के पश्चात् इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः मैं, ए. के. सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ, जिला विदिशा मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-5-1-99/एक पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, भालबामौरा, तहसील कुरवई, जिला विदिशा जिसका पंजीयन क्रमांक, ए. आर./व्ही. डी. एस./392, दिनांक 23 नवम्बर, 1990 का पंजीयन निरस्त करते हुए उसका निगम निकाय (बाडी-कार्पोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 27 फरवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(1109-A)

इस कार्यालय के आदेश क्र./परि./1998/600, विदिशा, दिनांक 21 मई, 1998 से तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, पिपलधार, तहसील शमशाबाद, जिला विदिशा जिसका पंजीयन क्रमांक ए. आर./व्ही. डी. एस./439, दिनांक 22 मई, 1992 को परिसमापन में लाया जाकर श्री बी. एस. दांगी, सहकारी निरीक्षक को संस्था का समापक नियुक्त किया गया था।

समापक द्वारा तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, पिपलधार, तहसील शमशाबाद, जिला विदिशा की परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर संस्था का अंतिम प्रतिवेदन संस्था का पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा के साथ प्रस्तुत किया गया है।

मैं, समापक के द्वारा की गयी कार्यवाही का अवलोकन करने के पश्चात् इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः मैं, ए. के. सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ, जिला विदिशा मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-5-1-99/एक पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, पिपलधार, तहसील शमशाबाद, जिला विदिशा जिसका पंजीयन क्रमांक, ए. आर./व्ही. डी. एस./439, दिनांक 22 मई, 1992 का पंजीयन निरस्त करते हुए उसका निगम निकाय (बाडी-कार्पोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 27 फरवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(1109-B)

विदिशा, दिनांक 27 फरवरी, 2017

क्र./परि./2017/373.—इस कार्यालय के आदेश क्र./परि./2006/276, विदिशा, दिनांक 28 फरवरी, 2006 से तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, टीला, तहसील व जिला विदिशा जिसका पंजीयन क्रमांक ए. आर./व्ही. डी. एस./368, दिनांक 16 अप्रैल, 1991 को परिसमापन में लाया जाकर श्री के. एम. अग्रवाल, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को संस्था का समापक नियुक्त किया गया था।

समापक द्वारा तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, टीला, तहसील व जिला विदिशा की परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर संस्था का अंतिम प्रतिवेदन संस्था का पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा के साथ प्रस्तुत किया गया है।

मैं, समापक के द्वारा की गयी कार्यवाही का अवलोकन करने के पश्चात् इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः मैं, ए. के. सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ, जिला विदिशा मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-5-1-99/एक पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, टीला, तहसील व जिला विदिशा जिसका पंजीयन क्रमांक, ए. आर./व्ही. डी. एस./368, दिनांक 16 अप्रैल, 1991 का पंजीयन निरस्त करते हुए उसका निगम निकाय (बाडी-कार्पोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 27 फरवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(1109-C)

ए. के. सिंह,
उप-पंजीयक.

कार्यालय, उप-आयुक्त सहकारिता, जिला शिवपुरी

शिवपुरी, दिनांक 10 मार्च, 2017

क्र./परि./2017/753.—निम्नांकित सूची के कॉलम नम्बर 2 में दर्शित एवं कॉलम नम्बर 3 के पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक वाली सहकारी समिति को (जिसे आगे समिति कहा गया है) मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाते हुये धारा-70(1) के अन्तर्गत कॉलम नम्बर 5 में दर्शित अधिकारी/कर्मचारियों को कॉलम नम्बर 4 में दर्शित आदेश क्रमांक एवं दिनांक से परिसमापक नियुक्त किया गया था:-

क्र.	नाम परिसमापन समिति	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	परिसमापक कि नियुक्ति आदेश क्रमांक/दिनांक	परिसमापक का नाम व पद
1	2	3	4	5
1.	शिवपुरी बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, शिवपुरी.	659/07-12-2015	2835/31-12-2015	श्री आर. एन. गुप्ता, सहकारी निरीक्षक.

चूँकि कॉलम नम्बर 2 में दर्शित समिति के कॉलम नम्बर 5 में उल्लेखित परिसमापक ने समिति की आस्तियों एवं दायित्वों का निराकरण कर पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की है. परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के अवलोकन से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि समिति का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा.

अतएव मैं, एस. के. सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी समितियाँ, शिवपुरी, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 25 जुलाई, 1999 से मुझे प्रत्यावर्तित रजिस्ट्रार की शक्तियों का अनुप्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के अन्तर्गत उपरोक्त सूची में वर्णित समिति का पंजीयन निरस्त करता हूँ अब समिति का निगमित निकाय के रूप में अस्तित्व समाप्त हो गया है.

यह आदेश आज दिनांक 10 मार्च, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुहर सहित जारी किया गया.

(1110)

शिवपुरी, दिनांक 10 मार्च, 2017

क्र./परि./2017/754.—निम्नांकित सूची के कॉलम नम्बर 2 में दर्शित एवं कॉलम नम्बर 3 के पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक वाली सहकारी समिति को (जिसे आगे समिति कहा गया है) मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाते हुये धारा-70(1) के अन्तर्गत कॉलम नम्बर 5 में दर्शित अधिकारी/कर्मचारियों को कॉलम नम्बर 4 में दर्शित आदेश क्रमांक एवं दिनांक से परिसमापक नियुक्त किया गया था:-

क्र.	नाम परिसमापन समिति	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	परिसमापक कि नियुक्ति आदेश क्रमांक/दिनांक	परिसमापक का नाम व पद
1	2	3	4	5
1.	महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था छितरी, तहसील नरवर	461/02-11-2011	1669/08-11-2013	श्री सी. एल. मौर्य, अंकेक्षण अधिकारी.

चूँकि कॉलम नम्बर 2 में दर्शित समिति के कॉलम नम्बर 5 में उल्लेखित परिसमापक ने समिति की आस्तियों एवं दायित्वों का निराकरण कर पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की है. परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के अवलोकन से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि समिति का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा.

अतएव मैं, एस. के. सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी समितियाँ, शिवपुरी मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 25 जुलाई, 1999 से मुझे प्रत्यावर्तित रजिस्ट्रार की शक्तियों का अनुप्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के अन्तर्गत उपरोक्त सूची में वर्णित समिति का पंजीयन निरस्त करता हूँ अब समिति का निगमित निकाय के रूप में अस्तित्व समाप्त हो गया है.

यह आदेश आज दिनांक 10 मार्च, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुहर सहित जारी किया गया.

(1110-A)

शिवपुरी, दिनांक 31 दिसम्बर, 2016

क्र./परि./2016/3007.—निम्नांकित सूची के कॉलम नम्बर 2 में दर्शित एवं कॉलम नम्बर 3 के पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक वाली सहकारी समिति को (जिसे आगे समिति कहा गया है) मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाते हुये धारा-70(1) के अन्तर्गत कॉलम नम्बर 5 में दर्शित अधिकारी/कर्मचारियों को कॉलम नम्बर 4 में दर्शित आदेश क्रमांक एवं दिनांक से परिसमापक नियुक्त किया गया था:-

क्र.	नाम परिसमापन समिति	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	परिसमापक कि नियुक्ति आदेश क्रमांक/दिनांक	परिसमापक का नाम व पद
1	2	3	4	5
1.	जय साख सहकारी संस्था मर्यादित, शिवपुरी	490/19-03-2004	505/08-03-2016	श्री आर. एन. गुप्ता, सहकारी निरीक्षक.

चूँकि कॉलम नम्बर 2 में दर्शित समिति के कॉलम नम्बर 5 में उल्लेखित परिसमापक ने समिति की आस्तियों एवं दायित्वों का निराकरण कर पंजीयन निरस्त करने की अनुशांसा की है। परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के अवलोकन से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि समिति का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा।

अतएव मैं, एस. के. सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी समितियाँ, शिवपुरी मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 25 जुलाई, 1999 से मुझे प्रत्यावर्तित रजिस्ट्रार की शक्तियों का अनुप्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के अन्तर्गत उपरोक्त सूची में वर्णित समिति का पंजीयन निरस्त करता हूँ अब समिति का निगमित निकाय के रूप में अस्तित्व समाप्त हो गया है।

यह आदेश आज दिनांक 28 दिसम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुहर सहित जारी किया गया।

एस. के. सिंह,
उप-रजिस्ट्रार.

(1110-B)

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ, जिला मन्दासौर

मन्दासौर, दिनांक 31 जनवरी, 2017

क्र./124/परि./2017.—दुग्ध सहकारी संस्था मर्यादित, माउखेड़ा जिसका पंजीयन क्रमांक 601, दिनांक 04 अक्टूबर, 1991 है को कार्यालयीन आदेश क्रमांक 476, दिनांक 03 मार्च, 2007 एवं संशोधित आदेश क्रमांक 870, दिनांक 14 अगस्त, 2012 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर श्री एस. एल. बामनिया, सहकारी निरीक्षक कार्यालय उप-आयुक्त सहकारिता, जिला मन्दासौर को परिसमापक नियुक्त किया गया है। परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करते हुए पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। जिसमें स्वत्व सम्बन्धी कोई कार्यवाही शेष नहीं है। परिसमापक द्वारा प्रस्तुत कार्यवाही से मैं सहमत हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, भारत सिंह चौहान, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ, जिला मन्दासौर मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-18(1), (2) मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग भोपाल की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-15-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ कि संस्था का निगम निकाय (बॉडी कार्पोरेट) के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी।

यह आदेश आज दिनांक 31 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

भारतसिंह चौहान,
उप-पंजीयक.

(1112)

कार्यालय परिसमापक सहकारी संस्था मर्या., जिला शाजापुर

शाजापुर, दिनांक 08 मार्च, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1962 के नियम-57 सी के अन्तर्गत]

क्र./परि./2017/504-उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ, जिला शाजापुर द्वारा अपने अधोलिखित आदेश द्वारा निम्न संस्थाओं जिनके पंजीयन क्रमांक सम्मुख लिखे हैं, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर

धारा-71(1) के तहत मुझ अधोहस्ताक्षरकर्ता को परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापन आदेश क्रमांक व दिनांक
1	2	3	4
1.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, शेरपुरा	807/28-03-2002	42/11-01-2017

अतः मैं, अभय निगम, परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक, कार्यालय सहायक आयुक्त (अंके.) सहकारिता, जिला शाजापुर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57(सी) के अन्तर्गत यह सूचना प्रसारित करता हूँ कि उक्त संस्था/संस्थाओं के प्रति कोई दावे या आपत्ति या रिकार्ड हो तो, वे इस सूचना-पत्र जारी होने के दिनांक से दो माह के अन्दर मुझे कार्यालय सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता, पुराना जिला पंचायत भवन, जिला शाजापुर में मय-प्रमाण के लिखित में प्रस्तुत करें, उक्त समयावधि पश्चात् दावे या आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा तथा यह मानकर कि संस्था से किसी लेनदार का कोई दावा शेष नहीं है, संस्था के परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत कर दिया जावेगा.

यह भी सूचित किया जाता है, कि उपरोक्त संस्था के पूर्व कर्मचारियों/सदस्य/सक्षम पदाधिकारी के पास कोई रिकार्ड, परिसम्पत्ति या नगदी हो, तो उसे उपरोक्त अवधि में मेरे पास जमा करावें अन्यथा उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी.

(1113)

अभय निगम,
परिसमापक एवं स. नि.

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ, जिला आगर-मालवा

आगर-मालवा, दिनांक 10 मार्च, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (4) के अंतर्गत].

क्र./परि./2017/419.—कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ, जिला आगर-मालवा के आदेश क्रमांक/परिसमापन/2016/1274, दिनांक 21 जुलाई, 2016 के द्वारा मारुति साख सहकारी संस्था मर्या., आगर, तहसील आगर, जिला आगर-मालवा (पंजीयन क्रमांक 941, दिनांक 07 जून, 2006) को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) एवं 70 (1) के अंतर्गत परिसमापन में लाया गया था.

परिसमापक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन अनुसार उक्त संस्था के सदस्यों की बैठक दिनांक 15 जनवरी, 2017 में संस्था को अधिनियम अनुसार संचालित करने का निर्णय पारित किया जाकर एक अवसर प्रदान किये जाने के संकल्प पारित किया गया है. प्रतिवेदन के साथ संस्था की आगामी 05 वर्ष की कार्ययोजना संलग्न की गयी है जिसमें संस्था में सदस्यता वृद्धि के साथ संस्था को लाभ में संचालन दर्शाया गया है. संस्था के सुचारु कार्य संचालन हेतु निर्वाचन होने तक नामांकित प्रबंध समिति का गठन भी किया गया है. परिसमापक द्वारा अपने प्रतिवेदन में संस्था को पुनर्जीवित करने की अनुशंसा की गयी है.

अतः संस्था सदस्यों द्वारा पारित निर्णय एवं परिसमापक के प्रतिवेदन के आधार पर मैं श्वेता रावत, प्रभारी उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ, जिला आगर-मालवा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) तथा 70 (1) के अंतर्गत तथा मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-15-एक-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये मारुति साख सहकारी संस्था मर्या., आगर, जिला आगर-मालवा (पंजीयन क्रमांक 941, दिनांक 07 जून, 2006) को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (4) के अंतर्गत परिसमापन से मुक्त करते हुये पुनर्जीवित करती हूँ तथा संस्था के सुचारु कार्य संचालन हेतु तीन माह के लिये निम्नानुसार नामांकित प्रबंध-कारिणी कमेटी का गठन करती हूँ:-

क्रमांक	नाम पदाधिकारी	पद
1	2	3
1.	श्री विष्णुप्रसाद शर्मा	अध्यक्ष
2.	श्री दिलीप शर्मा	उपाध्यक्ष
3.	श्री रूपेश जोशी	संचालक
4.	श्री लोकेश त्रिवेदी	संचालक
5.	श्री राजेश जोशी	संचालक
6.	श्री मुरलीधर शर्मा	संचालक
7.	श्री नारायण दास	संचालक

1	2	3
8.	श्रीमती सुनीता नागर	संचालक
9.	श्री दीपक नागर	संचालक
10.	श्रीमति मधु नायक	संचालक
11.	श्री रामचन्द्र शर्मा	संचालक

यह आदेश आज दिनांक मार्च, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1114)

आगर-मालवा, दिनांक 02 मार्च, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2017/365.—बलराम बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, सोयतकलां तहसील सुसनेर, जिला आगर-मालवा, पंजीयन क्रमांक 1047, दिनांक 09 मई, 2011 को कार्यालय उप-पंजीयक सहकारी संस्थाएँ, जिला आगर मालवा के आदेश क्रमांक/परिसमापन/2016/1271, दिनांक 21 जुलाई, 2016 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(1) के अंतर्गत परिसमापन में लाया गया था. परिसमापक से प्राप्त अंतिम प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि उक्त संस्था में कोई लेना-देना शेष नहीं है.

अतः मैं, श्वेता रावत, प्रभारी उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ, जिला आगर-मालवा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के अंतर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-15-1, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये बलराम बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, सोयतकलां तहसील सुसनेर, जिला आगर-मालवा का पंजीयन निरस्त करती हूँ. उक्त संस्था का अस्तित्व आज दिनांक 02 मार्च, 2017 से नियमित निकाय के रूप में नहीं रहेगा.

यह आदेश आज दिनांक 02 मार्च, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

श्वेता रावत,

प्र. उप-पंजीयक.

(1114-A)


कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, दक्षिण बैतूल सामान्य वनमंडल

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण:-

वनपरिक्षेत्र अधिकारी आमला (सा.) द्वारा पत्र क्र./1041, दिनांक 18 जुलाई, 2016 से अवगत कराया गया है कि परिक्षेत्र सहायक कलमेश्वरा वृत्त के लिये पर्सनल हेमर आवंटित था. तत्कालीन परिक्षेत्र सहायक कलमेश्वरा पदस्थ श्री ईश्वरदास चन्देलकर, उप वनक्षेत्रपाल की लापरवाही एवं उदासीनता के कारण दिनांक 08 जुलाई, 2016 को जंगल गश्ती के समय नदी पार करने में पैर फिसलने से थैला एवं छाता हाथ से छूट गया जिसमें हेमर भी रखा हुआ था. दूसरे दिन 09 जुलाई, 2016 को खोजने पर हेमर नहीं मिला. उनके द्वारा हेमर गुम होने की सूचना परिक्षेत्र अधिकारी कार्यालय में दिनांक 10 जुलाई, 2016 को दी गई तथा पुलिस थाना बोरदेही में हेमर गुम होने की रिपोर्ट 10 जुलाई, 2016 को दर्ज की गई है. हेमर खोजने के सभी प्रयास किये गये लेकिन हेमर नहीं मिला.

तत्संबंध में उप वनमंडलाधिकारी, आमला (सा.) के पत्र क्र. 1491, दिनांक 25 जुलाई, 2016 से अवगत कराया गया.

पर्सनल हेमर का चिन्ह:-



ऐसी दशा में यह आवश्यक हो गया कि उक्त हेमर को अपलेखित किया जावे.

निष्कर्ष:- प्रकरण का समग्ररूपेण अध्ययन करने पर हेमर जैसी महत्वपूर्ण शासकीय सामग्री के रखरखाव में लापरवाही बरतना उप वनक्षेत्रपाल का कृत्य पाया जाता है.

अतः प्रकरण में आदेश पारित किया जाता है कि:-

क्रमांक/मा.चि./02

बैतूल, दिनांक 14 मार्च, 2017

वन वित्तीय नियम की धारा 124 के तहत शक्तियों का उपयोग करते हुये निम्नांकित पर्सनल हैमर को अपलेखित किया जाता है तथा श्री ईश्वरदास चन्देलकर, उप वनक्षेत्रपाल तत्कालीन परिक्षेत्र सहायक कलमेश्वरा से उक्त हैमर का मूल्य रुपये 510/- (पांच सौ दस रुपये मात्र) एक मुश्त वसूली के आदेश जारी करते हुए वन वित्तीय नियम की धारा-124 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग कर उक्त गुमशुदा पर्सनल हैमर शासकीय अभिलेख से अपलेखित किया जाता है. तथा श्री ईश्वरदास चन्देलकर उप वनक्षेत्रपाल को शासकीय कार्य में लापरवाही बरतने के फलस्वरूप भविष्य के लिए चारित्रिक के लिए चारित्रिक चेतावनी दी जाती है.

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को निम्नांकित हैमर मिले तो उस हैमर को निकटतम पुलिस थाने या किसी वन विभाग के कार्यालय में जमा करें. इस विज्ञप्ति के अनुसार यदि कोई व्यक्ति द्वारा निम्नांकित आकृति के हैमर को अनाधिकृत रूप से रखने या प्रयोग में लाते हुये पाया गया तो उसके विरुद्ध नियमानुसार दण्डित कार्यवाही की जावेगी तथा भारतीय वन अधिनियम की धारा 63 के प्रावधानों के अंतर्गत दण्ड का भागी होगा.

जे. देवप्रसाद,
वनमण्डलाधिकारी.

(1150)

कार्यालय परिसमापक जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मर्या., छिन्दवाड़ा

छिन्दवाड़ा, दिनांक 01 फरवरी, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1962 की धारा-57(सी/ग) के अन्तर्गत]

क्र./स्था/437.—जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मर्यादित छिन्दवाड़ा, तहसील छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा, जिसका पंजीयन क्रमांक/सीडब्ल्यूए/एचओ/101, दिनांक 16 मई, 1963 है, को संयुक्त रजिस्ट्रार सहकारी संस्थाएं, जबलपुर, संभाग जबलपुर के आदेश क्रमांक/संपज/विधि/2016/47, जबलपुर दिनांक 07 जनवरी, 2016 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70(1) के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम क्रमांक 57(सी/ग) के अंतर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को अपने समस्त दावों को मय-प्रमाण के लिखित में प्रस्तुत करने हेतु पत्र क्र./स्था/06, दिनांक 06 अप्रैल, 2016 को सूचना जारी की जाकर सूचना को स्थानीय समाचार पत्र में दिनांक 01 जून, 2016 को प्रकाशित कराया गया, किंतु किसी भी दावेदार द्वारा कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया गया है.

अतः पुनः अवसर दिया जाकर संस्था के समस्त दावेदारों को एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि, वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अंदर मय-प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखित रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं. त्रुटि की दशा में लेनदार किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि 2 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा मय प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये समझे जावेंगे.

यह आदेश आज दिनांक 01 फरवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

अनीता उईके,
परिसमापक.

(1121)

कार्यालय, परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक, सहकारी समितियां, जिला होशंगाबाद

होशंगाबाद, दिनांक 15 मार्च, 2017

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1960 के नियम, 57 (1) सी/ग के अन्तर्गत)

क्र./परि./2017/क्यू2.—कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, होशंगाबाद के द्वारा मध्यप्रदेश सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत निम्न सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर धारा-70(1) के अंतर्गत कार्यवाही हेतु परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	समिति का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	परिसमापन में लाने का आदेश क्रमांक एवं दिनांक
1	2	3	4
1.	तिलहन उत्पादक सहकारी समिति, माछा	2280/14-10-1987	840/11-06-2009

1	2	3	4
2.	तिलहन उत्पादक सहकारी समिति, तरौनकलां	2204/30-07-1987	272/02-03-2006
3.	तिलहन उत्पादक सहकारी समिति, गुजरखेड़ी	2299/10-09-1987	272/02-03-2006
4.	जागृति महिला बहु. सहकारी समिति, दापका		
5.	प्राथमिक मत्स्य उद्योग सहकारी समिति, डांडीवाड़ा	2607/02-03-1994	836/11-06-2009

उपभोक्ता सहकारी संस्थाओं से मुझे किसी प्रकार का रिकार्ड या दस्तावेज तथा डेड स्टॉक आदि प्राप्त नहीं हुआ है।

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70(1) का उपयोग में लाते हुए मैं, एस. के. पाठक, परिसमापक एवं वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, सहकारी समितियां होशंगाबाद मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 के नियम 57(1) सी/ग के अंतर्गत यह सूचित करता हूँ कि यदि उक्त संस्थाओं के दावेदार या सदस्यों की कोई लेनदारियां हो या दावे प्रस्तुत करना हो तो इस सूचना जारी होने के 2 माह के अंदर मय दस्तावेजों/प्रमाणकों के कार्यालयीन समय में मेरे समक्ष उपस्थित होकर प्रस्तुत करें, निर्धारित अवधि के बाद दावों (क्लेमों) पर कोई विचार नहीं किया जावेगा जिसके लिए संबंधित सदस्य/दावेदार ही व्यक्तिगत रूप में उत्तरदायी रहेगा, संस्था के कोई भी अभिलेख या सम्पत्ति किसी भी व्यक्ति के पास हो, तो वह 2 माह के भीतर मेरे कार्यालय में जमा कर दें, अन्यथा ऐसा व्यक्ति वैधानिक कार्यवाही के लिए उत्तरदायी होगा।

(1122)

एस. के. पाठक,
परिसमापक एवं वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक.

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला सतना

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

कार्यालय के निर्वाचन कक्ष से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भण्डार मर्या., जैतवारा, वि. खं. मझगवां, जिला सतना (म. प्र.) पंजीयन क्रमांक 68, दिनांक 24 फरवरी, 1992 निम्नलिखित कारणों से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के तहत परिसमापन में लाये जाने योग्य हो गई है:-

1. संस्था पंजीयन दिनांक से अकार्यशील है।
2. संस्था द्वारा निर्वाचन की प्रक्रिया प्रारंभ नहीं हो सकी है।
3. संस्था का रिकार्ड विधिवत संधारित नहीं है।
4. संस्था अपने पंजीकृत पते में स्थित नहीं है।
5. बैठकों संस्था की उपविधि के अनुसार नहीं की जा रही हैं।
6. संस्था द्वारा ऑडिट नहीं कराया गया है।
7. उपविधियों में वर्णित अनुसार बैठकों आदि की जानकारियां नहीं दी गई हैं।

अतः मैं, एस. एम. त्रिपाठी, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सतना, म. प्र. शासन, सहकारिता विभाग, मंत्रालय भोपाल के विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर अवगत करवाता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत परिसमापित करते हुये धारा-70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की जावे. इस कारण बताओ सूचना-पत्र को संचालक मण्डल के सदस्यों एवं समस्त सदस्यों के समक्ष विचारार्थ रखा जावे तथा संचालक मण्डल द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा इस कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रतिउत्तर मय साक्ष्य दस्तावेज अभिलेख सहित दिनांक 01 अप्रैल, 2017 तक कार्यालयीन समय में प्रस्तुत किया जावे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 02 मार्च, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(1123)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

कार्यालय के निर्वाचन कक्ष से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर लोकमान्य तिलक प्राथमिक सहकारी उप. भंडार मर्या., वार्ड क्र. 21, उत्तरी क्षेत्र सतना, जिला सतना (म. प्र.) पंजीयन क्रमांक 168, दिनांक 10 जनवरी, 1995 निम्नलिखित कारणों से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के तहत परिसमापन में लाये जाने योग्य हो गई है:-

1. संस्था पंजीयन दिनांक से अकार्यशील है।

2. संस्था द्वारा निर्वाचन की प्रक्रिया प्रारंभ नहीं हो सकी है.
3. संस्था का रिकार्ड विधिवत संधारित नहीं है.
4. संस्था अपने पंजीकृत पते में स्थित नहीं है.
5. बैठकें संस्था की उपविधि के अनुसार नहीं की जा रही हैं.
6. संस्था द्वारा ऑडिट नहीं कराया गया है.
7. उपविधियों में वर्णित अनुसार बैठकों आदि की जानकारियां नहीं दी गई हैं.

अतः मैं, एस. एम. त्रिपाठी, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सतना, म. प्र. शासन, सहकारिता विभाग, मंत्रालय भोपाल के विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर अवगत करवाता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत परिसमापित करते हुये धारा-70 के अन्तर्गत परिसमापक की नियुक्ति की जावे. इस कारण बताओ सूचना-पत्र को संचालक मण्डल के सदस्यों एवं समस्त सदस्यों के समक्ष विचारार्थ रखा जावे तथा संचालक मण्डल द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा इस कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रतिउत्तर मय साक्ष्य दस्तावेज अभिलेख सहित दिनांक 01 अप्रैल, 2017 तक कार्यालयीन समय में प्रस्तुत किया जावे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 02 मार्च, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(1123-A)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

कार्यालय के निर्वाचन कक्ष से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर सतना स्टोन एवं लाइम कर्म प्राथ. उप. भंडार सायडिंग सतना, जिला सतना (म. प्र.) पंजीयन क्रमांक 443, दिनांक 11 नवम्बर, 1963 निम्नलिखित कारणों से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के तहत परिसमापन में लाये जाने योग्य हो गई है:-

1. संस्था पंजीयन दिनांक से अकार्यशील है.
2. संस्था द्वारा निर्वाचन की प्रक्रिया प्रारंभ नहीं हो सकी है.
3. संस्था का रिकार्ड विधिवत संधारित नहीं है.
4. संस्था अपने पंजीकृत पते में स्थित नहीं है.
5. बैठकें संस्था की उपविधि के अनुसार नहीं की जा रही हैं.
6. संस्था द्वारा ऑडिट नहीं कराया गया है.
7. उपविधियों में वर्णित अनुसार बैठकों आदि की जानकारियां नहीं दी गई हैं.

अतः मैं, एस. एम. त्रिपाठी, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सतना, म. प्र. शासन, सहकारिता विभाग, मंत्रालय भोपाल के विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर अवगत करवाता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत परिसमापित करते हुये धारा-70 के अन्तर्गत परिसमापक की नियुक्ति की जावे. इस कारण बताओ सूचना-पत्र को संचालक मण्डल के सदस्यों एवं समस्त सदस्यों के समक्ष विचारार्थ रखा जावे तथा संचालक मण्डल द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा इस कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रतिउत्तर मय साक्ष्य दस्तावेज अभिलेख सहित दिनांक 01 अप्रैल, 2017 तक कार्यालयीन समय में प्रस्तुत किया जावे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 02 मार्च, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(1123-B)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

कार्यालय के निर्वाचन कक्ष से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर महिला प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भंडार मर्या., पतेरी, वि. ख. सोहावल, जिला सतना (म. प्र.) पंजीयन क्रमांक 150, दिनांक 31 दिसम्बर, 1994 निम्नलिखित कारणों से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के तहत परिसमापन में लाये जाने योग्य हो गई है:-

1. संस्था पंजीयन दिनांक से अकार्यशील है.
2. संस्था द्वारा निर्वाचन की प्रक्रिया प्रारंभ नहीं हो सकी है.
3. संस्था का रिकार्ड विधिवत संधारित नहीं है.

4. संस्था अपने पंजीकृत पते में स्थित नहीं है.
5. बैठकें संस्था की उपविधि के अनुसार नहीं की जा रही हैं.
6. संस्था द्वारा ऑडिट नहीं कराया गया है.
7. उपविधियों में वर्णित अनुसार बैठकों आदि की जानकारियां नहीं दी गई हैं.

अतः मैं, एस. एम. त्रिपाठी, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सतना, म. प्र. शासन, सहकारिता विभाग, मंत्रालय भोपाल के विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर अवगत करवाता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत परिसमापित करते हुये धारा-70 के अन्तर्गत परिसमापक की नियुक्ति की जावे. इस कारण बताओ सूचना-पत्र को संचालक मण्डल के सदस्यों एवं समस्त सदस्यों के समक्ष विचारार्थ रखा जावे तथा संचालक मण्डल द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा इस कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रतिउत्तर मय साक्ष्य दस्तावेज अभिलेख सहित दिनांक 01 अप्रैल, 2017 तक कार्यालयीन समय में प्रस्तुत किया जावे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 02 मार्च, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(1123-C)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

कार्यालय के निर्वाचन कक्ष से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर कामदगिरी प्राथ. सहकारी उप. भंडार मर्या., कामता चित्रकूट वि. ख. मझगवां, जिला सतना (म. प्र.) पंजीयन क्रमांक 185, दिनांक 14 मार्च, 1995 निम्नलिखित कारणों से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के तहत परिसमापन में लाये जाने योग्य हो गई है:-

1. संस्था पंजीयन दिनांक से अकार्यशील है.
2. संस्था द्वारा निर्वाचन की प्रक्रिया प्रारंभ नहीं हो सकी है.
3. संस्था का रिकार्ड विधिवत संधारित नहीं है.
4. संस्था अपने पंजीकृत पते में स्थित नहीं है.
5. बैठकें संस्था की उपविधि के अनुसार नहीं की जा रही हैं.
6. संस्था द्वारा ऑडिट नहीं कराया गया है.
7. उपविधियों में वर्णित अनुसार बैठकों आदि की जानकारियां नहीं दी गई हैं.

अतः मैं, एस. एम. त्रिपाठी, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सतना, म. प्र. शासन, सहकारिता विभाग, मंत्रालय भोपाल के विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर अवगत करवाता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत परिसमापित करते हुये धारा-70 के अन्तर्गत परिसमापक की नियुक्ति की जावे. इस कारण बताओ सूचना-पत्र को संचालक मण्डल के सदस्यों एवं समस्त सदस्यों के समक्ष विचारार्थ रखा जावे तथा संचालक मण्डल द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा इस कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रतिउत्तर मय साक्ष्य दस्तावेज अभिलेख सहित दिनांक 01 अप्रैल, 2017 तक कार्यालयीन समय में प्रस्तुत किया जावे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 02 मार्च, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(1123-D)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

कार्यालय के निर्वाचन कक्ष से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर माँ जलपा मत्स्य उद्योग सह. समिति मर्या., महदेवा, वि. ख. सोहावल, जिला सतना (म. प्र.) पंजीयन क्रमांक 218, दिनांक 24 नवम्बर, 1995 निम्नलिखित कारणों से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के तहत परिसमापन में लाये जाने योग्य हो गई है:-

1. संस्था पंजीयन दिनांक से अकार्यशील है.
2. संस्था द्वारा निर्वाचन की प्रक्रिया प्रारंभ नहीं हो सकी है.
3. संस्था का रिकार्ड विधिवत संधारित नहीं है.
4. संस्था अपने पंजीकृत पते में स्थित नहीं है.
5. बैठकें संस्था की उपविधि के अनुसार नहीं की जा रही हैं.

6. संस्था द्वारा ऑडिट नहीं कराया गया है।
7. उपविधियों में वर्णित अनुसार बैठकों आदि की जानकारियां हीं दी गई हैं।

अतः मैं, एस. एम. त्रिपाठी, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सतना, म. प्र. शासन, सहकारिता विभाग, मंत्रालय भोपाल के विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर अवगत करवाता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत परिसमापित करते हुये धारा-70 के अन्तर्गत परिसमापक की नियुक्ति की जावे. इस कारण बताओ सूचना-पत्र को संचालक मण्डल के सदस्यों एवं समस्त सदस्यों के समक्ष विचारार्थ रखा जावे तथा संचालक मण्डल द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा इस कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रतिउत्तर मय साक्ष्य दस्तावेज अभिलेख सहित दिनांक 01 अप्रैल, 2017 तक कार्यालयीन समय में प्रस्तुत किया जावे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 02 मार्च, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(1123-E)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

कार्यालय के निर्वाचन कक्ष से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर महिला गृह पापड़, बड़ी उद्योग सह. समिति मर्या., कामता टोला सतना, वि. ख. सोहावल, जिला सतना (म. प्र.) पंजीयन क्रमांक 98, दिनांक 22 जून, 1993 निम्नलिखित कारणों से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के तहत परिसमापन में लाये जाने योग्य हो गई है:-

1. संस्था पंजीयन दिनांक से अकार्यशील है।
2. संस्था द्वारा निर्वाचन की प्रक्रिया प्रारंभ नहीं हो सकी है।
3. संस्था का रिकार्ड विधिवत संधारित नहीं है।
4. संस्था अपने पंजीकृत पते में स्थित नहीं है।
5. बैठकों संस्था की उपविधि के अनुसार नहीं की जा रही हैं।
6. संस्था द्वारा ऑडिट नहीं कराया गया है।
7. उपविधियों में वर्णित अनुसार बैठकों आदि की जानकारियां नहीं दी गई हैं।

अतः मैं, एस. एम. त्रिपाठी, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सतना, म. प्र. शासन, सहकारिता विभाग, मंत्रालय भोपाल के विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर अवगत करवाता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत परिसमापित करते हुये धारा-70 के अन्तर्गत परिसमापक की नियुक्ति की जावे. इस कारण बताओ सूचना-पत्र को संचालक मण्डल के सदस्यों एवं समस्त सदस्यों के समक्ष विचारार्थ रखा जावे तथा संचालक मण्डल द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा इस कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रतिउत्तर मय साक्ष्य दस्तावेज अभिलेख सहित दिनांक 01 अप्रैल, 2017 तक कार्यालयीन समय में प्रस्तुत किया जावे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 02 मार्च, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(1123-F)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

कार्यालय के निर्वाचन कक्ष से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर रजिया महिला उद्योग सह. समिति मर्या., वार्ड क्र. 28, जवाहर नगर सतना, वि. ख. सोहावल, जिला सतना (म. प्र.) पंजीयन क्रमांक 493, दिनांक 28 जनवरी, 2003 निम्नलिखित कारणों से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के तहत परिसमापन में लाये जाने योग्य हो गई है:-

1. संस्था पंजीयन दिनांक से अकार्यशील है।
2. संस्था द्वारा निर्वाचन की प्रक्रिया प्रारंभ नहीं हो सकी है।
3. संस्था का रिकार्ड विधिवत संधारित नहीं है।
4. संस्था अपने पंजीकृत पते में स्थित नहीं है।
5. बैठकों संस्था की उपविधि के अनुसार नहीं की जा रही हैं।
6. संस्था द्वारा ऑडिट नहीं कराया गया है।
7. उपविधियों में वर्णित अनुसार बैठकों आदि की जानकारियां नहीं दी गई हैं।

अतः मैं, एस. एम. त्रिपाठी, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सतना, म. प्र. शासन, सहकारिता विभाग, मंत्रालय भोपाल के विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर अवगत करवाता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत परिसमापित करते हुये धारा-70 के अन्तर्गत परिसमापक की नियुक्ति की जावे. इस कारण बताओ सूचना-पत्र को संचालक मण्डल के सदस्यों एवं समस्त सदस्यों के समक्ष विचारार्थ रखा जावे तथा संचालक मण्डल द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा इस कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रतिउत्तर मय साक्ष्य दस्तावेज अभिलेख सहित दिनांक 01 अप्रैल, 2017 तक कार्यालयीन समय में प्रस्तुत किया जावे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 02 मार्च, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(1123-G)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

कार्यालय के निर्वाचन कक्ष से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर सद्गुरु हाथकरघा बुनकर सह. समिति मर्या., कठहा, वि. ख. अमरपाटन, जिला सतना (म. प्र.) पंजीयन क्रमांक 432, दिनांक 15 नवम्बर, 2002 निम्नलिखित कारणों से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के तहत परिसमापन में लाये जाने योग्य हो गई है:-

1. संस्था पंजीयन दिनांक से अकार्यशील है.
2. संस्था द्वारा निर्वाचन की प्रक्रिया प्रारंभ नहीं हो सकी है.
3. संस्था का रिकार्ड विधिवत संधारित नहीं है.
4. संस्था अपने पंजीकृत पते में स्थित नहीं है.
5. बैठकें संस्था की उपविधि के अनुसार नहीं की जा रही हैं.
6. संस्था द्वारा ऑडिट नहीं कराया गया है.
7. उपविधियों में वर्णित अनुसार बैठकें आदि की जानकारियां नहीं दी गई हैं.

अतः मैं, एस. एम. त्रिपाठी, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सतना, म. प्र. शासन, सहकारिता विभाग, मंत्रालय भोपाल के विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर अवगत करवाता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत परिसमापित करते हुये धारा-70 के अन्तर्गत परिसमापक की नियुक्ति की जावे. इस कारण बताओ सूचना-पत्र को संचालक मण्डल के सदस्यों एवं समस्त सदस्यों के समक्ष विचारार्थ रखा जावे तथा संचालक मण्डल द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा इस कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रतिउत्तर मय साक्ष्य दस्तावेज अभिलेख सहित दिनांक 01 अप्रैल, 2017 तक कार्यालयीन समय में प्रस्तुत किया जावे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 02 मार्च, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(1123-H)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

कार्यालय के निर्वाचन कक्ष से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर ग्रामोदय हाथकरघा एवं बुनकर सह. समिति मर्या., चित्रकूट, वि.खं. मझगावां, जिला सतना (म. प्र.) पंजीयन क्रमांक 812, दिनांक 06 सितम्बर, 2014 निम्नलिखित कारणों से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के तहत परिसमापन में लाये जाने योग्य हो गई है:-

1. संस्था पंजीयन दिनांक से अकार्यशील है.
2. संस्था द्वारा निर्वाचन की प्रक्रिया प्रारंभ नहीं हो सकी है.
3. संस्था का रिकार्ड विधिवत संधारित नहीं है.
4. संस्था अपने पंजीकृत पते में स्थित नहीं है.
5. बैठकें संस्था की उपविधि के अनुसार नहीं की जा रही हैं.
6. संस्था द्वारा ऑडिट नहीं कराया गया है.
7. उपविधियों में वर्णित अनुसार बैठकें आदि की जानकारियां नहीं दी गई हैं.

अतः मैं, एस. एम. त्रिपाठी, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सतना, म. प्र. शासन, सहकारिता विभाग, मंत्रालय भोपाल के विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये यह कारण बताओ

सूचना-पत्र जारी कर अवगत करवाता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत परिसमापित करते हुये धारा-70 के अन्तर्गत परिसमापक की नियुक्ति की जावे. इस कारण बताओ सूचना-पत्र को संचालक मण्डल के सदस्यों एवं समस्त सदस्यों के समक्ष विचारार्थ रखा जावे तथा संचालक मण्डल द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा इस कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रतिउत्तर मय साक्ष्य दस्तावेज अभिलेख सहित दिनांक 01 अप्रैल, 2017 तक कार्यालयीन समय में प्रस्तुत किया जावे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 02 मार्च, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(1123-I)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

कार्यालय के निर्वाचन कक्ष से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर पदमावती महिला बहुउद्देशीय सह. समिति मर्या. बरा-गडौली, वि. ख. उचेहरा, जिला सतना (म. प्र.) पंजीयन क्रमांक....., दिनांक..... निम्नलिखित कारणों से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के तहत परिसमापन में लाये जाने योग्य हो गई है:-

1. संस्था पंजीयन दिनांक से अकार्यशील है.
2. संस्था द्वारा निर्वाचन की प्रक्रिया प्रारंभ नहीं हो सकी है.
3. संस्था का रिकार्ड विधिवत संधारित नहीं है.
4. संस्था अपने पंजीकृत पते में स्थित नहीं है.
5. बैठकें संस्था की उपविधि के अनुसार नहीं की जा रही हैं.
6. संस्था द्वारा ऑडिट नहीं कराया गया है.
7. उपविधियों में वर्णित अनुसार बैठकों आदि की जानकारी नहीं दी गई हैं.

अतः मैं, एस. एम. त्रिपाठी, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सतना, म. प्र. शासन, सहकारिता विभाग, मंत्रालय भोपाल के विज्ञप्ति क्रमांक-/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर अवगत करवाता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत परिसमापित करते हुये धारा-70 के अन्तर्गत परिसमापक की नियुक्ति की जावे. इस कारण बताओ सूचना-पत्र को संचालक मण्डल के सदस्यों एवं समस्त सदस्यों के समक्ष विचारार्थ रखा जावे तथा संचालक मण्डल द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा इस कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रतिउत्तर मय साक्ष्य दस्तावेज अभिलेख सहित दिनांक 01 अप्रैल, 2017 तक कार्यालयीन समय में प्रस्तुत किया जावे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 02 मार्च, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(1123-J)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

कार्यालय के निर्वाचन कक्ष से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर माँ खेरमाई महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., गुडवा, वि. ख. उचेहरा, जिला सतना (म. प्र.) पंजीयन क्रमांक 476, दिनांक 12 मार्च, 2004 निम्नलिखित कारणों से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के तहत परिसमापन में लाये जाने योग्य हो गई है:-

1. संस्था पंजीयन दिनांक से अकार्यशील है.
2. संस्था द्वारा निर्वाचन की प्रक्रिया प्रारंभ नहीं हो सकी है.
3. संस्था का रिकार्ड विधिवत संधारित नहीं है.
4. संस्था अपने पंजीकृत पते में स्थित नहीं है.
5. बैठकें संस्था की उपविधि के अनुसार नहीं की जा रही हैं.
6. संस्था द्वारा ऑडिट नहीं कराया गया है.
7. उपविधियों में वर्णित अनुसार बैठकों आदि की जानकारी नहीं दी गई हैं.

अतः मैं, एस. एम. त्रिपाठी, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सतना, म. प्र. शासन, सहकारिता विभाग, मंत्रालय भोपाल के विज्ञप्ति क्रमांक-/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर अवगत करवाता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत परिसमापित करते हुये धारा-70 के अन्तर्गत परिसमापक की नियुक्ति की जावे. इस कारण बताओ सूचना-पत्र को संचालक मण्डल

के सदस्यों एवं समस्त सदस्यों के समक्ष विचारार्थ रखा जावे तथा संचालक मण्डल द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा इस कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रतिउत्तर मय साक्ष्य दस्तावेज अभिलेख सहित दिनांक 01 अप्रैल, 2017 तक कार्यालयीन समय में प्रस्तुत किया जावे।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 02 मार्च, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(1123-K)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

कार्यालय के निर्वाचन कक्ष से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर महिला बहुउद्देशीय सह. समिति मर्या., मलगांव, वि. खं. सोहावल, जिला सतना (म. प्र.) पंजीयन क्रमांक....., दिनांक.....निम्नलिखित कारणों से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के तहत परिसमापन में लाये जाने योग्य हो गई है:-

1. संस्था पंजीयन दिनांक से अकार्यशील है.
2. संस्था द्वारा निर्वाचन की प्रक्रिया प्रारंभ नहीं हो सकी है.
3. संस्था का रिकार्ड विधिवत संधारित नहीं है.
4. संस्था अपने पंजीकृत पते में स्थित नहीं है.
5. बैठकें संस्था की उपविधि के अनुसार नहीं की जा रही हैं.
6. संस्था द्वारा ऑडिट नहीं कराया गया है.
7. उपविधियों में वर्णित अनुसार बैठकें आदि की जानकारियां नहीं दी गई हैं.

अतः मैं, एस. एम. त्रिपाठी, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सतना, म. प्र. शासन, सहकारिता विभाग, मंत्रालय भोपाल के विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर अवगत करवाता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत परिसमापित करते हुये धारा-70 के अन्तर्गत परिसमापक की नियुक्ति की जावे. इस कारण बताओ सूचना-पत्र को संचालक मण्डल के सदस्यों एवं समस्त सदस्यों के समक्ष विचारार्थ रखा जावे तथा संचालक मण्डल द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा इस कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रतिउत्तर मय साक्ष्य दस्तावेज अभिलेख सहित दिनांक 01 अप्रैल, 2017 तक कार्यालयीन समय में प्रस्तुत किया जावे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 02 मार्च, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(1123-L)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

कार्यालय के निर्वाचन कक्ष से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर कामायनी महिला बहुउद्देशीय सह. समिति मर्या., बठियाकला, वि. खं. सोहावल, जिला सतना (म. प्र.), पंजीयन क्रमांक 223, दिनांक 18 सितम्बर, 2014 निम्नलिखित कारणों से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के तहत परिसमापन में लाये जाने योग्य हो गई है:-

1. संस्था पंजीयन दिनांक से अकार्यशील है.
2. संस्था द्वारा निर्वाचन की प्रक्रिया प्रारंभ नहीं हो सकी है.
3. संस्था का रिकार्ड विधिवत संधारित नहीं है.
4. संस्था अपने पंजीकृत पते में स्थित नहीं है.
5. बैठकें संस्था की उपविधि के अनुसार नहीं की जा रही हैं.
6. संस्था द्वारा ऑडिट नहीं कराया गया है.
7. उपविधियों में वर्णित अनुसार बैठकें आदि की जानकारियां नहीं दी गई हैं.

अतः मैं, एस. एम. त्रिपाठी, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सतना, म. प्र. शासन, सहकारिता विभाग, मंत्रालय भोपाल के विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर अवगत करवाता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत परिसमापित करते हुये धारा-70 के अन्तर्गत परिसमापक की नियुक्ति की जावे. इस कारण बताओ सूचना-पत्र को संचालक मण्डल के सदस्यों एवं समस्त सदस्यों के समक्ष विचारार्थ रखा जावे तथा संचालक मण्डल द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा इस कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रतिउत्तर मय साक्ष्य दस्तावेज अभिलेख सहित दिनांक 01 अप्रैल, 2017 तक कार्यालयीन समय में प्रस्तुत किया जावे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 02 मार्च, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(1123-M)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

कार्यालय के निर्वाचन कक्ष से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर ईंधन क्रय-विक्रय सह. समिति मर्या., नागौद, वि. ख. नागौद, जिला सतना (म. प्र.) पंजीयन क्रमांक 225, दिनांक 14 दिसम्बर, 1995 निम्नलिखित कारणों से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के तहत परिसमापन में लाये जाने योग्य हो गई है:-

1. संस्था पंजीयन दिनांक से अकार्यशील है।
2. संस्था द्वारा निर्वाचन की प्रक्रिया प्रारंभ नहीं हो सकी है।
3. संस्था का रिकार्ड विधिवत संधारित नहीं है।
4. संस्था अपने पंजीकृत पते में स्थित नहीं है।
5. बैठकें संस्था की उपविधि के अनुसार नहीं की जा रही हैं।
6. संस्था द्वारा ऑडिट नहीं कराया गया है।
7. उपविधियों में वर्णित अनुसार बैठकों आदि की जानकारियां नहीं दी गई हैं।

अतः मैं, एस. एम. त्रिपाठी, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सतना, म. प्र. शासन, सहकारिता विभाग, मंत्रालय भोपाल के विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर अवगत करवाता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत परिसमापित करते हुये धारा-70 के अन्तर्गत परिसमापक की नियुक्ति की जावे। इस कारण बताओ सूचना-पत्र को संचालक मण्डल के सदस्यों एवं समस्त सदस्यों के समक्ष विचारार्थ रखा जावे तथा संचालक मण्डल द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा इस कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रतिउत्तर मय साक्ष्य दस्तावेज अभिलेख सहित दिनांक 01 अप्रैल, 2017 तक कार्यालयीन समय में प्रस्तुत किया जावे।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 02 मार्च, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(1123-N)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

कार्यालय के निर्वाचन कक्ष से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर माँ दुर्गा क्रय-विक्रय कृषि उत्पा. सह. समिति मर्या., पतेरी, वि. ख. सोहावल, जिला सतना वि. ख. सोहावल, जिला सतना (म. प्र.) पंजीयन क्रमांक 513, दिनांक 12 जनवरी, 2005 निम्नलिखित कारणों से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के तहत परिसमापन में लाये जाने योग्य हो गई है:-

1. संस्था पंजीयन दिनांक से अकार्यशील है।
2. संस्था द्वारा निर्वाचन की प्रक्रिया प्रारंभ नहीं हो सकी है।
3. संस्था का रिकार्ड विधिवत संधारित नहीं है।
4. संस्था अपने पंजीकृत पते में स्थित नहीं है।
5. बैठकें संस्था की उपविधि के अनुसार नहीं की जा रही हैं।
6. संस्था द्वारा ऑडिट नहीं कराया गया है।
7. उपविधियों में वर्णित अनुसार बैठकों आदि की जानकारियां नहीं दी गई हैं।

अतः मैं, एस. एम. त्रिपाठी, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सतना, म. प्र. शासन, सहकारिता विभाग, मंत्रालय भोपाल के विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर अवगत करवाता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत परिसमापित करते हुये धारा-70 के अन्तर्गत परिसमापक की नियुक्ति की जावे। इस कारण बताओ सूचना-पत्र को संचालक मण्डल के सदस्यों एवं समस्त सदस्यों के समक्ष विचारार्थ रखा जावे तथा संचालक मण्डल द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा इस कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रतिउत्तर मय साक्ष्य दस्तावेज अभिलेख सहित दिनांक 01 अप्रैल, 2017 तक कार्यालयीन समय में प्रस्तुत किया जावे।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 02 मार्च, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(1123-O)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

कार्यालय के निर्वाचन कक्ष से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर ईंधन व्यवसायिक सह. समिति मर्या., वार्ड क्र. 38, सतना, वि. ख....., जिला सतना (म. प्र.) पंजीयन क्रमांक 517, दिनांक 23 अगस्त, 2005 निम्नलिखित कारणों से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के तहत परिसमापन में लाये जाने योग्य हो गई है:-

1. संस्था पंजीयन दिनांक से अकार्यशील है.
2. संस्था द्वारा निर्वाचन की प्रक्रिया प्रारंभ नहीं हो सकी है.
3. संस्था का रिकार्ड विधिवत संधारित नहीं है.
4. संस्था अपने पंजीकृत पते में स्थित नहीं है.
5. बैठकें संस्था की उपविधि के अनुसार नहीं की जा रही हैं.
6. संस्था द्वारा ऑडिट नहीं कराया गया है.
7. उपविधियों में वर्णित अनुसार बैठकों आदि की जानकारियां नहीं दी गई हैं.

अतः मैं, एस. एम. त्रिपाठी, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सतना, म. प्र. शासन, सहकारिता विभाग, मंत्रालय भोपाल के विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर अवगत करवाता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत परिसमापित करते हुये धारा-70 के अन्तर्गत परिसमापक की नियुक्ति की जावे. इस कारण बताओ सूचना-पत्र को संचालक मण्डल के सदस्यों एवं समस्त सदस्यों के समक्ष विचारार्थ रखा जावे तथा संचालक मण्डल द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा इस कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रतिउत्तर मय साक्ष्य दस्तावेज अभिलेख सहित दिनांक 01 अप्रैल, 2017 तक कार्यालयीन समय में प्रस्तुत किया जावे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 02 मार्च, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(1123-P)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

कार्यालय के निर्वाचन कक्ष से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर संस्कृत क्रय-विक्रय सह. समिति मर्या., अहरीटोला, वि. ख. सोहावल, जिला सतना (म. प्र.) पंजीयन क्रमांक 552, दिनांक 13 अक्टूबर, 2008 निम्नलिखित कारणों से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के तहत परिसमापन में लाये जाने योग्य हो गई है:-

1. संस्था पंजीयन दिनांक से अकार्यशील है.
2. संस्था द्वारा निर्वाचन की प्रक्रिया प्रारंभ नहीं हो सकी है.
3. संस्था का रिकार्ड विधिवत संधारित नहीं है.
4. संस्था अपने पंजीकृत पते में स्थित नहीं है.
5. बैठकें संस्था की उपविधि के अनुसार नहीं की जा रही हैं.
6. संस्था द्वारा ऑडिट नहीं कराया गया है.
7. उपविधियों में वर्णित अनुसार बैठकों आदि की जानकारियां नहीं दी गई हैं.

अतः मैं, एस. एम. त्रिपाठी, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सतना, म. प्र. शासन, सहकारिता विभाग, मंत्रालय भोपाल के विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर अवगत करवाता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत परिसमापित करते हुये धारा-70 के अन्तर्गत परिसमापक की नियुक्ति की जावे. इस कारण बताओ सूचना-पत्र को संचालक मण्डल के सदस्यों एवं समस्त सदस्यों के समक्ष विचारार्थ रखा जावे तथा संचालक मण्डल द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा इस कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रतिउत्तर मय साक्ष्य दस्तावेज अभिलेख सहित दिनांक 01 अप्रैल, 2017 तक कार्यालयीन समय में प्रस्तुत किया जावे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 02 मार्च, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(1123-Q)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

कार्यालय के निर्वाचन कक्ष से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर किसान रसा. एवं जैविक खाद क्रय-विक्रय समिति मर्या., मांथवगढ़,

वि. ख. सोहावल, जिला सतना, जिला सतना (म. प्र.) पंजीयन क्रमांक 567, दिनांक 27 अगस्त, 2009 निम्नलिखित कारणों से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के तहत परिसमापन में लाये जाने योग्य हो गई है:-

1. संस्था पंजीयन दिनांक से अकार्यशील है.
2. संस्था द्वारा निर्वाचन की प्रक्रिया प्रारंभ नहीं हो सकी है.
3. संस्था का रिकार्ड विधिवत संधारित नहीं है.
4. संस्था अपने पंजीकृत पते में स्थित नहीं है.
5. बैठकें संस्था की उपविधि के अनुसार नहीं की जा रही हैं.
6. संस्था द्वारा ऑडिट नहीं कराया गया है.
7. उपविधियों में वर्णित अनुसार बैठकों आदि की जानकारीयां नहीं दी गई हैं.

अतः मैं, एस. एम. त्रिपाठी, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सतना, म. प्र. शासन, सहकारिता विभाग, मंत्रालय भोपाल के विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर अवगत करवाता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत परिसमापित करते हुये धारा-70 के अन्तर्गत परिसमापक की नियुक्ति की जावे. इस कारण बताओ सूचना-पत्र को संचालक मण्डल के सदस्यों एवं समस्त सदस्यों के समक्ष विचारार्थ रखा जावे तथा संचालक मण्डल द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा इस कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रतिउत्तर मय साक्ष्य दस्तावेज अभिलेख सहित दिनांक 01 अप्रैल, 2017 तक कार्यालयीन समय में प्रस्तुत किया जावे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 02 मार्च, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(1123-R)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

कार्यालय के निर्वाचन कक्ष से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर पशु कल्याण एवं पशु विकास सह. समिति मर्या., सिंहपुर, वि. खं. नागौद, जिला सतना (म. प्र.) पंजीयन क्रमांक 564, दिनांक 04 जुलाई, 2009 निम्नलिखित कारणों से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के तहत परिसमापन में लाये जाने योग्य हो गई है:-

1. संस्था पंजीयन दिनांक से अकार्यशील है.
2. संस्था द्वारा निर्वाचन की प्रक्रिया प्रारंभ नहीं हो सकी है.
3. संस्था का रिकार्ड विधिवत संधारित नहीं है.
4. संस्था अपने पंजीकृत पते में स्थित नहीं है.
5. बैठकें संस्था की उपविधि के अनुसार नहीं की जा रही हैं.
6. संस्था द्वारा ऑडिट नहीं कराया गया है.
7. उपविधियों में वर्णित अनुसार बैठकों आदि की जानकारीयां नहीं दी गई हैं.

अतः मैं, एस. एम. त्रिपाठी, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सतना, म. प्र. शासन, सहकारिता विभाग, मंत्रालय भोपाल के विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर अवगत करवाता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत परिसमापित करते हुये धारा-70 के अन्तर्गत परिसमापक की नियुक्ति की जावे. इस कारण बताओ सूचना-पत्र को संचालक मण्डल के सदस्यों एवं समस्त सदस्यों के समक्ष विचारार्थ रखा जावे तथा संचालक मण्डल द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा इस कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रतिउत्तर मय साक्ष्य दस्तावेज अभिलेख सहित दिनांक 01 अप्रैल, 2017 तक कार्यालयीन समय में प्रस्तुत किया जावे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 02 मार्च, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(1123-S)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

कार्यालय के निर्वाचन कक्ष से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर स्टेशनरी प्रिन्टिंग एवं सप्लाय सह. समिति मर्या., सतना, वि. खं. सोहावल, जिला सतना (म. प्र.), पंजीयन क्रमांक 291, दिनांक 31 जुलाई, 1998 निम्नलिखित कारणों से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के तहत परिसमापन में लाये जाने योग्य हो गई है:-

1. संस्था पंजीयन दिनांक से अकार्यशील है.

2. संस्था द्वारा निर्वाचन की प्रक्रिया प्रारंभ नहीं हो सकी है.
3. संस्था का रिकार्ड विधिवत संधारित नहीं है.
4. संस्था अपने पंजीकृत पते में स्थित नहीं है.
5. बैठकें संस्था की उपविधि के अनुसार नहीं की जा रही हैं.
6. संस्था द्वारा ऑडिट नहीं कराया गया है.
7. उपविधियों में वर्णित अनुसार बैठकों आदि की जानकारियां नहीं दी गई हैं.

अतः मैं, एस. एम. त्रिपाठी, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सतना, म. प्र. शासन, सहकारिता विभाग, मंत्रालय भोपाल के विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर अवगत करवाता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत परिसमापित करते हुये धारा-70 के अन्तर्गत परिसमापक की नियुक्ति की जावे. इस कारण बताओ सूचना-पत्र को संचालक मण्डल के सदस्यों एवं समस्त सदस्यों के समक्ष विचारार्थ रखा जावे तथा संचालक मण्डल द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा इस कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रतिउत्तर मय साक्ष्य दस्तावेज अभिलेख सहित दिनांक 01 अप्रैल, 2017 तक कार्यालयीन समय में प्रस्तुत किया जावे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 02 मार्च, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(1123-T)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

कार्यालय के निर्वाचन कक्ष से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर मध्य भारती साख सह. समिति मर्या., सरला नगर, मैहर, वि. ख. मैहर, जिला सतना (म. प्र.) पंजीयन क्रमांक 813, दिनांक 26 सितम्बर, 2014 निम्नलिखित कारणों से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के तहत परिसमापन में लाये जाने योग्य हो गई है:-

1. संस्था पंजीयन दिनांक से अकार्यशील है.
2. संस्था द्वारा निर्वाचन की प्रक्रिया प्रारंभ नहीं हो सकी है.
3. संस्था का रिकार्ड विधिवत संधारित नहीं है.
4. संस्था अपने पंजीकृत पते में स्थित नहीं है.
5. बैठकें संस्था की उपविधि के अनुसार नहीं की जा रही हैं.
6. संस्था द्वारा ऑडिट नहीं कराया गया है.
7. उपविधियों में वर्णित अनुसार बैठकों आदि की जानकारियां नहीं दी गई हैं.

अतः मैं, एस. एम. त्रिपाठी, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सतना, म. प्र. शासन, सहकारिता विभाग, मंत्रालय भोपाल के विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर अवगत करवाता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत परिसमापित करते हुये धारा-70 के अन्तर्गत परिसमापक की नियुक्ति की जावे. इस कारण बताओ सूचना-पत्र को संचालक मण्डल के सदस्यों एवं समस्त सदस्यों के समक्ष विचारार्थ रखा जावे तथा संचालक मण्डल द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा इस कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रतिउत्तर मय साक्ष्य दस्तावेज अभिलेख सहित दिनांक 01 अप्रैल, 2017 तक कार्यालयीन समय में प्रस्तुत किया जावे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 02 मार्च, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

एस. एम. त्रिपाठी,
सहायक पंजीयक.

(1123-U)

कार्यालय उपायुक्त सहकारिता, जिला शहडोल

शहडोल दिनांक 09 मार्च, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के तहत]

क्र./परि./2017/334.—आदिवासी मछुआ सहकारी समिति मर्यादित, गिरमा, तहसील जैतपुर, जिला-शहडोल पंजीयन क्रमांक 817, दिनांक 26 फरवरी, 1989 के अकार्यशील हो जाने से संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1960 की धारा-69 के तहत परिसमापित किया गया. उक्त अधिनियम की धारा-70 के तहत नियुक्त परिसमापक द्वारा परिसमापित संस्था की देनदारी-लेनदारी का निपटारा किया जाकर

संस्था के सदस्यों की आमसभा में सदस्यों के मत प्राप्त किये जाकर अंकक्षित निरंक स्थिति विवरण पत्रक सहित अंतिम प्रतिवेदन इस कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है।

परिसमापित संस्था के लेनदारी-देनदारी का निपटारा हो जाने तथा अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत हो जाने से संस्था को अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं है।

अतः मैं, बी. एस. परते, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, शहडोल को सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ.5-1-99/पन्द्रह-एक-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के तहत आदिवासी मछुआ सहकारी समिति मर्यादित, गिरमा, तहसील जैतपुर, जिला-शहडोल पंजीयन क्रमांक 817, दिनांक 26 फरवरी, 1989 का पंजीयन निरस्त करता हूँ तथा यह भी आदेश देता हूँ कि यह संस्था इस आदेश दिनांक से विघटित समझी जावेगी और निगमित निकाय (कार्पोरेट-बाडी) के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी।

यह आदेश आज दिनांक 09 मार्च, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया।

(1124)

शहडोल दिनांक 09 मार्च, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के तहत]

क्र./परि./2017/335.—उमा महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्यादित, पवैह, तहसील ब्यौहारी, जिला-शहडोल पंजीयन क्रमांक 1022, दिनांक 03 फरवरी, 2003 के अकार्यशील हो जाने से संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1960 की धारा-69 के तहत परिसमापित किया गया। उक्त अधिनियम की धारा-70 के तहत नियुक्त परिसमापक द्वारा परिसमापित संस्था की देनदारी-लेनदारी का निपटारा किया जाकर संस्था के सदस्यों की आमसभा में सदस्यों के मत प्राप्त किये जाकर अंकक्षित निरंक स्थिति विवरण पत्रक सहित अंतिम प्रतिवेदन इस कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है।

परिसमापित संस्था के लेनदारी-देनदारी का निपटारा हो जाने तथा अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत हो जाने से संस्था को अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं है।

अतः मैं, बी. एस. परते, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, शहडोल को सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ.5-1-99/पन्द्रह-एक-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के तहत उमा महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्यादित, पवैह, तहसील ब्यौहारी, जिला-शहडोल पंजीयन क्रमांक 1022, दिनांक 03 फरवरी, 2003 का पंजीयन निरस्त करता हूँ तथा यह भी आदेश देता हूँ कि यह संस्था इस आदेश दिनांक से विघटित समझी जावेगी और निगमित निकाय (कार्पोरेट-बाडी) के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी।

यह आदेश आज दिनांक 09 मार्च, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया।

(1124-A)

बी. एस. परते,
उपायुक्त (सहकारिता)।

कार्यालय परिसमापक सहकारी संस्थाएं, जिला खरगौन

खरगौन, दिनांक 27 अगस्त, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (1) सी/ग के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/क्यू/1073.—कार्यालय उप-पंजीयक (प्रशासन), सहकारी संस्थाएं, जिला खरगौन के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी संस्था अधिनियम की धारा 69 के अन्तर्गत निम्न सूची अनुसार संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर संस्था के नाम के सम्मुख दर्शित अधिकारी को धारा-70 (1) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापन लाने का आदेश क्रमांक व दिनांक
1.	दुग्ध उत्पा. सहकारी स., झापड़ी, तह. महेश्वर	1455/21-10-2005	1073/27-08-2016
2.	श्री बालाजी प्रा. भंडार, मण्डलेश्वर, तह. महेश्वर	1676/05-12-2012	1073/27-08-2016
3.	श्री साईं बालाजी बीज उत्पा. मण्डलेश्वर, तह. महेश्वर	1672/26-12-2012	1073/27-08-2016
4.	वैष्णवी प्रा. उप. भंडार, मण्डलेश्वर, तह. महेश्वर	1513/05-05-2007	1073/27-08-2016

सर्व-साधारण की जानकारी के लिए यह सूचना प्रकाशित की जाती है कि उपरोक्त सहकारी संस्थाओं के विरुद्ध जो भी लेना/देना निकल रहा है वह इस विज्ञापित प्रकाशित होने के 2 माह (60 दिवस) के अन्दर अपने दावे, मय प्रमाण सहित संस्था के नाम के सम्मुख दर्शित परिसमापक को प्रस्तुत करें उक्त अवधि में प्रस्तुत न होने वाले दावे या स्वत्व के सम्बंध में बाद में कोई सुनवाई नहीं होगी तथा जो भी रिकार्ड उपलब्ध होगा उसके अनुसार कार्यवाही कर संस्थाओं के पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही हेतु प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को भेज दिया जावेगा।

यह भी प्रकाशित किया जाता है कि किन्हीं भी व्यक्तियों, संस्था सदस्यों, भूतपूर्व सदस्यों, पदाधिकारियों के पास इन संस्थाओं से सम्बंधित कोई लेखा पुस्तकें चल/अचल सम्पत्ति अन्य कोई सामान हो तो इस सूचना के प्रकाशन के 1 माह के अन्दर सम्बंधित परिसमापक को प्रस्तुत करें व रसीद प्राप्त करें. अवधि खत्म होने के पश्चात् किसी भी व्यक्ति के पास इन समितियों की उपरोक्त चीज होने की जानकारी मिली तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जावेगी. जिसका दायित्व उसका स्वयं का होगा.

यह सूचना आज दिनांक 27 अगस्त, 2016 को परिसमापक के हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी की गई.

कैलाश वास्करले,

(1126)

परिसमापक एवं वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक.

कार्यालय परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक, सहकारी संस्थाएं, जिला-डिण्डौरी

डिण्डौरी, दिनांक 20 मार्च, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम, 57 (सी/ग) के अन्तर्गत]

कार्यालय सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला डिण्डौरी के आदेश के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर 70(1) के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	परिसमापनाधीन समितियों के नाम	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	परिसमापन आदेश क्रमांक/दिनांक
1	2	3	4
1.	माँ नर्मदा सहयोग आपूर्ति सहकारी समिति मर्या., डिण्डौरी.	72/28-03-2014	361/11-07-2016
2.	हितकारिणी सहयोग आपूर्ति सहकारी समिति मर्या., डिण्डौरी.	71/28-03-2014	362/11-07-2016
3.	आदर्श सहयोग आपूर्ति सहकारी समिति मर्या., डिण्डौरी.	69/28-03-204	364/11-07-2016
4.	दुग्ध धारा दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., कनईसांगवा	27/20-02-2009	374/11-07-2016
5.	जाग्रति मत्स्य सहकारी समिति मर्या., बरगी	29/07-10-2009	377/11-07-2016
6.	जीवन सुधारो साख सहकारी समिति मर्या., जुनवानी	58/07-10-2009	593/24-12-2016

अतः मैं पी. सी. गवले, सहकारी निरीक्षक, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के नियम, 1962 के नियम-57 (सी/ग) के अंतर्गत दावेदारों/सर्वसाधारण की जानकारी के लिये सूचना प्रकाशित करता हूँ कि उपरोक्त संस्थाओं के विरुद्ध किसी भी सदस्य/व्यक्ति/संस्था का कोई लेना-देना शेष हो, तो वे इस विज्ञापित के प्रकाशित होने के दो माह के अंदर अपने दावों/आपत्ति प्रमाण सहित मुझे कार्यालय सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला डिण्डौरी में कार्यालयीन दिवसों में प्रस्तुत करें. उक्त अवधि में पेश न होने वाले दावों/आपत्ति या स्वत्व के संबंध में बाद में कोई सुनवाई नहीं होगी तथा जो भी रिकार्ड उपलब्ध होगा उसके अनुसार ही कार्यवाही की जाकर उपरोक्त संस्थाओं के पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही हेतु अंतिम प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जावेंगे.

यह भी सूचित किया जाता है कि किसी व्यक्ति/सदस्यों/भूतपूर्व पदाधिकारियों के पास उपरोक्त समितियों का कोई लेखा-पुस्तकें, रोकड़, चल-अचल सम्पत्तियां अथवा कोई भी सामान या रिकार्ड आदि हो तो इस सूचना के प्रकाशित होने के एक माह के अंदर मुझे प्रस्तुत करके रसीद प्राप्त करें. अन्यथा निश्चित अवधि व्यतीत होने के बाद किसी भी व्यक्ति के पास उपरोक्त समितियों का रिकार्ड होने की जानकारी मिलती है तो उसके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जावेगी, जिसका दायित्व उसका स्वयं का होगा.

यह सम्यक सूचना आज दिनांक 20 मार्च, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी की गई.

पी. सी. गवले,

(1125)

परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक.

कार्यालय परिसमापक एवं सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला हरदा

हरदा, दिनांक 23 मार्च, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अन्तर्गत]

कार्यालय सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला हरदा के द्वारा निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं को मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	संस्था का नाम एवं पता	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापन आदेश क्रमांक व दिनांक
1	2	3	4
1.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, खमगाँव	225/30-01-2015	696/13-07-2016
2.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, भादूगाँव	214/27-10-2014	696/13-07-2016
3.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, करताना	215/29-10-2014	696/13-07-2016
4.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, पिडगाँव	228/11-02-2015	696/13-07-2016
5.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, सोनखेड़ी	221/28-01-2015	696/13-07-2016
6.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, मंझली	222/28-01-2015	696/13-07-2016
7.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, कुसिया	227/11-02-2015	696/13-07-2016
8.	मजदूर श्रम ठेका कल्याण सह. समिति मर्या., हरदा	207/25-03-2014	696/13-07-2016
9.	तिलहन उत्पादक सह. संस्था मर्या., मगरधा	2261/10-09-1987	30/13-01-2017
10.	तिलहन उत्पादक सह. संस्था मर्या., चौकड़ी	2268/10-09-1987	30/13-01-2017
11.	तिलहन उत्पादक सह. संस्था मर्या., खेड़ा	2260/10-09-1987	30/13-01-2017
12.	आदर्श सामूहिक कृषि सह. संस्था मर्या., पड़वा	1712/01-07-1963	30/13-01-2017

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 (ग) के अन्तर्गत उक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना के प्रकाशन दिनांक से 02 माह के अंदर मय प्रमाण के यदि हों तो मुझे लिखित रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं. त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि 02 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखा-पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जायेंगे.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 23 मार्च, 2017 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

आर. के. जैन,

परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक.

(1127)

कार्यालय परिसमापक एवं सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला हरदा

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अन्तर्गत]

कार्यालय सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला हरदा के द्वारा निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं को मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	संस्था का नाम एवं पता	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापन आदेश क्रमांक व दिनांक
1	2	3	4
1.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, अवगांवकलां	2695/24-05-1999	696/13-07-2016
2.	सिद्धि विनायक स. स. मर्या., अत्तरसमा.	209/19-05-2014	696/13-07-2016
3.	आदर्श महिला बहुउद्देशीय स. स. मर्यादित, हरदा	88/09-04-2003	696/13-07-2016
4.	कालिया सोत तरबूज-खरबूज स. स. मर्यादित, बघवाड़	232/31-3-2015	696/13-07-2016
5.	गजाश्वर तरबूज-खरबूज एवं फलोत्पादक स. स. मर्यादित, घिदगांव मेल.	233/31-03-2015	696/13-07-2016

1	2	3	4
6.	रेवा तरबूज-खरबूज एवं फलोत्पादक स. स. मर्यादित, घीपानेर	231/31-03-2015	696/13-07-2016
7.	नर्मदा शक्ति तरबूज-खरबूज एवं फलोत्पादक स. स. मर्या., हन्डिया	230/26-03-2015	696/13-07-2016
8.	वसुन्धरा क्रय-विक्रय स. स. मर्या., टिमरनी	212/29-09-2014	696/13-07-2016
9.	दुग्ध उत्पा. स. स. मर्या., गोगिया	2693/24-05-1999	30/13-01-2017
10.	आदिवासी सामूहिक कृषि स. स. मर्या., मोरगड़ी	1704/23-01-1964	30/13-01-2017
11.	तिलहन उत्पा. स. स. मर्या., बालागांव	2263/10-09-1987	30/13-01-2017
12.	तिलहन उत्पा. स. स. मर्या., मसनगांव	2224/27-10-1983	30/13-01-2017

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 (ग) के अन्तर्गत उक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना के प्रकाशन दिनांक से 02 माह के अंदर मय प्रमाण के यदि हों, तो मुझे लिखित रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं. त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि 02 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखा-पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जायेंगे.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 23 मार्च, 2017 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1127-A)

बी. के. तिवारी,

परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक.

कार्यालय परिसमापक एवं सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला हरदा

हरदा, दिनांक 22 मार्च, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अन्तर्गत]

कार्यालय सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला हरदा के द्वारा निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं को मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	संस्था का नाम एवं पता	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापन आदेश क्रमांक व दिनांक
1	2	3	4
1.	काजल महिला बहु. सहकारिता मर्या., खांग, तह. रहटगांव, जिला हरदा.	115/28-03-2002	551/06-08-2014
2.	श्री नर्मदा यातायात उत्पा. सहकारिता मर्या., हरदा, जिला हरदा	02/11-03-2002	551/06-08-2014
3.	मधुवन बीज उत्पा. सह. मर्या., चौकड़ी, तह. टिमरनी, जि. हरदा	16/31-07-2002	551/06-08-2014
4.	जय श्री बलराम बीज उत्पा. सह. मर्या., जिनवान्या, तह. खिरकिया, जि. हरदा.	17/12-08-2002	551/06-08-2014
5.	रेवा यातायात सहकारिता मर्या., टिमरनी, जि. हरदा	22/11-10-2002	551/06-08-2014
6.	श्री दयाल महिला साख सह. मर्या., राजाहारारी, तह. रहटगांव जि. हरदा.	40/08-07-2003	551/06-08-2014
7.	अजनाल महिला साख सहकारिता मर्या., नजरपुरा, तह. रहटगांव जिला हरदा.	42/17-09-2003	551/06-08-2014
8.	प्रगति पोषण आहार सहकारिता मर्या., पोखरनी, तहसील टिमरनी, जि. हरदा.	81/15-03-2005	551/06-08-2014
9.	जय बलराम बीज उत्पा. क्र. वि. सहकारिता मर्या., दीपगांवखुर्द, तहसील खिरकिया, जि. हरदा.	101/15-07-2009	551/06-08-2014
10.	श्री साईं बीज उत्पा. सहकारिता मर्या., बालागांव, तह. हरदा, जिला हरदा.	106/19-03-2010	551/06-08-2014

1	2	3	4
11.	महालक्ष्मी बीज उत्पा. सह. पिंडगांव, तह. हरदा, जि. हरदा	107/16-04-2010	551/06-08-2014
12.	महिला बड़ी-पापड़ उद्योग सह. सं. मर्या., रेलवा, तह. हदा जि. हरदा.	108/10-08-2004	1034/26-11-2014
13.	तिलहन उत्पा. सह. सं. मर्या., दूधकच्छ, तह. टिमरनी, जि. हरदा.	2205/23-05-1983	1034/26-11-2014
14.	तिलहन उत्पा. सह. सं. मर्या., आलमपुर, तह. टिमरनी, जि. हरदा.	2218/10-10-1983	1034/26-11-2014
15.	दुग्ध उत्पा. सहकारी सं. मर्या., धनगांव, तह. हदा, जि. हरदा	150/08-08-2008	454/16-03-2012
16.	दुग्ध उत्पा. सह. सं. मर्या., सामरधा, तह. टिमरनी, जि. हरदा	2155/22-01-1983	453/16-03-2012
17.	दुग्ध उत्पा. सह. सं. मर्या., बड़ागांव, तह. हरदा, जि. हरदा	154/28-08-2008	452/16-03-2012

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 (ग) के अन्तर्गत उक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना के प्रकाशन दिनांक से 02 माह के अंदर मय प्रमाण के यदि हो, तो मुझे लिखित रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे। यदि 02 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखा-पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जायेंगे।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 22 मार्च, 2017 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(1127-B)

कंचन बाला सोनी,
परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक.

कार्यालय परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक, सहकारी संस्थाएं, जिला मुरैना

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 नियम 1962 के नियम-57 (ग) के अन्तर्गत]

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित सहकारी समितियों जिनका पंजीयन क्र. व दिनांक निम्नानुसार है को उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला मुरैना द्वारा पूर्व आदेशों द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत विभाग के अधीन कर्मचारियों को परिसमापक नियुक्त किया गया है।

कार्यालया उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला मुरैना के आदेश क्र./परिसमापन/2016/2428, मुरैना, दिनांक 30 दिसम्बर, 2016 से पूर्व आदेशों में आंशिक संशोधन करते हुये मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	सहकारी संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक व दिनांक
1	2	3
1.	ईट-भट्टा उद्योग सहकारी संस्था मर्या., मुखियाखेडा	247/02-03-1997
2.	संजय बेरोजगार सहकारी संस्था, मुरैना	550/15-01-1997
3.	संजय गांधी गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., मुरैना	51/05-11-1982
4.	काष्ट कला उद्योग सह. संस्था रामनगर	43/01-10-1980
5.	फर्नीचर उद्योग सहकारी संस्था मर्या., मुरैना	240/15-02-1991
6.	प्राथमिक स्वामी परिवार कल्याण सहकारी संस्था मर्या., मुरैना	973/30-08-1994
7.	आदर्श पोषाक निर्माण सहकारी संस्था मर्या., मुरैना	471/25-11-1980
8.	मयूर वन साग-सब्जी उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., मुरैना	1969/11-05-1994
9.	किसान साग-सब्जी उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., मुरैना	1053/11-07-1996
10.	महावीर साग-सब्जी उत्पा. सहकारी संस्था मर्या., हांसई	1036/21-08-1996
11.	स्वामी साग-भाजी उत्पा. सहकारी संस्था लालौर	1050/11-07-1996

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 नियम 1962, के नियम-57 के अंतर्गत उक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से दो माह के अंदर मय प्रमाण के यदि कोई हो, तो मुझे लिखित रूप में प्रस्तुत करें। त्रुटि की दशा में सदस्यगण, साहूकार किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने

के दायित्वाहीन होंगे. यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा. साथ ही संस्था के कर्मचारियों, पूर्व पदाधिकारियों तथा सदस्यों को यह भी सूचित किया जाता है कि उनके पास संस्था का कोई भी रिकार्ड, नगदी एवं अन्य सामान जो भी हो इस अवधि में मुझे कार्यालयीन समय में कार्यालय उपायुक्त सहकारिता, जिला मुरैना में प्रस्तुत करें. अन्यथा की स्थिति में संस्था की लेखा-पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्वा स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये समझे जावेंगे. यदि आवश्यक हुआ तो कार्यवाही भी की जावेगी.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 8 मार्च, 2017 को मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया.

सीमा सोनी,

(1128)

सहकारी निरीक्षक एवं परिसमापक.

कार्यालय, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला शिवपुरी

शिवपुरी, दिनांक 23 मार्च, 2017

क्र./परि./2017/880.—निम्नांकित सूची के कॉलम नम्बर 2 में दर्शित एवं कॉलम नम्बर 3 के पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक वाली सहकारी समिति को (जिसे आगे समिति कहा गया है) मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाते हुये धारा-70(1) के अन्तर्गत कॉलम नम्बर 5 में दर्शित अधिकारी/कर्मचारियों को कॉलम नम्बर 4 में दर्शित आदेश क्रमांक एवं दिनांक से परिसमापक नियुक्त किया गया था:-

क्र.	नाम परिसमापन समिति	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	परिसमापक कि नियुक्ति आदेश क्रमांक/दिनांक	परिसमापक का नाम व पद
1	2	3	4	5
1.	महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्यादित, कलोथरा, तहसील शिवपुरी.	651/01-12-2015	2065/26-10-2016	श्री आर. एन. गुप्ता, सहकारी निरीक्षक.

चूँकि कॉलम नम्बर 2 में दर्शित समिति के कॉलम नम्बर 5 में उल्लेखित परिसमापक ने समिति की आस्तियों एवं दायित्वों का निराकरण कर पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की है. परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के अवलोकन से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि समिति का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा.

अतएव मैं, एस. के. सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी समितियाँ, शिवपुरी, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 25 जुलाई, 1999 से मुझे प्रत्यावर्तित रजिस्ट्रार की शक्तियों का अनुप्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के अन्तर्गत उपरोक्त सूची में वर्णित समिति का पंजीयन निरस्त करता हूँ अब समिति का निगमित निकाय के रूप में अस्तित्व समाप्त हो गया है.

यह आदेश आज दिनांक 23 मार्च, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुहर सहित जारी किया गया.

(1129)

शिवपुरी, दिनांक 23 मार्च, 2017

क्र./परि./2017/881.—निम्नांकित सूची के कॉलम नम्बर 2 में दर्शित एवं कॉलम नम्बर 3 के पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक वाली सहकारी समिति को (जिसे आगे समिति कहा गया है) मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाते हुये धारा-70(1) के अन्तर्गत कॉलम नम्बर 5 में दर्शित अधिकारी/कर्मचारियों को कॉलम नम्बर 4 में दर्शित आदेश क्रमांक एवं दिनांक से परिसमापक नियुक्त किया गया था:-

क्र.	नाम परिसमापन समिति	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	परिसमापक कि नियुक्ति आदेश क्रमांक/दिनांक	परिसमापक का नाम व पद
1	2	3	4	5
1.	महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्यादित, ईमलिया, तहसील शिवपुरी.	649/01-12-2015	2070/26-10-2016	श्री आर. एन. गुप्ता, सहकारी निरीक्षक.

चूँकि कॉलम नम्बर 2 में दर्शित समिति के कॉलम नम्बर 5 में उल्लेखित परिसमापक ने समिति की आस्तियों एवं दायित्वों का निराकरण कर पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की है. परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के अवलोकन से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि समिति का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा.

अतएव मैं, एस. के. सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, शिवपुरी, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 25 जुलाई, 1999 से मुझे प्रत्यावर्तित रजिस्ट्रार की शक्तियों का अनुप्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के अन्तर्गत उपरोक्त सूची में वर्णित समिति का पंजीयन निरस्त करता हूँ अब समिति का निगमित निकाय के रूप में अस्तित्व समाप्त हो गया है।

यह आदेश आज दिनांक 23 मार्च, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुहर सहित जारी किया गया।

(1129-A)

शिवपुरी, दिनांक 23 मार्च, 2017

क्र./परि./2017/876.—निम्नांकित सूची के कॉलम नम्बर 2 में दर्शित एवं कॉलम नम्बर 3 के पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक वाली सहकारी समिति को (जिसे आगे समिति कहा गया है) मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाते हुये धारा-70(1) के अन्तर्गत कॉलम नम्बर 5 में दर्शित अधिकारी/कर्मचारियों को कॉलम नम्बर 4 में दर्शित आदेश क्रमांक एवं दिनांक से परिसमापक नियुक्त किया गया था:-

क्र.	नाम परिसमापन समिति	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	परिसमापक कि नियुक्ति आदेश क्रमांक/दिनांक	परिसमापक का नाम व पद
1	2	3	4	5
1.	महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्यादित, दरौनी, जिला शिवपुरी.	519/26-11-2005	1876/16-12-2013	श्री उमेश जैन, सहकारी निरीक्षक.

चूँकि कॉलम नम्बर 2 में दर्शित समिति के कॉलम नम्बर 5 में उल्लेखित परिसमापक ने समिति की आस्तियों एवं दायित्वों का निराकरण कर पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की है। परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के अवलोकन से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि समिति का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा।

अतएव मैं, एस. के. सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, शिवपुरी, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 25 जुलाई, 1999 से मुझे प्रत्यावर्तित रजिस्ट्रार की शक्तियों का अनुप्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के अन्तर्गत उपरोक्त सूची में वर्णित समिति का पंजीयन निरस्त करता हूँ अब समिति का निगमित निकाय के रूप में अस्तित्व समाप्त हो गया है।

यह आदेश आज दिनांक 23 मार्च, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुहर सहित जारी किया गया।

एस. के. सिंह,
उप-रजिस्ट्रार.

(1129-B)

कार्यालय उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, नरसिंहपुर

नरसिंहपुर, दिनांक 13 फरवरी, 2017

क्र./परि./16-17/283.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि./2009-10/719, दिनांक 18 अगस्त, 2009 नरसिंहपुर द्वारा नवयुग वनौषधि उत्पादन एवं अनुसंधान सहकारी समिति मर्यादित, करेली प. क्र. 564, दिनांक 28 अक्टूबर, 1997 तहसील करेली, जिला नरसिंहपुर को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70(1) के तहत श्री डी. के. गुप्ता, सहकारिता विस्तार अधिकारी, जनपद पंचायत करेली, जिला नरसिंहपुर को परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा उक्त संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही निम्नानुसार सम्पन्न करते हुये अंतिम प्रतिवेदन मेरे समक्ष प्रस्तुत किया गया। अंतिम प्रतिवेदन का अवलोकन करने पर पाया गया कि परिसमापक द्वारा संस्था की बैलेन्स शीट में देनदारी/लेनदारी निरंक दर्शाई गई है तथा संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा अपने प्रतिवेदन में की गई है। परिसमापक द्वारा की गई कार्यवाही से, मैं इस निष्कर्ष पर पहुँची हूँ कि संस्था की लेनदारी एवं देनदारी का निपटारा हो जाने तथा अंतिम प्रतिवेदन में लेनदारी एवं देनदारी शून्य होने से संस्था का अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। अतः संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, शकुन्तला ठाकुर, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, नरसिंहपुर मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग मंत्रालय, भोपाल की अधिसूचना क्र. एफ-5-2-10-15-1-बी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के तहत नवयुग वनौषधि उत्पादन एवं अनुसंधान सहकारी समिति मर्यादित, करेली प. क्र. 564, दिनांक 28 अक्टूबर, 1997 जिला नरसिंहपुर का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था का निगमित-निकाय बॉडी-कार्पोरेट समाप्त करती हूँ।

आज दिनांक 13 फरवरी, 2017 को कार्यालयीन पदमुद्रा मेरे हस्ताक्षर एवं से जारी किया गया।

(1130)

नरसिंहपुर, दिनांक 23 फरवरी, 2017

क्र./परि./16-17/404.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि./2017/66, दिनांक 12 जनवरी, 2017 नरसिंहपुर द्वारा कर्मचारी साख कल्याण सहकारी समिति मर्यादित, नरसिंहपुर प. क्र. 466, दिनांक 15 जनवरी, 1996 तहसील नरसिंहपुर जिला नरसिंहपुर को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70(1) के तहत श्रीमति त्रिवेणी साहू, सहकारिता विस्तार अधिकारी, जनपद पंचायत नरसिंहपुर, जिला नरसिंहपुर को परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा उक्त संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही निम्नानुसार सम्पन्न करते हुये अंतिम प्रतिवेदन मेरे समक्ष प्रस्तुत किया गया। अंतिम प्रतिवेदन का अवलोकन करने पर पाया गया कि परिसमापक द्वारा संस्था की बैलेन्स शीट में देनदारी/लेनदारी निरंक दर्शाई गई है तथा संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा अपने प्रतिवेदन में की गई है। परिसमापक द्वारा की गई कार्यवाही से, मैं इस निष्कर्ष पर पहुंची हूँ कि संस्था की लेनदारी एवं देनदारी का निपटारा हो जाने तथा अंतिम प्रतिवेदन में लेनदारी एवं देनदारी शून्य होने से संस्था का अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। अतः संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, शकुन्तला ठाकुर, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, नरसिंहपुर मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग मंत्रालय, भोपाल की अधिसूचना क्र. एफ-5-2-10-15-1-बी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा-18(1) के तहत कर्मचारी साख कल्याण सहकारी समिति मर्यादित, नरसिंहपुर प. क्र. 466, दिनांक 15 जनवरी, 1996 जिला नरसिंहपुर का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था का निगमित-निकाय बॉडी-कार्पोरेट समाप्त करती हूँ।

आज दिनांक 23 फरवरी, 2017 को कार्यालयीन पदमुद्रा एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया।

(1144)

नरसिंहपुर, दिनांक 23 फरवरी, 2017

क्र./परि./16-17/405.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि./2017/66, दिनांक 12 जनवरी, 2017 नरसिंहपुर द्वारा तिलहन उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, धुबघट प. क्र. 338, दिनांक 22 नवम्बर, 1988 तहसील नरसिंहपुर जिला नरसिंहपुर को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70(1) के तहत श्रीमति त्रिवेणी साहू, सहकारिता विस्तार अधिकारी, जनपद पंचायत नरसिंहपुर, जिला नरसिंहपुर को परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा उक्त संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही निम्नानुसार सम्पन्न करते हुये अंतिम प्रतिवेदन मेरे समक्ष प्रस्तुत किया गया। अंतिम प्रतिवेदन का अवलोकन करने पर पाया गया कि परिसमापक द्वारा संस्था की बैलेन्स शीट में देनदारी/लेनदारी निरंक दर्शाई गई है तथा संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा अपने प्रतिवेदन में की गई है। परिसमापक द्वारा की गई कार्यवाही से, मैं इस निष्कर्ष पर पहुंची हूँ कि संस्था की लेनदारी एवं देनदारी का निपटारा हो जाने तथा अंतिम प्रतिवेदन में लेनदारी एवं देनदारी शून्य होने से संस्था का अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। अतः संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, शकुन्तला ठाकुर, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, नरसिंहपुर मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग मंत्रालय, भोपाल की अधिसूचना क्र. एफ-5-2-10-15-1-बी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के तहत तिलहन उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, धुबघट प. क्र. 338, दिनांक 22 नवम्बर, 1988 जिला नरसिंहपुर का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था का निगमित-निकाय बॉडी-कार्पोरेट समाप्त करती हूँ।

आज दिनांक 23 फरवरी, 2017 को कार्यालयीन पदमुद्रा एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया।

(1144-A)

नरसिंहपुर, दिनांक 22 मार्च, 2017

क्र./परि./16-17/551.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि./2017/66, दिनांक 12 जनवरी, 2017 नरसिंहपुर द्वारा तिलहन उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, लौकीपार प. क्र. 306, दिनांक 09 नवम्बर, 1987 तहसील नरसिंहपुर, जिला नरसिंहपुर को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70(1) के तहत श्रीमति त्रिवेणी साहू, सहकारिता विस्तार अधिकारी, जनपद पंचायत नरसिंहपुर, जिला नरसिंहपुर को परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा उक्त संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही निम्नानुसार सम्पन्न करते हुये अंतिम प्रतिवेदन मेरे समक्ष प्रस्तुत किया गया। अंतिम प्रतिवेदन का अवलोकन करने पर पाया गया कि परिसमापक द्वारा संस्था की बैलेन्स शीट में देनदारी/लेनदारी निरंक दर्शाई गई है तथा संस्था

के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा अपने प्रतिवेदन में की गई है। परिसमापक द्वारा की गई कार्यवाही से, मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा/पहुंची हूँ कि संस्था की लेनदारी एवं देनदारी का निपटारा हो जाने तथा अंतिम प्रतिवेदन में लेनदारी एवं देनदारी शून्य होने से संस्था का अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। अतः संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, शकुन्तला ठाकुर, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, नरसिंहपुर मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग मंत्रालय, भोपाल की अधिसूचना क्र. एफ5-2-10-15-1-बी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा-18(1) के तहत तिलहन उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, लौकीपार प. क्र. 306, दिनांक 09 नवम्बर, 1987 जिला नरसिंहपुर का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था का निगमित-निकाय बॉडी-कार्पोरेट समाप्त करती हूँ।

आज दिनांक 22 मार्च, 2017 को कार्यालयीन पदमुद्रा एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया।

(1144-B)

नरसिंहपुर, दिनांक 22 मार्च, 2017

क्र./परि./16-17/552.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि./2017/66, दिनांक 12 जनवरी, 2017 द्वारा तिलहन उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, धमना प. क्र. 299, दिनांक 09 नवम्बर, 1987 तहसील नरसिंहपुर, जिला नरसिंहपुर को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70(1) के तहत श्रीमति त्रिवेणी साहू, सहकारिता विस्तार अधिकारी, जनपद पंचायत नरसिंहपुर, जिला नरसिंहपुर को परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा उक्त संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही निम्नानुसार सम्पन्न करते हुये अंतिम प्रतिवेदन मेरे समक्ष प्रस्तुत किया गया। अंतिम प्रतिवेदन का अवलोकन करने पर पाया गया कि परिसमापक द्वारा संस्था की बैलेन्स शीट में देनदारी/लेनदारी निरंक दर्शाई गई है तथा संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा अपने प्रतिवेदन में की गई है। परिसमापक द्वारा की गई कार्यवाही से, मैं इस निष्कर्ष पर पहुंची हूँ कि संस्था की लेनदारी एवं देनदारी का निपटारा हो जाने तथा अंतिम प्रतिवेदन में लेनदारी एवं देनदारी शून्य होने से संस्था का अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। अतः संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, शकुन्तला ठाकुर, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, नरसिंहपुर मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग मंत्रालय, भोपाल की अधिसूचना क्र. एफ-5-2-10-15-1-बी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के तहत तिलहन उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, धमना प. क्र. 299, दिनांक 09 नवम्बर, 1987 जिला नरसिंहपुर का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था का निगमित-निकाय बॉडी-कार्पोरेट समाप्त करती हूँ।

आज दिनांक 22 मार्च, 2017 को कार्यालयीन पदमुद्रा एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया।

शकुन्तला ठाकुर,
उप-रजिस्ट्रार.

(1144-C)

कार्यालय सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं डिण्डौरी

डिण्डौरी, दिनांक 24 दिसम्बर, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) एवं 70(1) के अंतर्गत]

क्र./सपडि/परि/2016/593.—जीवन सुधारवाो साख सहकारी समिति मर्या., जुनवानी पंजीयन क्रमांक 58, दिनांक 14 मार्च, 2014 के गत वर्षों से अकार्यशील रहने समयावधि के अंदर सदस्यता एवं हिस्सा राशि की वृद्धि न करने तथा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, एवं संस्था की उपविधियों के प्रावधानों के अनुरूप कार्य न किये जाने तथा संस्था के हित में सदस्यों की रुचि परिलक्षित न होने से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के अंतर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारिता, जिला डिण्डौरी द्वारा संस्था के उपविधि के प्रावधानानुसार अंकेक्षण आक्षेपों का पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किये जाने, संस्था की पंजीकृत उपविधियों के अनुरूप कार्य न करने तथा संस्था एवं सदस्यों के हित में कार्य करने में रुचि न होने आदि से उक्त संस्था को परिसमापन में लाये जाने की सिफारिश की गई है। उपरोक्त कारणों से कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परि./2016/....., दिनांक 08 फरवरी, 2016 द्वारा संस्था को कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर 15 दिवस के भीतर उत्तर चाहा गया था। परन्तु संस्था द्वारा नियत अवधि में कोई उत्तर नहीं दिया गया।

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः समिति द्वारा उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है कि इस संस्था का भविष्य में कार्यशील होने की कोई संभावना नहीं है। तथा समिति के सदस्यों की संस्था के कार्य संचालन में रुचि नहीं है। अतः मेरे मत से इस संस्था को परिसमापन में लाना आवश्यक हो गया है।

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक सहकारी समितियां मध्यप्रदेश भोपाल की शक्तियां जो मुझमें वेष्टित हैं, का प्रयोग करते हुए मैं जी. पी. काण्डा, सहायक पंजीयक

सहकारी समितियां, डिण्डौरी उपरोक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अंतर्गत जीवन सुधारवो साख सहकारी समिति मर्या., जुनवानी, विकासखण्ड अमरपुर, पंजीयन क्रमांक 58, दिनांक 14 मार्च, 2014 को परिसमापन में लाता कहुँ तथा इस समिति की अस्तियों के निराकरण हेतु अधिनियम की धारा-70(1) के अंतर्गत श्री पी. सी. गवले सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ साथ ही यह भी आदेशित करता हूँ कि धारा-71 के अंतर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाहियां पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन आदेश जारी होने के दिनांक से 3 माह के भीतर कार्यालय में प्रस्तुत करें.

आज दिनांक 24 दिसम्बर, 2016 को कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

जी. पी. काण्डा,
सहायक पंजीयक.

(1131)

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला झाबुआ

झाबुआ, दिनांक 09 फरवरी, 2017

क्र./परि./2017/145.-दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, अगराल, तहसील मेघनगर, जिला झाबुआ, पंजीयन क्रमांक 454, दिनांक 28 फरवरी, 1978 को कार्यालयीन आदेश क्र./परि./269, दिनांक 03 जुलाई, 2015 से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(1) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया गया था.

परिसमापन से प्राप्त अंतिम प्रतिवेदन से प्रतीत हुआ है कि उक्त संस्था का लेन-देन शेष नहीं है.

अतः मैं, जी. एल. बडोलें, उप-पंजीयक सहकारी संस्थाएं, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के अन्तर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग, भोपाल की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99 पन्द्रह-1सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ. उक्त संस्था का अस्तित्व आज दिनांक 09 फरवरी, 2017 से निर्गमित निकाय के रूप से नहीं रहेगा.

यह आदेश आज दिनांक 09 फरवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

जी. एल. बडोलें,
उप-पंजीयक

(1132)

कार्यालय उप-रजिस्ट्रार सहकारी सोसाइटियां, जिला सागर

सागर, दिनांक 22 मार्च, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2017/526.—फल एवं साग-सब्जी सहकारी समिति मर्या., चन्दोख, विकासखण्ड बण्डा, जिला सागर (म.प्र.) जिसका पंजीयन क्रमांक 776, दिनांक 25 जून, 2001 है. कार्यालयीन आदेश क्र./विधि/2878, दिनांक 12 सितम्बर, 2011 के द्वारा परिसमापन में लाया गया था. परिसमापक श्री आर. जे. खरे, सहकारी निरीक्षक/सहकारिता विस्तार अधिकारी, बण्डा, जिला सागर द्वारा विधिवत कार्यवाही कर संस्था की लेनदारी व देनदारी समाप्त की जाकर संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशांसा सहित अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के आधार पर उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, पी. आर. कावड़कर, उप-रजिस्ट्रार सहकारी सोसाइटियां, सागर (म.प्र.) सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये फल एवं साग-सब्जी सहकारी समिति मर्या., चन्दोख, विकासखण्ड बण्डा, जिला सागर (म.प्र.) जिसका पंजीयन क्रमांक 776, दिनांक 25 जून, 2001 का पंजीयन निरस्त करते हुये उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी-कारपोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 22 मार्च, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1133)

कार्यालय उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर

सागर, दिनांक 22 मार्च, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (4) के अंतर्गत]

क्र./परि./2017/523.-मध्यप्रदेश पुलिस साख सहकारी समिति मर्या., 10 वीं वाहिनी विशेष शस्त्र बल, सागर, वि. ख. सागर, जिला सागर पंजीयन क्र. 767, दिनांक 02 सितम्बर, 2000 को कार्यालयीन आदेश/क्र./परिसमापन/2016/804, दिनांक 11 मार्च, 2016 के द्वारा मध्यप्रदेश

सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर सहकारिता विस्तार अधिकारी, सागर को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था. संस्था के सदस्यों की मांग एवं संस्था की विशेष आमसभा दिनांक 16 अक्टूबर, 2016 में संस्था को पुनर्जीवित करने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया. परिसमापक द्वारा संस्था को पुनर्जीवित करने की अनुशंसा करते हुये प्रस्ताव इस कार्यालय को प्रस्तुत किया गया. पारित प्रस्ताव एवं परिसमापक की अनुशंसा के आधार पर संस्था व उसके सदस्यों के हित में संस्था को पुनर्जीवित किया जाना आवश्यक हो जाता है.

अतः मैं, पी. आर. कावड़कर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (4) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. 5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कार्यालयीन आदेश/क्र./परिसमापन/2016/804, दिनांक 11 मार्च, 2016 के द्वारा जारी परिसमापन आदेश निरस्त करते हुये मध्यप्रदेश पुलिस साख सहकारी समिति मर्या., 10 वीं वाहिनी विशेष शस्त्र बल सागर वि. ख. सागर, जिला सागर पंजीयन क्र. 767, दिनांक 02 सितम्बर, 2000 को पुनर्जीवित करता हूँ. साथ ही संस्था के कार्य संचालन हेतु निम्नानुसार सदस्यों की अस्थायी कमेटी का गठन तीन माह के लिये करता हूँ:-

क्र.	नाम	पिता/पति का नाम	पदनाम	क्र.	नाम	पिता/पति का नाम	पदनाम
1.	श्री एस. के. जैन		अध्यक्ष	7.	श्री सुखलाल सेन उप. निरी.		सदस्य
2.	श्री आई. एस. परस्ते सह. सेनानी		उपाध्यक्ष	8.	श्री अनीमा टोप्यो सउनि		सदस्य
3.	श्री रवीन्द्र साहू निरी.		सदस्य	9.	श्री पवन कुमार जैन प्र. आ.		सदस्य
4.	श्री रमेश पंत एमटीओ		सदस्य	10.	श्री लाखन सिंह प्र. अ. आर		सदस्य
5.	श्री रघुवीर प्रसाद उप निरी.		सदस्य	11.	श्री इंदर सिंह ट्रे आ.		सदस्य
6.	श्री जफरउल्ला खान आफिस		सदस्य				

संस्था का निर्वाचन 03 माह के अंदर करवाकर नव निर्वाचित कमेटी को कार्यभार सौंपा जावे.

यह आदेश आज दिनांक 22 मार्च, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1135)

सागर, दिनांक 22 मार्च, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (4) के अंतर्गत]

क्र./परि./2017/524.-भाग्योदय बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., पिठोरिया वि. ख. मालथोन, जिला सागर पंजीयन क्र. 1473, दिनांक 04 मार्च, 2014 को कार्यालयीन आदेश/क्र./परिसमापन/2016/911, दिनांक 11 मार्च, 2016 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर सहकारिता विस्तार अधिकारी, मालथोन को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था. संस्था के सदस्यों की मांग एवं संस्था की विशेष आमसभा दिनांक 16 अक्टूबर, 2016 में संस्था को पुनर्जीवित करने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया. परिसमापक द्वारा संस्था को पुनर्जीवित करने की अनुशंसा करते हुये प्रस्ताव इस कार्यालय को प्रस्तुत किया गया. पारित प्रस्ताव एवं परिसमापक की अनुशंसा के आधार पर संस्था व उसके सदस्यों के हित में संस्था को पुनर्जीवित किया जाना आवश्यक हो जाता है.

अतः मैं, पी. आर. कावड़कर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (4) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. 5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कार्यालयीन आदेश/क्र./परिसमापन/2016/911, दिनांक 27 जनवरी, 2017 के द्वारा जारी परिसमापन आदेश निरस्त करते हुये भाग्योदय बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., पिठोरिया वि. ख. मालथोन, जिला सागर पंजीयन क्र. 1473, दिनांक 04 मार्च, 2014 को पुनर्जीवित करता हूँ. साथ ही संस्था के कार्य संचालन हेतु निम्नानुसार सदस्यों की अस्थायी कमेटी का गठन तीन माह के लिये करता हूँ:-

क्र.	नाम	पिता/पति का नाम	पदनाम	क्र.	नाम	पिता/पति का नाम	पदनाम
1.	श्री मनोज कुमार	श्री गोपीलाल साहू	अध्यक्ष	3.	श्री मोहम्मद अयूब खां मो. शफी		सदस्य
2.	श्रीमती मीना बाई	श्री महेन्द्र मिश्रा	उपाध्यक्ष	4.	श्री महेश प्रसाद	श्री बाबूलाल	सदस्य
					श्रीवास्तव		

क्र.	नाम	पिता/पति का नाम	पदनाम	क्र.	नाम	पिता/पति का नाम	पदनाम
5.	श्री हरनामसिंह	श्री देव सिंह	सदस्य	9.	श्री कुन्दन लाल साहू	श्री गनपत	सदस्य
6.	श्री प्रहलाद सिंह	श्री शंकर लाल	सदस्य	10.	श्री पुरुषोत्तम साहू	श्री तुलसीराम	सदस्य
7.	श्री परमानन्द साहू	श्री हरप्रसाद	सदस्य	11.	श्री देव सिंह पटेल	श्री मेगो	सदस्य
8.	श्रीमती गुलाब बाई		सदस्य				

संस्था का निर्वाचन 03 माह के अंदर करवाकर नव निर्वाचित कमेटी को कार्यभार सौंपा जावे.

यह आदेश आज दिनांक 22 मार्च, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1135-A)

सागर, दिनांक 22 मार्च, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2017/525.—महावीर कृषक कल्याण सहकारी समिति मर्या., जमुनिया, विकासखण्ड बण्डा, जिला सागर (म.प्र.) जिसका पंजीयन क्रमांक 1106, दिनांक 05 मई, 2004 है. कार्यालयीन आदेश क्र./विधि/2835, दिनांक 12 सितम्बर, 2011 के द्वारा परिसमापन में लाया गया था. परिसमापक श्री आर. जे. खरे, सहकारी निरीक्षक/सहकारिता विस्तार अधिकारी बण्डा, जिला सागर द्वारा विधिवत कार्यवाही कर संस्था की लेनदारी व देनदारी समाप्त की जाकर संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा सहित अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के आधार पर उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, पी. आर. कावड़कर, उप-रजिस्ट्रार सहकारी सोसाइटियां, सागर (म.प्र.) सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये महावीर कृषक कल्याण सहकारी समिति मर्या., जमुनिया, विकासखण्ड बण्डा, जिला सागर (म.प्र.) जिसका पंजीयन क्रमांक 1106, दिनांक 05 मई, 2004 का पंजीयन निरस्त करते हुये उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी-कारपोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 22 मार्च, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

पी. आर. कावड़कर,
उप-रजिस्ट्रार.

(1135-B)

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

कार्यालयीन आदेश क्रमांक 2052, दिनांक 17 सितम्बर, 2010 द्वारा सत्यम सेवा महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., पीपल, जिसका पंजीयन क्रमांक 30, दिनांक 22 अप्रैल, 2003 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री आर. एस. मेहर, स. नि. को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की लेनदारी एवं देनदारी संबंधी सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 14 मार्च, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1134)

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

कार्यालयीन आदेश क्रमांक 330, दिनांक 05 फरवरी, 2016 द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., गावड़ी, जिसका पंजीयन क्रमांक 1506, दिनांक 03 मई, 1999 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री एन. के. अड़ानिया, उप-अंकेशक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की लेनदारी एवं देनदारी संबंधी सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 14 मार्च, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(1134-A)

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

कार्यालयीन आदेश क्रमांक 519, दिनांक 01 मार्च, 2013 द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., नलवा, जिसका पंजीयन क्रमांक 409, दिनांक 27 नवम्बर, 1976 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री सुरेन्द्र मालवीय, सह. निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा संस्था की लेनदारी एवं देनदारी संबंधी सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 14 मार्च, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(1134-B)

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

कार्यालयीन आदेश क्रमांक 2816, दिनांक 03 अगस्त, 2015 द्वारा कल्याण बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., उज्जैन, जिसका पंजीयन क्रमांक 145, दिनांक 22 जुलाई, 2011 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री एस. एन. मेहता, सह. नि. को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा संस्था की लेनदारी एवं देनदारी संबंधी सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 14 मार्च, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(1134-C)

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

कार्यालयीन आदेश क्रमांक 478, दिनांक 27 फरवरी, 2013 द्वारा तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., घोसला, जिसका पंजीयन क्रमांक 571, दिनांक 19 अक्टूबर, 1981 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री मुकेश जोशी, स. नि. को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा संस्था की लेनदारी एवं देनदारी संबंधी सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 14 मार्च, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(1134-D)

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

कार्यालयीन आदेश क्रमांक 478, दिनांक 27 फरवरी, 2013 द्वारा तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., खेडा खजूरिया, जिसका पंजीयन क्रमांक 544, दिनांक 11 जून, 1981 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री मुकेश जोशी, स. नि. को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की लेनदारी एवं देनदारी संबंधी सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 14 मार्च, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1134-E)

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

कार्यालयीन आदेश क्रमांक 2052, दिनांक 17 सितम्बर, 2010 द्वारा महिला बहुउद्देशीय उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., रावदियापीर, जिसका पंजीयन क्रमांक 36, दिनांक 22 अप्रैल, 2003 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री आर. एस. मेहर, सह. निरी. को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की लेनदारी एवं देनदारी संबंधी सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 14 मार्च, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1134-F)

उज्जैन, दिनांक 20 मार्च, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2017/1009.-कार्यालयीन आदेश क्रमांक 671, दिनांक 09 मार्च, 2015 द्वारा शिवशक्ति महिला साख सहकारी संस्था मर्या., उज्जैन, जिसका पंजीयन क्रमांक 112, दिनांक 25 मई, 2009 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री सी. एस. असोडिया, स. नि. को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की लेनदारी एवं देनदारी संबंधी सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 20 मार्च, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1145)

उज्जैन, दिनांक 20 मार्च, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2017/1010.-कार्यालयीन आदेश क्रमांक 480, दिनांक 27 फरवरी, 2013 द्वारा तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., खेडाववा, तह. बड़नगर, जिला उज्जैन, जिसका पंजीयन क्रमांक 636, दिनांक 19 दिसम्बर, 1983 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री एन. पी. बहोरे, स. नि. को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की लेनदारी एवं देनदारी संबंधी सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 20 मार्च, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(1145-A)

उज्जैन, दिनांक 20 मार्च, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2017/1011.-कार्यालयीन आदेश क्रमांक 2175, दिनांक 17 सितम्बर, 2013 द्वारा जय भवानी कृषि उपज विपणन भण्डारण एवं प्रक्रिया सहकारी संस्था मर्या., घट्टिया, जिसका पंजीयन क्रमांक 1517, दिनांक 09 मई, 2000 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री एस. के. मालवीय, सह. नि. को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा संस्था की लेनदारी एवं देनदारी संबंधी सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 20 मार्च, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(1145-B)

उज्जैन, दिनांक 20 मार्च, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2017/1012.-कार्यालयीन आदेश क्रमांक 1524, दिनांक 09 जुलाई, 2013 द्वारा फल-फूल, साग-सब्जी उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., उज्जैन, जिसका पंजीयन क्रमांक 893, दिनांक 29 मार्च, 1990 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्रीमती हेमलता चन्देल, सह. नि. को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा संस्था की लेनदारी एवं देनदारी संबंधी सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 20 मार्च, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(1145-C)

उज्जैन, दिनांक 20 मार्च, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2017/1013.-कार्यालयीन आदेश क्रमांक 519, दिनांक 01 मार्च, 2013 द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., उज्जैनिया, जिसका पंजीयन क्रमांक 550, दिनांक 30 जून, 1981 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री सुरेन्द्र मालवीय, सह. निरी. को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा संस्था की लेनदारी एवं देनदारी संबंधी सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 20 मार्च, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(1145-D)

उज्जैन, दिनांक 20 मार्च, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2017/1014.-कार्यालयीन आदेश क्रमांक 577, दिनांक 25 फरवरी, 2016 द्वारा रत्न प्रिंटिंग, बाईडिंग एवं मेन्यू फेक्चरिंग सहकारी संस्था मर्या., उज्जैन, जिसका पंजीयन क्रमांक 1653, दिनांक 24 नवम्बर, 2004 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री एन. के. अड़ानिया, उप. अंके. को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा संस्था की लेनदारी एवं देनदारी संबंधी सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 20 मार्च, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(1145-E)

उज्जैन, दिनांक 20 मार्च, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2017/1015.-कार्यालयीन आदेश क्रमांक 1143, दिनांक 25 मई, 2015 द्वारा विश्वास महिला प्रिंटिंग सहकारी संस्था मर्या., नागदा, जिसका पंजीयन क्रमांक 1623, दिनांक 22 जनवरी, 2004 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री आर. एल. नागर, सह. निरी. को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा संस्था की लेनदारी एवं देनदारी संबंधी सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 20 मार्च, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(1145-F)

उज्जैन, दिनांक 20 मार्च, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2017/1016.-कार्यालयीन आदेश क्रमांक 482, दिनांक 27 फरवरी, 2013 द्वारा तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., कड़ोदिया, तहसील तराना, जिसका पंजीयन क्रमांक 760, दिनांक 17 जुलाई, 1987 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री आर. एस. सोलंकी, व. स. नि. को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा संस्था की लेनदारी एवं देनदारी संबंधी सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 20 मार्च, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(1145-G)

उज्जैन, दिनांक 20 मार्च, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2017/1017.-कार्यालयीन आदेश क्रमांक 482, दिनांक 27 फरवरी, 2013 द्वारा तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या, डेलची, तहसील तराना, जिला उज्जैन, जिसका पंजीयन क्रमांक 589, दिनांक 01 जुलाई, 1982 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री आर. एस. सोलंकी, व. स. नि. को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की लेनदारी एवं देनदारी संबंधी सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 20 मार्च, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1145-H)

उज्जैन, दिनांक 20 मार्च, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2017/1018.-कार्यालयीन आदेश क्रमांक 480, दिनांक 27 फरवरी, 2013 द्वारा तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या, खरसोद कला, तहसील बड़नगर, जिला उज्जैन, जिसका पंजीयन क्रमांक 603, दिनांक 09 मार्च, 1983 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री एन. पी. बहोरे, सह. निरी. को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की लेनदारी एवं देनदारी संबंधी सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 20 मार्च, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1145-I)

उज्जैन, दिनांक 20 मार्च, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2017/1019.-कार्यालयीन आदेश क्रमांक 743, दिनांक 08 मार्च, 2016 द्वारा वाल्मिकी प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भण्डार मर्या, उज्जैन, जिसका पंजीयन क्रमांक 1794, दिनांक 10 अक्टूबर, 2012 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री आर. एल. नागर, स. नि. को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की लेनदारी एवं देनदारी संबंधी सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 20 मार्च, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1145-J)

उज्जैन, दिनांक 20 मार्च, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2017/1020.-कार्यालयीन आदेश क्रमांक 576, दिनांक 25 फरवरी, 2016 द्वारा जयन्त प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भण्डार मर्या., खाचरोद, जिसका पंजीयन क्रमांक 1325, दिनांक 29 सितम्बर, 1994 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री एस. एल. चौहान, स. नि. को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की लेनदारी एवं देनदारी संबंधी सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 20 मार्च, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1145-K)

उज्जैन, दिनांक 20 मार्च, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2017/1021.-कार्यालयीन आदेश क्रमांक 576, दिनांक 25 फरवरी, 2016 द्वारा विनोबा प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भण्डार मर्या., खाचरोद, जिसका पंजीयन क्रमांक 1288, दिनांक 27 अगस्त, 1994 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री एस. एल. चौहान, स. नि. को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की लेनदारी एवं देनदारी संबंधी सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 20 मार्च, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1145-L)

उज्जैन, दिनांक 20 मार्च, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2017/1022.-कार्यालयीन आदेश क्रमांक 743, दिनांक 08 मार्च, 2016 द्वारा माँ पार्वती प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भण्डार मर्या., उज्जैन, जिसका पंजीयन क्रमांक 1777, दिनांक 06 फरवरी, 2012 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री आर. एल. नागर, सह. नि. को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की लेनदारी एवं देनदारी संबंधी सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 20 मार्च, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1145-M)

उज्जैन, दिनांक 24 मार्च, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2017/1105.-कार्यालयीन आदेश क्रमांक 476, दिनांक 27 फरवरी, 2016 द्वारा तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या.,

खाचरोद, तह. उज्जैन, जिसका पंजीयन क्रमांक 620, दिनांक 03 दिसम्बर, 1983 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री आर. एल नागर, स. नि. को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की लेनदारी एवं देनदारी संबंधी सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 24 मार्च, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1145-N)

उज्जैन, दिनांक 24 मार्च, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2017/1106.-कार्यालयीन आदेश क्रमांक 476, दिनांक 27 फरवरी, 2016 द्वारा तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., ढाबलारेहवारी, तह. उज्जैन, जिसका पंजीयन क्रमांक 574, दिनांक 24 अक्टूबर, 1981 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री आर. एल नागर, सह. नि. को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की लेनदारी एवं देनदारी संबंधी सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 24 मार्च, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1145-O)

उज्जैन, दिनांक 24 मार्च, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2017/1107.-कार्यालयीन आदेश क्रमांक 476, दिनांक 27 फरवरी, 2016 द्वारा तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., करोहन, तह. उज्जैन, जिसका पंजीयन क्रमांक 598, दिनांक 29 अगस्त, 1982 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री आर. एल नागर, सह. नि. को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की लेनदारी एवं देनदारी संबंधी सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 24 मार्च, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1145-P)

उज्जैन, दिनांक 24 मार्च, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2017/1108.-कार्यालयीन आदेश क्रमांक 476, दिनांक 27 फरवरी, 2016 द्वारा तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., पंथपिलई, तह. उज्जैन, जिसका पंजीयन क्रमांक 491, दिनांक 09 सितम्बर, 1980 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री आर. एल नागर, स. नि. को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की लेनदारी एवं देनदारी संबंधी सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 24 मार्च, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(1145-Q)

उज्जैन, दिनांक 24 मार्च, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2017/1109.-कार्यालयीन आदेश क्रमांक 1524, दिनांक 09 जुलाई, 2013 द्वारा माँ बीजासन कृषि उपज संग्रहण एवं भण्डारण सहकारी संस्था मर्या., उज्जैन, जिसका पंजीयन क्रमांक 1652, दिनांक 27 अक्टूबर, 2007 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्रीमती हेमलता चंदेल, सह. नि. को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा संस्था की लेनदारी एवं देनदारी संबंधी सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 24 मार्च, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(1145-R)

उज्जैन, दिनांक 24 मार्च, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2017/1110.-कार्यालयीन आदेश क्रमांक 671, दिनांक 09 मार्च, 2015 द्वारा भविष्य निधि कर्मचारी साख सहकारी संस्था मर्या., उज्जैन, जिसका पंजीयन क्रमांक 16, दिनांक 27 नवम्बर, 2011 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री सी. एस. आसोड़िया, स. नि. को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा संस्था की लेनदारी एवं देनदारी संबंधी सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 24 मार्च, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(1145-S)

उज्जैन, दिनांक 24 मार्च, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2017/1112.-कार्यालयीन आदेश क्रमांक 1524, दिनांक 09 जुलाई, 2013 द्वारा महाकाल रेल्वे कान्ट्रेक्टर सहकारी संस्था मर्या., उज्जैन, जिसका पंजीयन क्रमांक 1575, दिनांक 26 जुलाई, 2001 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्रीमती हेमलता चंदेल, स. नि. को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा संस्था की लेनदारी एवं देनदारी संबंधी सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना

क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 24 मार्च, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(1145-T)

उज्जैन, दिनांक 24 मार्च, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2017/1113.-कार्यालयीन आदेश क्रमांक 1907, दिनांक 21 सितम्बर, 2012 द्वारा माँ अन्नपूर्णा महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., घट्टिया, जिसका पंजीयन क्रमांक 1737, दिनांक 31 दिसम्बर, 2009 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री एस. के. मालवीय, स. नि. को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा संस्था की लेनदारी एवं देनदारी संबंधी सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 24 मार्च, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(1145-U)

उज्जैन, दिनांक 27 मार्च, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2017/1145.-कार्यालयीन आदेश क्रमांक 744, दिनांक 08 मार्च, 2016 द्वारा श्रीराम बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., टूटियाखेड़ी, जिला उज्जैन, जिसका पंजीयन क्रमांक 2005, दिनांक 12 जनवरी, 2015 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री एस. एन. मेहता, स. नि. को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा संस्था की लेनदारी एवं देनदारी संबंधी सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 27 मार्च, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(1145-V)

उज्जैन, दिनांक 27 मार्च, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2017/1146.-कार्यालयीन आदेश क्रमांक 744, दिनांक 08 मार्च, 2016 द्वारा माँ शाकम्बरी बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., पिपलोदा सागोतीमाता, जिला उज्जैन, जिसका पंजीयन क्रमांक 1982, दिनांक 01 जनवरी, 2015 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री एस. एन. मेहता, स. नि. को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा संस्था की लेनदारी एवं देनदारी संबंधी सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 27 मार्च, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(1145-W)

उज्जैन, दिनांक 27 मार्च, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2017/1147.-कार्यालयीन आदेश क्रमांक 1148, दिनांक 25 मई, 2015 द्वारा महाकाल इंस्टीट्यूट ऑफ कम्प्यूटर सहकारी संस्था मर्या., उज्जैन, जिसका पंजीयन क्रमांक 1721, दिनांक 16 फरवरी, 1991 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री दिनेश दन्देलिया, स. नि. को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की लेनदारी एवं देनदारी संबंधी सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 27 मार्च, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1145-X)

उज्जैन, दिनांक 15 मार्च, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2)(सी/ग) के अंतर्गत]

क्र./परि./2017/911.-इस कार्यालय द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर निम्नलिखित संस्था को सूचित किया गया था कि क्यों न संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाये:-

क्रमांक	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक
1.	ऊँ शिर्डीवसाय साख सहकारी संस्था मर्या., उज्जैन	37/09-05-2003

कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित कारणों का जवाब व्यक्तिगत सुनिवाई हेतु नियत तिथि 05 दिसम्बर, 2016 तक संस्था की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ और न ही कोई जवाब प्रस्तुत किया है. संस्था द्वारा अंकेक्षण नहीं कराये जाने एवं पंजीकृत पते पर कार्य नहीं करने से स्पष्ट होता है कि संस्था अकार्यशील है एवं सहकारी सोसायटी अधिनियम के अंतर्गत उद्देश्यानुसार कार्य नहीं कर रही है तथा संस्था के सदस्य, संस्था का संचालन करने में उदासीन हैं.

अतः मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (क/ग) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये निम्नलिखित संस्था को परिसमापन में लाता हूँ तथा अधिनियम की धारा-70 (1) के अंतर्गत संस्था के नाम के सम्मुख में उल्लेखित अधिकारी को आगामी आदेश तक परिसमापक नियुक्त करता हूँ. परिसमापक तत्काल संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट दो प्रतियों में कार्यालय को प्रेषित करें एवं संस्था के आस्तियों एवं दायित्वों का नियमानुसार निराकरण कर 3 माह में अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करें:—

क्रमांक	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	परिसमापक का नाम
1.	ऊँ शिर्डीवसाय साख सहकारी संस्था मर्या., उज्जैन	37/09-05-2003	श्री राजेश शेर, उप अंकेक्षक.

यह आदेश आज दिनांक 15 मार्च, 2017 को कार्यालयीन मुद्रा एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया.

(1140)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2)(सी/ग) के अंतर्गत]

इस कार्यालय द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर निम्नलिखित संस्था को सूचित किया गया था कि क्यों न संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत

परिसमापन में लाया जाये:-

क्रमांक	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक
1.	श्री बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., रामगढ़	140/13-06-2011

कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित कारणों का जवाब व्यक्तिगत सुनवाई हेतु नियत तिथि 09 मार्च, 2017 तक संस्था की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ और न ही कोई जवाब प्रस्तुत किया है. संस्था द्वारा अंकेक्षण नहीं कराये जाने से स्पष्ट होता है कि संस्था अकार्यशील है एवं सहकारी सोसायटी अधिनियम के अंतर्गत उद्देश्यानुसार कार्य नहीं कर रही है तथा संस्था के सदस्य, संस्था का संचालन करने में उदासीन हैं.

अतः मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (क/ग) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये निम्नलिखित संस्था को परिसमापन में लाता हूँ तथा अधिनियम की धारा-70 (1) के अंतर्गत संस्था के नाम के सम्मुख में उल्लेखित अधिकारी को आगामी आदेश तक परिसमापक नियुक्त करता हूँ. परिसमापक तत्काल संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट दो प्रतियों में कार्यालय को प्रेषित करें एवं संस्था के आस्तियों एवं दायित्वों का नियमानुसार निराकरण कर 3 माह में अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करें:—

क्रमांक	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	परिसमापक का नाम
1.	श्री बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., रामगढ़	140/13-06-2011	सहकारिता विस्तार अधिकारी, घट्टिया

यह आदेश आज दिनांक 18 मार्च, 2017 को कार्यालयीन मुद्रा एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया.

(1140-A)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2)(सी/ग) के अंतर्गत]

इस कार्यालय द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर निम्नलिखित संस्था को सूचित किया गया था कि क्यों न संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाये:-

क्रमांक	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक
1.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बरखेड़ा	578/03-04-1982

कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित कारणों का जवाब व्यक्तिगत सुनवाई हेतु नियत तिथि 09 मार्च, 2017 तक संस्था की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ और न ही कोई जवाब प्रस्तुत किया है. संस्था द्वारा अंकेक्षण नहीं कराये जाने से स्पष्ट होता है कि संस्था अकार्यशील है एवं सहकारी सोसायटी अधिनियम के अंतर्गत उद्देश्यानुसार कार्य नहीं कर रही है तथा संस्था के सदस्य, संस्था का संचालन करने में उदासीन हैं.

अतः मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (क/ग) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये निम्नलिखित संस्था को परिसमापन में लाता हूँ तथा अधिनियम की धारा-70 (1) के अंतर्गत संस्था के नाम के सम्मुख में उल्लेखित अधिकारी को आगामी आदेश तक परिसमापक नियुक्त करता हूँ. परिसमापक तत्काल संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट दो प्रतियों में कार्यालय को प्रेषित करें एवं संस्था के आस्तियों एवं दायित्वों का नियमानुसार निराकरण कर 3 माह में अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करें:—

क्रमांक	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	परिसमापक का नाम
1.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बरखेड़ा	578/03-04-1982	सहकारिता विस्तार अधिकारी, खाचरोद

यह आदेश आज दिनांक 18 मार्च, 2017 को कार्यालयीन मुद्रा एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया.

(1140-B)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2)(सी/ग) के अंतर्गत]

इस कार्यालय द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया

जाकर निम्नलिखित संस्था को सूचित किया गया था कि क्यों न संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाये:-

क्रमांक	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक
1.	माँ नगणेचा बीज उत्पादक विपणन एवं प्रक्रिया सहकारी संस्था मर्या., घट्टिया.	139/24-05-2011

कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित कारणों का जवाब व्यक्तिगत सुनवाई हेतु नियत तिथि 09 मार्च, 2017 तक संस्था की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ और न ही कोई जवाब प्रस्तुत किया है. संस्था द्वारा अंकेक्षण नहीं कराये जाने से स्पष्ट होता है कि संस्था अकार्यशील है एवं सहकारी सोसायटी अधिनियम के अंतर्गत उद्देश्यानुसार कार्य नहीं कर रही है तथा संस्था के सदस्य, संस्था का संचालन करने में उदासीन हैं.

अतः मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (क/ग) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये निम्नलिखित संस्था को परिसमापन में लाता हूँ तथा अधिनियम की धारा-70 (1) के अंतर्गत संस्था के नाम के सम्मुख में उल्लेखित अधिकारी को आगामी आदेश तक परिसमापक नियुक्त करता हूँ. परिसमापक तत्काल संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट दो प्रतियों में कार्यालय को प्रेषित करें एवं संस्था के आस्तियों एवं दायित्वों का नियमानुसार निराकरण कर 3 माह में अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करें:—

क्रमांक	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	परिसमापक का नाम
1.	माँ नगणेचा बीज उत्पादक विपणन एवं प्रक्रिया सहकारी संस्था मर्या., घट्टिया.	139/24-05-2011	सहकारिता विस्तार अधिकारी, घट्टिया

यह आदेश आज दिनांक 18 मार्च, 2017 को कार्यालयीन मुद्रा एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया.

(1140-C)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2)(सी/ग) के अंतर्गत]

इस कार्यालय द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर निम्नलिखित संस्था को सूचित किया गया था कि क्यों न संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाये:-

क्रमांक	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक
1.	लवखेड़ी सरकार बीज उत्पादक एवं प्रक्रिया सहकारी संस्था मर्या., झीतरखेड़ी.	149/31-10-2011

कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित कारणों का जवाब व्यक्तिगत सुनवाई हेतु नियत तिथि 09 मार्च, 2017 तक संस्था की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ और न ही कोई जवाब प्रस्तुत किया है. संस्था द्वारा अंकेक्षण नहीं कराये जाने से स्पष्ट होता है कि संस्था अकार्यशील है एवं सहकारी सोसायटी अधिनियम के अंतर्गत उद्देश्यानुसार कार्य नहीं कर रही है तथा संस्था के सदस्य, संस्था का संचालन करने में उदासीन हैं.

अतः मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (क/ग) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये निम्नलिखित संस्था को परिसमापन में लाता हूँ तथा अधिनियम की धारा-70 (1) के अंतर्गत संस्था के नाम के सम्मुख में उल्लेखित अधिकारी को आगामी आदेश तक परिसमापक नियुक्त करता हूँ. परिसमापक तत्काल संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट दो प्रतियों में कार्यालय को प्रेषित करें एवं संस्था के आस्तियों एवं दायित्वों का नियमानुसार निराकरण कर 3 माह में अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करें:—

क्रमांक	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	परिसमापक का नाम
1.	लवखेड़ी सरकार बीज उत्पादक एवं प्रक्रिया सहकारी संस्था मर्या., झीतरखेड़ी.	149/31-10-2011	सहकारिता विस्तार अधिकारी, घट्टिया

यह आदेश आज दिनांक 18 मार्च, 2017 को कार्यालयीन मुद्रा एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया.

(1140-D)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2)(सी/ग) के अंतर्गत]

इस कार्यालय द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर निम्नलिखित संस्था को सूचित किया गया था कि क्यों न संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाये:-

क्रमांक	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक
1.	अवन्तिका बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., उज्जैन (घट्टिया) बड़ोदिया काजी.	105/03-10-2008

कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित कारणों का जवाब व्यक्तिगत सुनवाई हेतु नियत तिथि 09 मार्च, 2017 तक संस्था की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ और न ही कोई जवाब प्रस्तुत किया है. संस्था द्वारा अंकेक्षण नहीं कराये जाने से स्पष्ट होता है कि संस्था अकार्यशील है एवं सहकारी सोसायटी अधिनियम के अंतर्गत उद्देश्यानुसार कार्य नहीं कर रही है तथा संस्था के सदस्य, संस्था का संचालन करने में उदासीन हैं.

अतः मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (क/ग) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये निम्नलिखित संस्था को परिसमापन में लाता हूँ तथा अधिनियम की धारा-70 (1) के अंतर्गत संस्था के नाम के सम्मुख में उल्लेखित अधिकारी को आगामी आदेश तक परिसमापक नियुक्त करता हूँ. परिसमापक तत्काल संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट दो प्रतियों में कार्यालय को प्रेषित करें एवं संस्था के आस्तियों एवं दायित्वों का नियमानुसार निराकरण कर 3 माह में अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करें:—

क्रमांक	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	परिसमापक का नाम
1.	अवन्तिका बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बड़ोदिया काजी, तह. घट्टिया, उज्जैन.	105/03-10-2008	सहकारिता विस्तार अधिकारी, घट्टिया

यह आदेश आज दिनांक 18 मार्च, 2017 को कार्यालयीन मुद्रा एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया.

(1140-E)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2)(सी/ग) के अंतर्गत]

इस कार्यालय द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर निम्नलिखित संस्था को सूचित किया गया था कि क्यों न संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाये:-

क्रमांक	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक
1.	ओम बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., मुण्डला सुलेमान	132/22-10-2010

कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित कारणों का जवाब व्यक्तिगत सुनवाई हेतु नियत तिथि 09 मार्च, 2017 तक संस्था की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ और न ही कोई जवाब प्रस्तुत किया है. संस्था द्वारा अंकेक्षण नहीं कराये जाने से स्पष्ट होता है कि संस्था अकार्यशील है एवं सहकारी सोसायटी अधिनियम के अंतर्गत उद्देश्यानुसार कार्य नहीं कर रही है तथा संस्था के सदस्य, संस्था का संचालन करने में उदासीन हैं.

अतः मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (क/ग) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये निम्नलिखित संस्था को परिसमापन में लाता हूँ तथा अधिनियम की धारा-70 (1) के अंतर्गत संस्था के नाम के सम्मुख में उल्लेखित अधिकारी को आगामी आदेश तक परिसमापक नियुक्त करता हूँ. परिसमापक तत्काल संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट दो प्रतियों में कार्यालय को प्रेषित करें एवं संस्था के आस्तियों एवं दायित्वों का नियमानुसार निराकरण कर 3 माह में अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करें:—

क्रमांक	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	परिसमापक का नाम
1.	ओम बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., मुण्डला सुलेमान.	132/22-10-2010	सहकारिता विस्तार अधिकारी, उज्जैन

यह आदेश आज दिनांक 18 मार्च, 2017 को कार्यालयीन मुद्रा एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया.

(1140-F)

उज्जैन, दिनांक 18 मार्च, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2)(सी/ग) के अंतर्गत]

क्र./परि./2017/958.-इस कार्यालय द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर निम्नलिखित संस्था को सूचित किया गया था कि क्यों न संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाये:-

क्रमांक	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक
1.	पिपलोदा द्वारकाधीश बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., पिपलोदा द्वारकाधीश, तहसील उज्जैन.	1763/16-01-2011

कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित कारणों का जवाब व्यक्तिगत सुनवाई हेतु नियत तिथि 05 दिसम्बर, 2016 तक संस्था की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ और न ही कोई जवाब प्रस्तुत किया है. संस्था द्वारा अंकेक्षण नहीं कराये जाने से स्पष्ट होता है कि संस्था अकार्यशील है एवं सहकारी सोसायटी अधिनियम के अंतर्गत उद्देश्यानुसार कार्य नहीं कर रही है तथा संस्था के सदस्य, संस्था का संचालन करने में उदासीन हैं.

अतः मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (क/ग) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये निम्नलिखित संस्था को परिसमापन में लाता हूँ तथा अधिनियम की धारा-70 (1) के अंतर्गत संस्था के नाम के सम्मुख में उल्लेखित अधिकारी को आगामी आदेश तक परिसमापक नियुक्त करता हूँ. परिसमापक तत्काल संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट दो प्रतियों में कार्यालय को प्रेषित करें एवं संस्था के आस्तियों एवं दायित्वों का नियमानुसार निराकरण कर 3 माह में अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करें:—

क्रमांक	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	परिसमापक का नाम
1.	पिपलोदा द्वारकाधीश बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., पिपलोदा द्वारकाधीश, तहसील उज्जैन.	1763/16-01-2011	श्री बी. एस. बक्तरिया, सह. निरी.

यह आदेश आज दिनांक 18 मार्च, 2017 को कार्यालयीन मुद्रा एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया.

(1140-G)

उज्जैन, दिनांक 18 मार्च, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2)(सी/ग) के अंतर्गत]

क्र./परि./2017/959.-इस कार्यालय द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर निम्नलिखित संस्था को सूचित किया गया था कि क्यों न संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाये:-

क्रमांक	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक
1.	ऋषिराज बीज उत्पादक एवं विपणन प्रक्रिया सहकारी संस्था मर्या., कचनारियाझाला, तहसील उज्जैन.	93/31-03-2012

कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित कारणों का जवाब व्यक्तिगत सुनवाई हेतु नियत तिथि 05 दिसम्बर, 2016 तक संस्था की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ और न ही कोई जवाब प्रस्तुत किया है. संस्था द्वारा अंकेक्षण नहीं कराये जाने से स्पष्ट होता है कि संस्था अकार्यशील है एवं सहकारी सोसायटी अधिनियम के अंतर्गत उद्देश्यानुसार कार्य नहीं कर रही है तथा संस्था के सदस्य, संस्था का संचालन करने में उदासीन हैं.

अतः मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (क/ग) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये निम्नलिखित संस्था को परिसमापन में लाता हूँ तथा अधिनियम की धारा-70 (1) के अंतर्गत संस्था के नाम के सम्मुख में उल्लेखित अधिकारी को आगामी आदेश तक परिसमापक नियुक्त करता हूँ. परिसमापक तत्काल संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट दो प्रतियों में कार्यालय को प्रेषित करें एवं संस्था के आस्तियों एवं दायित्वों का नियमानुसार निराकरण कर 3 माह

में अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करें:—

क्रमांक	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	परिसमापक का नाम
1.	ऋषिराज बीज उत्पादक एवं विपणन प्रक्रिया सहकारी संस्था मर्या., कचनारियाझाला, तहसील उज्जैन.	93/31-03-2012	श्री बी. एस. बक्तरिया, सह. निरी.

यह आदेश आज दिनांक 18 मार्च, 2017 को कार्यालयीन मुद्रा एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया.

(1140-H)

उज्जैन, दिनांक 27 मार्च, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत]

क्र./परि./2017/1148.-श्रीराम बीज सहकारी संस्था मर्या., महु (आम्याधागा), पंजीयन क्रमांक 1966, दिनांक 17 दिसम्बर, 2014, आदेश क्र./परि./742, दिनांक 08 मार्च, 2016 से परिसमापन में लाया जाकर श्री राजेन्द्र वर्मा, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त किया गया था. परिसमापन में लाये जाने का कारण संस्था द्वारा निर्धारित समयावधि में निर्वाचन नहीं कराया जाना है.

संस्था के परिसमापक द्वारा अवगत कराया है कि संस्था के संचालक मण्डल के निर्वाचन हेतु दिनांक 21 जुलाई, 2016 को पूर्ण होने के बावजूद उक्त कार्यालयीन आदेश के द्वारा संस्था को परिसमापन में लाया गया है. जिसके कारण परिसमापक द्वारा संस्था का परिसमापन आदेश निरस्त करने का निवेदन किया गया है.

उक्त संबंध में परिसमापक द्वारा प्रस्तुत जानकारी से सहमत होते हुए सहकारिता के सिद्धांतों संस्था एवं सदस्यों के हित में परिसमापन संबंधी आदेश को निरस्त करना आवश्यक प्रतीत होता है. अतः मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, उज्जैन, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के अंतर्गत पंजीयक को प्रदत्त एवं मुझमें वेष्टित शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस कार्यालय के परिसमापन आदेश क्र./परि./742, दिनांक 08 मार्च, 2016 को निरस्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 27 मार्च, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(1145-Y)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत]

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., श्रीबच्छ, पंजीयन क्रमांक 1817, दिनांक 20 फरवरी, 2013, आदेश क्र./परि./738, दिनांक 08 मार्च, 2016 से परिसमापन में लाया जाकर श्री व्ही. के. जोशी, उप अंकेक्षक को परिसमापक नियुक्त किया गया था. परिसमापन में लाये जाने का कारण संस्था द्वारा निर्धारित समयावधि में निर्वाचन नहीं कराया जाना है.

संस्था के परिसमापक द्वारा अवगत कराया है कि संस्था के संचालक मण्डल के निर्वाचन हेतु निर्वाचन प्रस्ताव प्राप्त होने के बावजूद उक्त कार्यालयीन आदेश के द्वारा संस्था को परिसमापन में लाया गया है. जिसके कारण परिसमापक द्वारा संस्था का परिसमापन आदेश निरस्त करने का निवेदन किया गया है.

उक्त संबंध में परिसमापक द्वारा प्रस्तुत जानकारी से सहमत होते हुए सहकारिता के सिद्धांतों संस्था एवं सदस्यों के हित में परिसमापन संबंधी आदेश को निरस्त करना आवश्यक प्रतीत होता है. अतः मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, उज्जैन, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के अंतर्गत पंजीयक को प्रदत्त एवं मुझमें वेष्टित शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस कार्यालय के परिसमापन आदेश क्र./परि./738, दिनांक 08 मार्च, 2016 को निरस्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 25 जून, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(1145-Z)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत]

पटेल बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., मालीखेड़ी, पंजीयन क्रमांक 1965, दिनांक 27 दिसम्बर, 2014, आदेश क्र./परि./742, दिनांक 08 मार्च, 2016 से परिसमापन में लाया जाकर श्री एस. एल. चौहान, सहकारी निरी. को परिसमापक नियुक्त किया गया था. परिसमापन में लाये जाने का कारण संस्था द्वारा निर्धारित समयावधि में निर्वाचन नहीं कराया जाना है.

संस्था के परिसमापक द्वारा अवगत कराया है कि संस्था के संचालक मण्डल के निर्वाचन हेतु निर्वाचन प्रस्ताव प्राप्त होने के बावजूद

उक्त कार्यालयीन आदेश के द्वारा संस्था को परिसमापन में लाया गया है। जिसके कारण परिसमापक द्वारा संस्था का परिसमापन आदेश निरस्त करने का निवेदन किया गया है।

उक्त संबंध में परिसमापक द्वारा प्रस्तुत जानकारी से सहमत होते हुए सहकारिता के सिद्धांतों संस्था एवं सदस्यों के हित में परिसमापन संबंधी आदेश को निरस्त करना आवश्यक प्रतीत होता है। अतः मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, उज्जैन, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के अंतर्गत पंजीयक को प्रदत्त एवं मुझमें वैधित शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस कार्यालय के परिसमापन आदेश क्र./परि./742, दिनांक 08 मार्च, 2016 को निरस्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 25 जून, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

(1146)

कार्यालय परिसमापक दि हरिजन हाथकरघा एवं सूतमिल सहकारी संस्था मर्यादित, उज्जैन

उज्जैन, दिनांक 02 मार्च, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अंतर्गत]

क्र./परि./2017/क्यू—सर्व-साधारण की जानकारी के लिए यह विज्ञप्ति प्रकाशित की जाती है कि कार्यालय पंजीयक सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल के आदेश क्रमांक/विविध/02/2017/09, दिनांक 19 जनवरी, 2017 के द्वारा दि हरिजन हाथकरघा एवं सूतमिल सहकारी संस्था मर्यादित, उज्जैन, पंजीयक क्रमांक/हाथकरघा/83-84/2680, दिनांक 19 मार्च, 1983 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर मुझे उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, उज्जैन, जिला-उज्जैन को परिसमापक नियुक्त किया गया है।

अतः मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, परिसमापक एवं उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, उज्जैन, जिला-उज्जैन, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-71 एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अनुसार सर्व-साधारण की जानकारी के लिए सूचना-पत्र प्रकाशित करता हूँ कि उक्त संस्था के विरुद्ध किसी का भी कोई लेना-देना निकल रहा हो तो वे इस विज्ञप्ति के प्रकाशित होने के दो माह के अन्दर अपने दावे प्रमाण सहित मुझे कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, उज्जैन, जिला-उज्जैन में प्रस्तुत करें। उक्त अवधि में पेश न होने वाले दावे या स्वत्व के संबंध में बाद में कोई सुनवाई नहीं होगी तथा जो भी रिकॉर्ड उपलब्ध होगा उसके अनुसार ही कार्यवाही की जाकर संस्था के पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही हेतु प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को भेज दिया जावेगा।

यह भी प्रकाशित किया जाता है कि किसी व्यक्ति के पास या इस समिति के सदस्यों के पास या भूतपूर्व पदाधिकारियों के पास इस समिति की कोई लेखा पुस्तकें, रोकड़, प्रमाणक, रजिस्टर्स, चल-अचल सम्पत्तियों या अन्य कोई भी सामान तथा रिकॉर्ड आदि हो तो, इस सूचना प्रकाशित होने के एक माह के अन्दर उक्त वर्णित कार्यालय में जमा कराकर रसीद प्राप्त करें, अन्यथा निश्चित अवधि व्यतीत होने के बाद किसी भी व्यक्ति के पास इस समिति के उपरोक्त दस्तावेज, सम्पत्ति होने की जानकारी मिली तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जावेगी, जिसका दायित्व उसका स्वयं का होगा।

यह सम्यक् सूचना आज दिनांक 02 मार्च, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी की गयी।

(1139-C)

मनोज जायसवाल,
उप-पंजीयक एवं परिसमापक.

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जबलपुर

जबलपुर, दिनांक 17 मार्च, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./उपपंज/परि./2017/630.—कार्यालयीन आदेश क्र./उपपंज/परि./1417, दिनांक 02 जुलाई, 2013 के द्वारा आदिवासी मत्स्योद्योग सहकारी समिति मर्या, देवरी, जिला जबलपुर, पंजीयन क्रमांक 1809 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन के अधीन लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की गई थी। संस्था के वर्तमान परिसमापक श्री टी. आर. कोरी, सहकारी निरीक्षक द्वारा संस्था की परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न की जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। संस्था के देनदारी-लेनदारी के शून्य स्थिति विवरण-पत्रक का अंकेक्षण सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता, जबलपुर से कराये जाने के उपरान्त परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन एवं लेनदारी-देनदारी का समस्त निपटारा हो जाने के आधार पर संस्था के अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः मैं, जी. पी. प्रजापति, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जबलपुर मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-2-2010-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये आदिवासी मत्स्योद्योग सहकारी समिति मर्या., देवरी, जिला जबलपुर, पंजीयन क्रमांक 1809 का पंजीयन निरस्त करता हूँ. संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 17 मार्च, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1136)

जबलपुर, दिनांक 17 मार्च, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./उपंज/परि./2017/631.—कार्यालयीन आदेश क्र./उपंज/परि./960, दिनांक 31 मार्च, 2016 के द्वारा विनोबा भावे साख सहकारी समिति मर्या., जबलपुर, जिला जबलपुर, पंजीयन क्रमांक 576 है को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन के अधीन लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की गई थी. संस्था के वर्तमान परिसमापक श्री मोहन ताम्रकार, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक द्वारा संस्था की परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न की जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के देनदारी-लेनदारी के शून्य स्थिति विवरण पत्रक का अंकेक्षण सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता, जबलपुर से कराये जाने के उपरान्त परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन एवं लेनदारी-देनदारी का समस्त निपटारा हो जाने के आधार पर संस्था के अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं, जी. पी. प्रजापति, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जबलपुर मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-2-2010-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये विनोबा भावे साख सहकारी समिति मर्या., जबलपुर, जिला जबलपुर, पंजीयन क्रमांक 576 का पंजीयन निरस्त करता हूँ. संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 17 मार्च, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1136-A)

जबलपुर, दिनांक 17 मार्च, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./उपंज/परि./2017/632.—कार्यालयीन आदेश क्र./उपंज/परि./1491, दिनांक 02 जुलाई, 2013 के द्वारा चर्मोद्योग सहकारी समिति मर्या., चरगावा, जबलपुर, पंजीयन क्रमांक 1542 है को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन के अधीन लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की गई थी. संस्था के वर्तमान परिसमापक श्री टी. आर. विदेही, उप अंकेक्षक द्वारा संस्था की परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न की जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के देनदारी-लेनदारी के शून्य स्थिति विवरण-पत्रक का अंकेक्षण सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता, जबलपुर से कराये जाने के उपरान्त परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन एवं लेनदारी-देनदारी का समस्त निपटारा हो जाने के आधार पर संस्था के अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं, जी. पी. प्रजापति, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जबलपुर मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-2-2010-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये चर्मोद्योग सहकारी समिति मर्या., चरगावा, जिला जबलपुर, पंजीयन क्रमांक 1542 का पंजीयन निरस्त करता हूँ. संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 17 मार्च, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1136-B)

जबलपुर, दिनांक 17 मार्च, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./उपंज/परि./2017/633.—कार्यालयीन आदेश क्र./उपंज/परि./1933, दिनांक 29 जुलाई, 2016 के द्वारा अंबिका प्राथ. उपभोक्ता

सहकारी भण्डार मर्या., जबलपुर, जिला जबलपुर, पंजीयन क्रमांक 1218 है को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन के अधीन लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की गई थी. संस्था के वर्तमान परिसमापक श्री के. के. तिवारी, उप अंकेक्षक द्वारा संस्था की परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न की जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के देनदारी-लेनदारी के शून्य स्थिति विवरण-पत्रक का अंकेक्षण सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता, जबलपुर से कराये जाने के उपरान्त परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन एवं लेनदारी-देनदारी का समस्त निपटारा हो जाने के आधार पर संस्था के अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं, जी. पी. प्रजापति, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जबलपुर मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-2-2010-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये अंबिका प्राथ. उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., जबलपुर, जिला जबलपुर, पंजीयन क्रमांक 1218 का पंजीयन निरस्त करता हूँ. संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 17 मार्च, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1136-C)

जबलपुर, दिनांक 17 मार्च, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./उपंज/परि./2017/634.—कार्यालयीन आदेश क्र./उपंज/परि./970, दिनांक 31 मार्च, 2016 के द्वारा गांधीग्राम प्राथ. उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., जबलपुर, जिला जबलपुर, पंजीयन क्रमांक 1098 है को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन के अधीन लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की गई थी. संस्था के वर्तमान परिसमापक श्री योगेश दुबे, सहकारी निरीक्षक द्वारा संस्था की परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न की जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के देनदारी-लेनदारी के शून्य स्थिति विवरण-पत्रक का अंकेक्षण सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता, जबलपुर से कराये जाने के उपरान्त परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन एवं लेनदारी-देनदारी का समस्त निपटारा हो जाने के आधार पर संस्था के अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं, जी. पी. प्रजापति, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जबलपुर मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-2-2010-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये गांधीग्राम प्राथ. उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., जबलपुर, जिला जबलपुर, पंजीयन क्रमांक 1098 का पंजीयन निरस्त करता हूँ. संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 17 मार्च, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1136-D)

जबलपुर, दिनांक 17 मार्च, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./उपंज/परि./2017/635.—कार्यालयीन आदेश क्र./उपंज/परि./845, दिनांक 17 मार्च, 2016 के द्वारा माँ नर्मदा कामगार एवं कारीगर सहकारी समिति मर्या., जबलपुर, पंजीयन क्रमांक 863 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन के अधीन लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की गई थी. संस्था के वर्तमान परिसमापक सुश्री उषा कापसे, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक द्वारा संस्था की परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न की जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के देनदारी-लेनदारी के शून्य स्थिति विवरण पत्रक का अंकेक्षण सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता, जबलपुर से कराये जाने के उपरान्त परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन एवं लेनदारी-देनदारी का समस्त निपटारा हो जाने के आधार पर संस्था के अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं, जी. पी. प्रजापति, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला जबलपुर मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-2-2010-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये माँ नर्मदा कामगार एवं कारीगर सहकारी समिति मर्या., जबलपुर, पंजीयन क्रमांक 863 का पंजीयन निरस्त करता हूँ. संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 17 मार्च, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1136-E)

जबलपुर, दिनांक 17 मार्च, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./उपंज/परि./2017/636.—कार्यालयीन आदेश क्र./उपंज/परि./847, दिनांक 17 मार्च, 2016 के द्वारा माँ नर्मदा नौका विहार कामगार सहकारी समिति मर्या., लम्हेटाघट, जबलपुर, पंजीयन क्रमांक 1811 है को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन के अधीन लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की गई थी. संस्था के वर्तमान परिसमापक श्री के. एल. पारोची, अंके. अधिकारी द्वारा संस्था की परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न की जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के देनदारी-लेनदारी के शून्य स्थिति विवरण-पत्रक का अंकेक्षण सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता, जबलपुर से कराये जाने के उपरान्त परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन एवं लेनदारी-देनदारी का समस्त निपटारा हो जाने के आधार पर संस्था के अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं, जी. पी. प्रजापति, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जबलपुर मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-2-2010-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये माँ नर्मदा नौका विहार कामगार सहकारी समिति मर्या., लम्हेटाघट, जबलपुर, पंजीयन क्रमांक 1811 का पंजीयन निरस्त करता हूँ. संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 17 मार्च, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1136-F)

जबलपुर, दिनांक 25 मार्च, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./उपंज/परि./2017/698.—कार्यालयीन आदेश क्र./उपंज/परि./832, दिनांक 16 फरवरी, 2016 के द्वारा माँ भवानी प्राथ. उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., जबलपुर, जिला जबलपुर, पंजीयन क्रमांक 1362 है को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन के अधीन लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की गई थी. संस्था के वर्तमान परिसमापक श्री व्ही. के. तिवारी, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक द्वारा संस्था की परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न की जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के देनदारी-लेनदारी के शून्य स्थिति विवरण-पत्रक का अंकेक्षण सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता, जबलपुर से कराये जाने के उपरान्त परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन एवं लेनदारी-देनदारी का समस्त निपटारा हो जाने के आधार पर संस्था के अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं, जी. पी. प्रजापति, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जबलपुर मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-2-2010-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये माँ भवानी प्राथ. उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., जबलपुर, जिला जबलपुर, पंजीयन क्रमांक 1362 का पंजीयन निरस्त करता हूँ. संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 25 मार्च, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1136-G)

जबलपुर, दिनांक 25 मार्च, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./उपंज/परि./2017/699.—कार्यालयीन आदेश क्र./उपंज/परि./1586, दिनांक 02 जुलाई, 2013 के द्वारा शिवशक्ति उद्योग सहकारी समिति मर्या., जबलपुर, जिला जबलपुर, पंजीयन क्रमांक 1868 है को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन के अधीन लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की गई थी. संस्था के वर्तमान परिसमापक श्री ललित जैन, सहकारी निरीक्षक द्वारा संस्था की परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न की जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के देनदारी-लेनदारी के शून्य स्थिति विवरण-पत्रक का अंकेक्षण सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता, जबलपुर से कराये जाने के उपरान्त परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन एवं लेनदारी-देनदारी का समस्त निपटारा हो जाने के आधार पर संस्था के अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं, जी. पी. प्रजापति, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जबलपुर मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना

क्रमांक एफ-5-2-2010-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये शिवशक्ति उद्योग सहकारी समिति मर्या., जबलपुर, जिला जबलपुर, पंजीयन क्रमांक 1868 का पंजीयन निरस्त करता हूँ. संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 25 मार्च, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1136-H)

जबलपुर, दिनांक 25 मार्च, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./उपंज/परि./2017/700.—कार्यालयीन आदेश क्र./उपंज/परि./1146, दिनांक 22 अप्रैल, 2016 के द्वारा नेहा प्राथ. उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., जबलपुर, जिला जबलपुर, पंजीयन क्रमांक 1645 है को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन के अधीन लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की गई थी. संस्था के वर्तमान परिसमापक श्री व्ही. के. तिवारी, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक द्वारा संस्था की परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न की जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के देनदारी-लेनदारी के शून्य स्थिति विवरण-पत्रक का अंकेक्षण सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता, जबलपुर से कराये जाने के उपरान्त परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन एवं लेनदारी-देनदारी का समस्त निपटारा हो जाने के आधार पर संस्था के अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं, जी. पी. प्रजापति, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जबलपुर मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-2-2010-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये नेहा प्राथ. उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., जबलपुर, जिला जबलपुर, पंजीयन क्रमांक 1645 का पंजीयन निरस्त करता हूँ. संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 25 मार्च, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1136-I)

जबलपुर, दिनांक 25 मार्च, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./उपंज/परि./2017/701.—कार्यालयीन आदेश क्र./उपंज/परि./28, दिनांक 06 जनवरी, 2011 के द्वारा शिक्षित बेरोजगार मछुआ सहकारी समिति मर्या., रानीताल, जबलपुर, जिला जबलपुर, पंजीयन क्रमांक 1512 है को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन के अधीन लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की गई थी. संस्था के वर्तमान परिसमापक श्री जी. पी. साहू, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक द्वारा संस्था की परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न की जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के देनदारी-लेनदारी के शून्य स्थिति विवरण-पत्रक का अंकेक्षण सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता, जबलपुर से कराये जाने के उपरान्त परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन एवं लेनदारी-देनदारी का समस्त निपटारा हो जाने के आधार पर संस्था के अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं, जी. पी. प्रजापति, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जबलपुर मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-2-2010-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये शिक्षित बेरोजगार मछुआ सहकारी समिति मर्या., रानीताल, जबलपुर, जिला जबलपुर, पंजीयन क्रमांक 1512 का पंजीयन निरस्त करता हूँ. संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 25 मार्च, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1136-J)

जबलपुर, दिनांक 25 मार्च, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./उपंज/परि./2017/703.—कार्यालयीन आदेश क्र./उपंज/परि./1560, दिनांक 02 जुलाई, 2013 के द्वारा सुरक्षा कामगार एवं श्रमकल्याण सहकारी समिति मर्या., जबलपुर, जिला जबलपुर, पंजीयन क्रमांक 1893 है को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960

की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन के अधीन लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की गई थी। संस्था के वर्तमान परिसमापक श्री के. एल. पारोची, अंकेक्षण अधिकारी द्वारा संस्था की परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न की जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। संस्था के देनदारी-लेनदारी के शून्य स्थिति विवरण पत्रक का अंकेक्षण सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता, जबलपुर से कराये जाने के उपरान्त परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन एवं लेनदारी-देनदारी का समस्त निपटारा हो जाने के आधार पर संस्था के अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः मैं, जी. पी. प्रजापति, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जबलपुर मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-2-2010-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये सुरक्षा कामगार एवं श्रमकल्याण सहकारी समिति मर्या., जबलपुर, जिला जबलपुर, पंजीयन क्रमांक 1893 का पंजीयन निरस्त करता हूँ संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी।

यह आदेश आज दिनांक 25 मार्च, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(1136-K)

जबलपुर, दिनांक 25 मार्च, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./उपंज/परि./2017/704.—कार्यालयीन आदेश क्र./उपंज/परि./1511, दिनांक 02 जुलाई, 2013 के द्वारा राधारमण खनिज उत्खनन सहकारी समिति मर्या., मझौली, जिला जबलपुर, पंजीयन क्रमांक 1697 है को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन के अधीन लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की गई थी। संस्था के वर्तमान परिसमापक श्री एम. एल. जैन, सहकारी निरीक्षक द्वारा संस्था की परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न की जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। संस्था के देनदारी-लेनदारी के शून्य स्थिति विवरण-पत्रक का अंकेक्षण सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता, जबलपुर से कराये जाने के उपरान्त परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन एवं लेनदारी-देनदारी का समस्त निपटारा हो जाने के आधार पर संस्था के अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः मैं, जी. पी. प्रजापति, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जबलपुर मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-2-2010-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये राधारमण खनिज उत्खनन सहकारी समिति मर्या., मझौली, जिला जबलपुर, पंजीयन क्रमांक 1697 का पंजीयन निरस्त करता हूँ संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी।

यह आदेश आज दिनांक 25 मार्च, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(1136-L)

जबलपुर, दिनांक 25 मार्च, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./उपंज/परि./2017/705.—कार्यालयीन आदेश क्र./उपंज/परि./1502, दिनांक 02 जुलाई, 2013 के द्वारा सरस्वती खनिज कामगार सहकारी समिति मर्या., भेड़ाघाट, जिला जबलपुर, पंजीयन क्रमांक 1656 है को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन के अधीन लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की गई थी। संस्था के वर्तमान परिसमापक श्री एम. एल. जैन, सहकारी निरीक्षक द्वारा संस्था की परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न की जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। संस्था के देनदारी-लेनदारी के शून्य स्थिति विवरण-पत्रक का अंकेक्षण सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता, जबलपुर से कराये जाने के उपरान्त परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन एवं लेनदारी-देनदारी का समस्त निपटारा हो जाने के आधार पर संस्था के अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः मैं, जी. पी. प्रजापति, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जबलपुर मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-2-2010-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये सरस्वती खनिज कामगार सहकारी समिति मर्या., भेड़ाघाट, जिला जबलपुर, पंजीयन क्रमांक 1656 का पंजीयन निरस्त करता हूँ संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी।

यह आदेश आज दिनांक 25 मार्च, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(1136-M)

जबलपुर, दिनांक 25 मार्च, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./उपंज/परि./2017/706.—कार्यालयीन आदेश क्र./उपंज/परि./1506, दिनांक 02 जुलाई, 2013 के द्वारा हिरन खनिज उत्खनन सहकारी समिति मर्या., चिन्नौटा, जिला जबलपुर, पंजीयन क्रमांक 1664 है को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन के अधीन लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की गई थी. संस्था के वर्तमान परिसमापक श्री एम. एल. जैन, सहकारी निरीक्षक द्वारा संस्था की परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न की जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के देनदारी-लेनदारी के शून्य स्थिति विवरण-पत्रक का अंकेक्षण सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता, जबलपुर से कराये जाने के उपरान्त परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन एवं लेनदारी-देनदारी का समस्त निपटारा हो जाने के आधार पर संस्था के अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं, जी. पी. प्रजापति, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जबलपुर मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-2-2010-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये हिरन खनिज उत्खनन सहकारी समिति मर्या., चिन्नौटा, जिला जबलपुर, पंजीयन क्रमांक 1664 का पंजीयन निरस्त करता हूँ. संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 25 मार्च, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

जी. पी. प्रजापति,
सहायक पंजीयक.

(1136-N)

कार्यालय परिसमापक सहकारी संस्था मर्या., जिला शाजापुर

शाजापुर, दिनांक 20 मार्च, 2017

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 सी के अंतर्गत)

क्यू-उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शाजापुर द्वारा अपने अधोलिखित आदेश द्वारा निम्न संस्था जिनके पंजीयन क्रमांक सम्मुख लिखे हैं, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-71 (1) के तहत मुझे अधोहस्ताक्षरकर्ता को परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	परिसमापन आदेश क्रमांक/दिनांक
1	2	3	4
1.	शासकीय कर्मचारी सहकारी उपभोक्ता भण्डार मर्या. शाजापुर	365/18-02-1986	2069/20-01-2001

अतः मैं, अभय निगम, परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक, कार्यालय सहायक आयुक्त (अंके.), सहकारिता, जिला शाजापुर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत यह सूचना प्रसारित करता हूँ कि उक्त संस्थाओं के प्रति कोई दावे या आपत्ति या रिकार्ड हो, तो वे इस सूचना-पत्र जारी होने के दिनांक से दो माह के अन्दर मुझे कार्यालय सहायक आयुक्त (अंकेक्षण), सहकारिता, पुराना जिला पंचायत भवन, जिला शाजापुर में मय प्रमाण के लिखित में प्रस्तुत करें, उक्त समयावधि पश्चात् दावे या आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा तथा यह मानकर कि संस्था से किसी लेनदार का कोई दावा शेष नहीं है, संस्था के परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत कर दिया जावेगा.

यह भी सूचित किया जाता है कि उपरोक्त संस्था के पूर्व कर्मचारियों/सदस्य/सक्षम पदाधिकारी के पास कोई रिकार्ड, परिसम्पत्ति या नगदी हो तो उसे उपरोक्त अवधि में मेरे पास जमा करावें अन्यथा उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी.

अभय निगम,
परिसमापक एवं स. नि.

(1137)

कार्यालय परिसमापक एवं उप-अंकेक्षक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन

उज्जैन, दिनांक 16 जनवरी, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत]

क्र./परि./क्यू-1/2017.-सर्व-साधारण की जानकारी के लिए यह विज्ञप्ति प्रकाशित की जाती है कि कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी

संस्थाएं, उज्जैन, जिला उज्जैन के आदेश से मुझे निम्नलिखित संस्थाओं का परिसमापक नियुक्त किया है:-

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापन में लाने का आदेश क्रमांक एवं दिनांक
1	2	3	4
1.	महिला दुग्ध सहकारी समिति मर्यादित, हंसखेड़ी	2239/29-09-2015	3561/08-12-2016
2.	महिला दुग्ध सहकारी समिति मर्यादित, उपड़ी	2161/20-08-2015	3561/08-12-2016
3.	महिला दुग्ध सहकारी समिति मर्यादित, ढेंढिया	2163/20-08-2015	3561/08-12-2016
4.	महिला दुग्ध सहकारी समिति मर्यादित, रठड़ा	2234/29-09-2015	3561/08-12-2016
5.	महिला दुग्ध सहकारी समिति मर्यादित, उमराझर	2159/20-08-2015	3561/08-12-2016
6.	चापानेर बीज उत्पा. सह. सं. मर्या., चापानेर	2165/20-08-2015	3562/08-12-2016
7.	क्षिप्रा बीज उत्पा. सह. सं. मर्या., पनवासा	2126/04-08-2015	3562/08-12-2016
8.	श्री माँ उमिया बीज उत्पा. सह. सं. मर्या., बड़ागाँव	2100/26-06-2015	3562/08-12-2016
9.	शीतला माता बीज उत्पा. सह. सं. मर्या., रजला	2174/20-08-2015	3562/08-12-2016

अतः मैं, संजय देवलालीकर, उप-अंकेक्षक, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-71 एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 (सी) के अनुसार सर्व-साधारण की जानकारी के लिए सूचना-पत्र प्रकाशित करता हूँ कि उक्त संस्थाओं के विरुद्ध किसी का भी कोई लेना-देना निकल रहा हो वे इस विज्ञापित के प्रकाशित होने के दो माह के अंदर अपने दावे प्रमाण सहित मुझे कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन में प्रस्तुत करें। उक्त अवधि में पेश न होने वाले दावे या स्वत्व के संबंध में बाद में कोई सुनवाई नहीं होगी तथा जो भी रिकॉर्ड उपलब्ध होगा उसके अनुसार ही कार्यवाही की जाकर संस्था के पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही हेतु प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को भेज दिया जावेगा।

यह भी प्रकाशित किया जाता है कि किसी व्यक्ति के पास इस समिति के सदस्यों या भूतपूर्व पदाधिकारियों के पास इस समिति की कोई लेखा-पुस्तकें, चल-अचल सम्पत्तियाँ या अन्य कोई भी सामान तथा रिकॉर्ड आदि हो तो इस सूचना प्रकाशित होने के एक माह के अन्दर उक्त वर्णित कार्यालय में जमा कराकर रसीद प्राप्त करें, अन्यथा निश्चित अवधि व्यतीत होने के बाद किसी भी व्यक्ति के पास इस समिति की उपरोक्त चीजें होने की जानकारी मिली तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जावेगी, जिसका दायित्व उसका स्वयं का होगा।

यह सम्यक् सूचना आज दिनांक 16 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी की गयी।

संजय देवलालीकर,
परिसमापक.

(1139)

कार्यालय परिसमापक, दुग्ध सहकारी संस्था मर्यादित, नौगौवा, लिम्बोदियाखुर्द

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत]

सर्व-साधारण की जानकारी के लिए यह विज्ञापित प्रकाशित की जाती है कि कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, उज्जैन, जिला उज्जैन के आदेश क्रमांक/परि./20...../...., उज्जैन, दिनांक.....के द्वारा मुझे निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं का परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापन में लाने का आदेश क्रमांक व दिनांक
1	2	3	4
1.	दुग्ध सहकारी संस्था मर्यादित, लिम्बोदियाखुर्द	2246/30-09-2015	3561/08-12-2016
2.	दुग्ध सहकारी संस्था मर्यादित, नौगौवा	2256/05-10-2015	3561/08-12-2016

अतः मैं, श्रीमती मोनिका सक्सेना, परिसमापक, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-71 एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 (सी) के अनुसार सर्व-साधारण की जानकारी के लिए सूचना-पत्र प्रकाशित करती हूँ कि उक्त संस्थाओं के विरुद्ध किसी का भी कोई लेना-देना निकल रहा हो वे इस विज्ञापित के प्रकाशित होने के दो माह के अंदर अपने दावे प्रमाण सहित मुझे कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन में प्रस्तुत करें। उक्त अवधि में पेश न होने वाले दावे या स्वत्व के संबंध में बाद में कोई सुनवाई नहीं होगी तथा जो भी रिकॉर्ड उपलब्ध होगा उसके अनुसार ही कार्यवाही की जाकर संस्था के पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही हेतु प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को भेज दिया जावेगा।

यह भी प्रकाशित किया जाता है कि किसी व्यक्ति के पास इस समिति के सदस्यों या भूतपूर्व पदाधिकारियों के पास इस समिति की कोई लेखा-पुस्तकें, रोकड़, चल-अचल सम्पत्तियों या अन्य कोई भी सामान तथा रिकॉर्ड आदि हो तो इस सूचना के प्रकाशित होने के एक माह के अन्दर उक्त वर्णित कार्यालय में जमा कराकर रसीद प्राप्त करें, अन्यथा निश्चित अवधि व्यतीत होने के बाद किसी भी व्यक्ति के पास इस समिति की उपरोक्त चीजें होने की जानकारी मिली तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जावेगी, जिसका दायित्व उसका स्वयं का होगा।

यह सम्यक् सूचना आज दिनांक 07 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी की गयी।

मोनिका सक्सेना,

परिसमापक.

(1139-A)

कार्यालय परिसमापक एवं उप अंकेक्षक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन

उज्जैन, दिनांक 08 मार्च, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत]

सर्व-साधारण की जानकारी के लिए यह विज्ञप्ति प्रकाशित की जाती है कि कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, उज्जैन, जिला उज्जैन के आदेश क्रमांक एवं दिनांक से मुझे निम्नलिखित सहकारी संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापन आदेश क्रमांक व दिनांक
1	2	3	4
1.	मजदूर संघ सेनेटरी मार्ट सहकारी संस्था मर्यादित, उज्जैन	1532/10-10-2000	2175/17-09-2013

अतः मैं, व्ही. के. जोशी, उप अंकेक्षक मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-71 एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 (सी) के अनुसार सर्व-साधारण की जानकारी के लिए सूचना-पत्र प्रकाशित करता हूँ कि उक्त संस्था के विरुद्ध किसी भी व्यक्ति/संस्था का कोई लेना-देना शेष हो तो वे इस विज्ञप्ति के प्रकाशित होने के दो माह के अंदर अपने दावे/आपत्ति प्रमाण सहित मुझे कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन में प्रस्तुत करें। उक्त अवधि में पेश न होने वाले दावे/आपत्ति या स्वत्व के संबंध में बाद में कोई सुनवाई नहीं होगी तथा जो भी रिकॉर्ड उपलब्ध होगा उसके अनुसार ही कार्यवाही की जाकर संस्था के पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही हेतु अंतिम प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जावेंगे।

यह भी सूचित किया जाता है कि किसी व्यक्ति/सदस्यों/भूतपूर्व पदाधिकारियों के पास इस समिति की कोई लेखा पुस्तकें, रोकड़, चल-अचल सम्पत्तियों या अन्य कोई भी सामान अथवा रिकार्ड आदि हो तो इस सूचना के प्रकाशित होने के एक माह के अन्दर मुझे प्रस्तुत करके रसीद प्राप्त करें, अन्यथा निश्चित अवधि व्यतीत होने के बाद किसी भी व्यक्ति के पास इस समिति का उपरोक्त रिकार्ड होने की जानकारी मिली तो उसके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जावेगी, जिसका दायित्व उसका स्वयं का होगा।

यह सम्यक् सूचना आज दिनांक 08 मार्च, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी की गयी।

व्ही. के. जोशी,

परिसमापक एवं उप अंकेक्षक.

(1139-B)

कार्यालय सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, उमरिया

उमरिया, दिनांक 28 फरवरी, 2017

क्र./परि./2017/141.-कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि./2013/248, उमरिया, दिनांक 02 अप्रैल, 2013 द्वारा महिला बहु. सहकारी समिति मर्यादित, अमरपुर, तहसील मानपुर, जिला उमरिया, पंजीयन क्रमांक 46, दिनांक 27 अगस्त, 2003 को मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत तत्कालीन सहकारिता विस्तार अधिकारी, वि. खं.-मानपुर को परिसमापक नियुक्त किया गया था।

समिति के प्रवर्तक सदस्यों द्वारा संस्था के पुनर्जीवन हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है एवं परिसमापक द्वारा दिनांक 16 फरवरी, 2017 को समिति की आमसभा बुलाकर सर्व-सम्मति के लिये निर्णय के आधार पर संस्था को पुनर्जीवित करने बावत् प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। प्रतिवेदन के परीक्षण उपरान्त परिसमापक की कार्यवाही से सन्तुष्ट होकर मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पुनर्जीवन किया जाना उचित है।

अतः मैं, एम. एल. प्रजापति, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, उमरिया, मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की

धारा-18 (1), (2) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/ एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त संस्था महिला बहु. सहकारी समिति मर्यादित, अमरपुर, तहसील मानपुर, जिला उमरिया को पुनर्जीवित करते हुए संस्था के अगले निर्वाचन तक प्रबंधकारिणी समिति को संस्था के कार्य संपादन हेतु अधिकृत करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 28 फरवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

एम. एल. प्रजापति,

सहायक पंजीयक.

(1141)

कार्यालय सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारी संस्थाएं, शहडोल

शहडोल, दिनांक 24 जनवरी, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (1) सी/ग के अन्तर्गत]

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, शहडोल, जिला शहडोल के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत निम्न सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापक नियुक्ति आदेश क्रमांक व दिनांक
1	2	3	4
1.	गोपाल दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., कतिया	1153/27-08-2015	437/25-04-2016
2.	गोडवाना दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., चन्दोरा	1154/27-08-2015	438/25-04-2016
3.	महिला बहु. सहकारी समिति मर्या., डोलर	1083/04-02-2010	451/25-04-2016
4.	किरण महिला बहु. सहकारी समिति मर्या., आमडीह	1009/24-11-2001	452/25-04-2016
5.	पनिका बुनकर सहकारी समिति मर्या., चितरांव	434/30-06-1963	1092/31-12-2016
6.	आदिवासी वन श्रमिक सहकारी समिति मर्या., जयसिंहनगर	259/18-12-1954	1093/31-12-2016
7.	बासवेत उद्योग सहकारी समिति मर्या., जयसिंहनगर	319/31-03-1961	1094/31-12-2016

उक्त सहकारी संस्थाओं का पूर्व परिसमापक/अध्यक्ष/सचिव से मुझे किसी भी प्रकार का रिकार्ड, दस्तावेज आदि का प्रभार प्राप्त नहीं हुआ है.

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम 1962 के नियम 57(1) सी/ग के अन्तर्गत उक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दो माह के अन्दर मय-प्रमाण के मुझे लिखित रूप में प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में सदस्यगण/साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा मान्य नहीं किया जावेगा. संस्था के लेखा-पुस्तकों में लेखाबद्ध समस्त दायित्व स्वमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे तथा संस्था के समस्त देनदारी/लेनदारी/आस्तियों का अन्तिम रूप से निराकरण मेरे द्वारा कर दिया जावेगा.

यह सूचना आज दिनांक 24 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर से जारी की गयी.

विजेश कुमार मन्नेवार,

वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक एवं परिसमापक.

(1143)



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 15]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 14 अप्रैल, 2017-चैत्र 24, शके 1939

भाग 3 (2)

सांख्यिकीय सूचनाएं

कार्यालय आयुक्त, भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश

मौसम, फसल एवं पशु-स्थिति का साप्ताहिक प्रतिवेदन, सप्ताहान्त बुधवार, दिनांक 09 नवम्बर, 2016

1. मौसम एवं वर्षा.-राज्य में इस सप्ताह मौसम शुष्क रहा है तथा राज्य के किसी भी जिले में वर्षा का होना नहीं पाया गया है.
2. जुताई.- जिला ग्वालियर, दतिया, छतरपुर, पन्ना, सागर, दमोह, सतना, रीवा, शहडोल अनूपपुर, उमरिया, सीधी, सिंगरौली, झाबुआ, खरगौन, बड़वानी, राजगढ़, सीहोर, जबलपुर, नरसिंहपुर, मंडला, डिण्डोरी व सिवनी में जुताई व रोपोई का कार्य कहीं-कहीं चालू है.
3. बोनी.- जिला सतना में फसल चना, मसूर, अलसी, राई-सरसों, बैतूल में गेहूं चना, मसूर, मटर, राई, सरसों, डिण्डोरी में गेहूं, चना, अलसी, मटर, मसूर व ग्वालियर, छतरपुर, पन्ना, दमोह, रीवा, शहडोल, अनूपपुर, उमरिया, सीधी, सिंगरौली, उज्जैन, झाबुआ, खरगौन, बड़वानी, राजगढ़, भोपाल, सीहोर, जबलपुर व नरसिंहपुर में रबी फसलों की बोनी का कार्य कहीं-कहीं चालू है.
4. फसल स्थिति-
5. कटाई.- जिला अनूपपुर, सीहोर, होशंगाबाद, डिण्डोरी, बालाघाट में फसल धान, बुरहानपुर में सोयाबीन, ज्वार, मक्का, सीधी व सिवनी में खरीफ फसलों की कटाई का कार्य कहीं-कहीं चालू है.
6. सिंचाई.- जिला ग्वालियर, शहडोल, बड़वानी व सिवनी में सिंचाई हेतु पानी कहीं-कहीं अपर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.
7. पशुओं की स्थिति.- राज्य के प्रायः सभी जिलों में पशुओं की स्थिति संतोषप्रद है.
8. चारा.- राज्य के प्रायः सभी जिलों में चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.
9. बीज.- राज्य के प्रायः सभी जिलों में बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.
10. खेतिहर श्रमिक.- राज्य के प्रायः सभी जिलों में खेतिहर श्रमिक पर्याप्त संख्या व उचित दर पर उपलब्ध हैं.

मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक सूचना-पत्रक, सप्ताहान्त बुधवार, दिनांक 09 नवम्बर, 2016

जिला/तहसीलें	1. सप्ताह में हुई वर्षा :- (अ) वर्षा का माप (मि. मी. में) (ब) वर्षा कम है या बहुत अधिक.	2. कृषि कार्यों की प्रगति तथा उन पर वर्षा का प्रभाव :- (अ) प्रारम्भिक जुताई पर. (ब) बोनी पर (स) रोपाई पर, अगर धान की रोपाई होती हो. (द) खड़ी फसल पर रोग व कीड़ों के आक्रमण के असर का वर्णन सहित. (य) कटी हुई फसल पर.	3. अन्य असामयिक घटना और उसका फसलों पर प्रभाव. 4. खड़ी फसल का व्यापक रूप से अनुमान, गत वर्ष की तुलना में:- (1) फसल का क्षेत्रफल- (अ) अधिक, समान या कम. (ब) प्रतिशत. (2) फसल की हालत- (अ) सुथरी हुई, समान या बिगड़ी हुई (ब) प्रतिशत.	5. सिंचाई के लिये पानी (कम अथवा अधिक) 6. पशुओं की हालत तथा चारे की प्राप्ति.	7. बीज की प्राप्ति. 8. कृषि सम्बन्धी मजदूरों की प्राप्ति.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. जिला मुरैना :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. अम्बाह 2. पोरसा 3. मुरैना 4. जौरा 5. सबलगढ़ 6. कैलारस				
2. जिला श्योपुर :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) धान, ज्वार, बाजरा, तिल, तुअर, मूँग, मक्का, सोयाबीन. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. श्योपुर 2. कराहल 3. विजयपुर				
3. जिला भिण्ड :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) ज्वार, बाजरा, तिल समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. अटेर 2. भिण्ड 3. गोहद 4. मेंहगांव 5. लहार 6. मिहोना 7. रौन				
4. जिला ग्वालियर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी व रोपाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) .. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. ग्वालियर 2. डबरा 3. भितरवार 4. घाटीगांव				
5. जिला दतिया :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) गन्ना, मूँगफली, तिल, उड़द, मूँग. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. सेवड़ा 2. दतिया 3. भाण्डेर				
6. जिला शिवपुरी :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. शिवपुरी 2. पिछोर 3. खनियाधाना 4. नरवर 5. करैरा 6. कोलारस 7. पोहरी 8. बदरवास				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
7. जिला अशोकनगर :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. ..
1. मुँगावली	..		4. (1) सोयाबीन, मक्का अधिक. उड़द, गन्ना, गेहूँ, चना कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. ईसागढ़	..		(2) ..		
3. अशोकनगर	..				
4. चन्देरी	..				
5. शाढौरा	..				
8. *जिला गुना :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. गुना	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
2. राघोगढ़	..		(2) ..		
3. बमोरी	..				
4. आरोन	..				
5. चाचौड़ा	..				
6. कुम्भराज	..				
9. जिला टीकमगढ़ :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. निवाड़ी	..		4. (1) ज्वार, अरहर, चना, राई-सरसों मटर समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. पृथ्वीपुर	..		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. जतारा	..				
4. टीकमगढ़	..				
5. बल्देवगढ़	..				
6. पलेरा	..				
7. ओरछा	..				
10. जिला छतरपुर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. ..	7. पर्याप्त.
1. लव-कुश नगर	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. गौरीहार	..		(2) ..		
3. नौगांव	..				
4. छतरपुर	..				
5. राजनगर	..				
6. बिजावर	..				
7. बड़ामलहरा	..				
8. बक्सवाहा	..				
11. जिला पन्ना :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. ..	5. पर्याप्त.	7. ..
1. अजयगढ़	..		4. (1) धान, बाजरा, मक्का, तुअर, उड़द, मूँग, सोयाबीन तिल.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. पन्ना	..		(2) ..		
3. गुन्नौर	..				
4. पवई	..				
5. शाहनगर	..				
12. जिला सागर :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. ..	5. ..	7. पर्याप्त.
1. बीना	..		4. (1) धान, ज्वार, मक्का, कोदों, उड़द, मूँग, अरहर, तिल, मूँगफली, सोयाबीन.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. खुरई	..		(2) ..		
3. बण्डा	..				
4. सागर	..				
5. रेहली	..				
6. देवरी	..				
7. गढ़ाकोटा	..				
8. राहतगढ़	..				
9. केसली	..				
10. मालथोन	..				
11. शाहगढ़	..				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
13. जिला दमोह :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी व कटाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) ज्वार, अरहर, गन्ना, गेहूँ, चना, मटर, मसूर, राई-सरसों, अलसी, तिवड़ा जौ. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. हटा .. 2. बटियागढ़ .. 3. दमोह .. 4. पथरिया .. 5. जवेरा .. 6. तेन्दूखेड़ा .. 7. पटेरा				
14. जिला सतना :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं चना, मसूर, की बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) राई सरसों कम. अरहर, चना, मसूर अलसी समान. (2) ..	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. रघुराजनगर .. 2. मझगवां .. 3. रामपुर-बधेलान .. 4. नागौद .. 5. उचेहरा .. 6. अमरपाटन .. 7. रामनगर .. 8. मैहर .. 9. बिरसिंहपुर				
15. जिला रीवा :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) गेहूँ, चना, अलसी, जौ, राई-सरसों, अरहर अधिक. मसूर समान. (2) ..	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. त्योंथर .. 2. सिरमौर .. 3. मऊगंज .. 4. हनुमना .. 5. हजूर .. 6. गुढ़ .. 7. रायपुरकचुलियान				
16. जिला शहडोल:	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) धान, सोयाबीन, कोदों-कुटकी तिल, उड़द अधिक. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सोहागपुर .. 2. ब्यौहारी .. 3. जैसिंहनगर .. 4. गोहपारू .. 5. जैतपुर .. 6. बुढार				
17. जिला अनूपपुर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी व धान की कटाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) धान, तुअर, कोदों-कुटकी, राई, अलसी, मसूर समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. जैतहरा .. 2. अनूपपुर .. 3. कोतमा .. 4. पुष्पराजगढ़				
18. जिला उमरिया :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) मक्का, धान, ज्वार, तुअर, मूँग, तिल, चना, अलसी, राई. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बांधवगढ़ .. 2. पाली .. 3. मानपुर				
19. जिला सीधी :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी व खरीफ फसलों की कटाई का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) अलसी, चना, राई-सरसों, गेहूँ, मसूर, जौ कम. (2) ..	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. गोपदवनास .. 2. सिंहावल .. 3. मझौली .. 4. कुसमी .. 5. चुरहट .. 6. रामपुरनैकिन				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
20. जिला सिंगरौली :	मिलीमीटर	2. जुलाई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) धान अधिक. चना, मटर राई कम. राहर कु. कुटकी ज्वार, अलसी समान. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
21. जिला मंदसौर :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
22. जिला नीमच :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) मक्का, उड़द, तिल, तुअर, मूंगफली, मूंग अधिक. सोयाबीन धान कम ज्वार समान. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
23. *जिला रतलाम :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. ..	7. .. 8. ..
24. जिला उज्जैन :	मिलीमीटर	2. रबी फसलों की बोनी का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) गेहूँ, चना समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
25. *जिला आगर :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. ..	7. .. 8. ..
26. जिला शाजापुर :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) तुअर (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
27. जिला देवास :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सोनकच्छ	..		4. (1) ज्वार, तुअर, उड़द, अधिक. कपास कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. टोंकखुर्द	..				
3. देवास	..				
4. बागली	..		(2) ..		
5. कन्नोद	..				
6. खातेगांव	..				
28. जिला झाबुआ :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. थांदला	..		4. (1) मक्का, सोयाबीन, उड़द, कपास, मूँगफली, तुअर अधिक, धान समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. मेघनगर	..				
3. पेटलावद	..		(2) ..		
4. झाबुआ	..				
5. राणापुर	..				
29. जिला अलीराजपुर :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. जोवट	..		4. (1) मक्का, ज्वार, बाजरा, उड़द, मूँगफली, सोयाबीन, कपास, तुअर अधिक.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. अलीराजपुर	..				
3. कट्टीवाड़ा	..		(2) ..		
4. सोंडवा	..				
5. भामरा	..				
6. च. शेखर आ. नगर	..				
30. *जिला धार :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. बदनावर	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
2. सरदारपुर	..		(2) ..		
3. धार	..				
4. कुक्षी	..				
5. मनावर	..				
6. धरमपुरी	..				
7. गंधवानी	..				
8. डही	..				
31. जिला इन्दौर :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. देपालपुर	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. सांवेर	..		(2) ..		
3. इन्दौर	..				
4. महू (डॉ. अम्बेडकर नगर)	..				
32. जिला खरगौन :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बड़वाह	..		4. (1) मक्का, बाजरा, अलसी, रई-सरसों अधिक, ज्वार, धान, कपास, मूँगफली, तुअर, गेहूँ, चना कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. महेश्वर	..				
3. सेगांव	..		(2) ..		
4. खरगौन	..				
5. गोगावां	..				
6. कसरावद	..				
7. भगवानपुरा	..				
8. भीकनगांव	..				
9. झिरन्या	..				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
33. जिला बड़वानी :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) गन्ना, मक्का अधिक. ज्वार, कपास कम. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. ..
1. बड़वानी	..				
2. ठीकरी	..				
3. राजपुर	..				
4. सेंधवा	..				
5. पानसेमल	..				
6. पाटी	..				
7. निवाली	..				
8. अंजड़	..				
9. वरला	..				
34. *जिला खण्डवा :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. ..	7. .. 8. ..
1. खण्डवा	..				
2. पंधाना	..				
3. हरसूद	..				
35. जिला बुरहानपुर :	मिलीमीटर	2. फसलसोयाबीन एवं ज्वार, मक्काकी कटाई का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) कपास अधिक सोयाबीन कम (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बुरहानपुर	..				
2. खकनार	..				
3. नेपानगर	..				
36. जिला राजगढ़ :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं रबी की बोनी का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. जीरापुर	..				
2. खिलचीपुर	..				
3. राजगढ़	..				
4. ब्यावरा	..				
5. सारंगपुर	..				
6. पचोर	..				
7. नरसिंहगढ़	..				
37. जिला विदिशा :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. लटेरी	..				
2. सिरोंज	..				
3. कुरवाई	..				
4. बासोदा	..				
5. नटेरन	..				
6. विदिशा	..				
7. गुलाबगंज	..				
8. ग्यारसपुर	..				
38. जिला भोपाल :	मिलीमीटर	2. बोनी का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बैरसिया	..				
2. हुजूर	..				
39. जिला सीहोर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी व धान की कटाई का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सीहोर	..				
2. श्यामपुर	..				
3. आष्टा	..				
4. जावरा	..				
5. इछावर	..				
6. नसरुल्लागंज	..				
7. रेहटी	..				
8. बुधनी	..				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
40. जिला रायसेन :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. पर्याप्त.
1. रायसेन	..		4. (1) धान, ज्वार, मक्का, तुअर, उड़द, मूँगफली, तिल, गन्ना अधिक. मूँग, सोयाबीन कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. ..
2. गैरतगंज	..		(2) ..		
3. बेगमगंज	..				
4. गोहरगंज	..				
5. बरेली	..				
6. सिलवानी	..				
7. बाड़ी	..				
8. सुल्तानपुर	..				
9. उदयपुरा	..				
41. जिला बैतूल :	मिलीमीटर	2. रवी फसल गेहूँ, मसूर, चना, मटर, राई-सरसों की बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. भैंसदेही	..				
2. घोडाडोंगरी	..				
3. शाहपुर	..				
4. चिचोली	..				
5. बैतूल	..				
6. मुलताई	..				
7. आठनेर	..				
8. आमला	..				
42. जिला होशंगाबाद :	मिलीमीटर	2. धान की कटाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) धान, तुअर अधिक. सोयाबीन, कम. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सिवनी-मालवा	..				
2. होशंगाबाद	..				
3. बावई	..				
4. इटारसी	..				
5. सोहागपुर	..				
6. पिपरिया	..				
7. बनखेड़ी	..				
8. पचमढ़ी	..				
43. जिला हरदा :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. हरदा	..		4. (1) चना अधिक. गेहूँ कम. (2) ..	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. खिड़किया	..				
3. टिमरनी	..				
44. जिला जबलपुर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सीहोरा	..				
2. पाटन	..				
3. जबलपुर	..				
4. मझोली	..				
5. कुण्डमपुर	..				
45. जिला कटनी :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) तुअर, ज्वार. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. कटनी	..				
2. रीठी	..				
3. विजयराघौगढ़	..				
4. बहोरीबंद	..				
5. ढीमरखेड़ा	..				
6. बरही	..				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
46. जिला नरसिंहपुर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी व रोपाई का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. गाडरवारा	..				
2. करेली	..				
3. नरसिंहपुर	..				
4. गोटेगांव	..				
5. तेंदूखेड़ा	..				
47. जिला मण्डला :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) धान, मक्का, सन्, कोदों- कुटकी, तुअर, उड़द, तिल. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. निवास	..				
2. बिछिया	..				
3. नैनपुर	..				
4. मण्डला	..				
5. घुघरी	..				
6. नारायणगंज	..				
48. जिला डिण्डोरी :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं गोहूँ, चना, अलसी, मटर, मसूर की बोनी व धान की कटाई का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) मक्का, धान, सोयाबीन, कोदों-कुटकी, तुअर, उड़द, रामतिल समान (2) ..	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. डिण्डोरी	..				
2. बजाग	..				
3. शाहपुरा	..				
49. जिला छिंदवाड़ा :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) मक्का, धान अधिक. सोयाबीन कम. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. छिंदवाड़ा	..				
2. जुन्नारदेव	..				
3. परासिया	..				
4. तामिया	..				
5. सोंसर	..				
6. पांडुर्णा	..				
7. अमरवाड़ा	..				
8. चौरई	..				
9. चाँद	..				
10. बिछुआ	..				
11. हरई	..				
12. मोहखेड़ा	..				
13. उमरेठ	..				
50. जिला सिवनी :	मिलीमीटर	2. जुताई व खरीफ फसलों की कटाई का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) धान, ज्वार, कोदों-कुटकी, मक्का, तुअर, उड़द, मूँग, मूँगफली, तिल, सोयाबीन, सन्, गन्ना. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सिवनी	..				
2. केवलारी	..				
3. लखनादोन	..				
4. बरघाट	..				
5. कुरई	..				
6. घंसोर	..				
7. घनोरा	..				
8. छपारा	..				
51. जिला बालाघाट :	मिलीमीटर	2. धान की कटाई का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बालाघाट	..				
2. लौंजी	..				
3. बैहर	..				
4. वारासिवनी	..				
5. कटंगी	..				
6. किरनापुर	..				
7. खैरलांजी	..				
8. लालबर्वा	..				
9. बिरसा	..				
10. परसवाड़ा	..				

टीप.-*जिला गुना, रतलाम, आगर, धार, खंडवा से पत्रक अप्राप्त रहे हैं.

सुहेल अली,

आयुक्त,

भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश.

(1119)